लोक सभा

समाचार - भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 19 जुलाई, 2021/28 आषाढ़, 1943 (शक)

संख्या 115

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. राष्ट्रगान

राष्ट्रगान की धुन बजाई गई।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

2. शपथ

निम्नलिखित सदस्यों ने शपथ ली, सदस्यों की नामावली पर हस्ताक्षर किये और सभा में अपना स्थान ग्रहण किया:-

क्र.सं.	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र	राज्य	शपथ/प्रतिज्ञान	भाषा
1	2	3	4	5	6
1.	श्री मद्दीला गुरूमूर्ति	तिरुपति	आंध्र प्रदेश	शपथ	तेलुगु
2.	श्रीमती मंगल सुरेश अंगड़ी	बेलगाम	कर्नाटक	शपथ	कन्नड़
3.	श्री एम पी अब्दुस्समद समदानि	मलप्पुरम	केरल	शपथ	अंग्रेजी
4.	श्री विजय कुमार (उर्फ) विजय वसंत	कन्याकुमारी	तमिलनाडु	शपथ	तमिल

पूर्वाह्न 11.08 बजे

3. मंत्रियों का परिचय

प्रधानमंत्री ने केन्द्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों के परिचय* की एक प्रति सभा पटल पर रखी।

पूर्वाह्न 11.13 बजे

4. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने श्री स्कारिया थॉमस (सदस्य, छठी और 7वीं लोक सभा);श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये (सदस्य, 10वीं लोक सभा);श्री मुख्तार अनीस (सदस्य , 11वीं लोक सभा);श्री श्यामा चरण गुप्ता (सदस्य, 14वीं और 16वीं लोक सभा);श्री दिग्विजय सिंह (सदस्य, 7वीं और 8वीं लोक सभा);श्री अजमीरा चंदुलाल (सदस्य, 11वीं और 12वीं लोक सभा);श्री बची सिंह रावत (सदस्य, 11वीं, 12वीं, 13वीं और 14वीं लोक सभा);श्री जगदीश सिंह राणा (सदस्य, 15वीं लोक सभा); श्री श्याम बिहारी मिश्रा (सदस्य, 10वीं, 11वीं, 12वीं और 13वीं लोक सभा);श्री सुरेश पासी (सदस्य, 13वीं लोक सभा);प्रोफेसर दुखा भगत (सदस्य, 13वीं लोक सभा);श्री सुग्रीव सिंह (सदस्य, 14वीं लोक सभा);श्री रामेश्वर पाटीदार (सदस्य, छठी, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं लोक सभा);श्री एम. सत्यनारायण राव (सदस्य, 5वीं, छठी और 7वीं लोक सभा);श्रीमती करूणा शुक्ला (सदस्य, 14वीं लोक सभा);श्री एस.बी. सिदनाल (सदस्य, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं लोक सभा);श्री एकनाथ एम. गायकवाड़ (सदस्य, 14वीं और 15वीं लोक सभा);श्री कमला प्रसाद रावत (सदस्य, 8वीं और 14वीं लोक सभा);श्री लक्ष्मण गिलुवा (सदस्य, 13वीं और 16वीं लोक

---

* पूर्वाह्न 11.12 बजे पटल पर रखी गयी। विवरण के लिये कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

* पूर्वाह्न 11.32 बजे, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री के द्वारा मंत्रियों के परिचय के दौरान सभा की स्वस्थ परम्परा, जो इस बार व्यवधान के कारण तोड़ी गयी, के बारे में बोले।

सभा);डॉ. मोहम्मद शहाबुद्दीन (सदस्य, 11वीं, 12वीं, 13वीं और 14वीं लोक सभा);श्री राम चरित्र निषाद (सदस्य, 16वीं लोक सभा);श्री जोरावर राम (सदस्य, 9वीं लोक सभा);श्री सब्बाम हरी (सदस्य, 15वीं लोक सभा);श्री जय नारायण रोट (सदस्य, 7वीं लोक सभा);श्री जगमोहन (सदस्य, 11वीं, 12वीं और 13वीं लोक सभा);श्री अजीत सिंह (सदस्य , 9वीं, 10वीं, 11वीं,13वीं, 14वीं और 15वीं लोक सभा);श्री आर.एल. भाटिया (सदस्य, 5वीं, 7वीं, 8वीं, 10वीं, 11वीं और 13वीं लोक सभा);प्रो. रासा सिंह रावत (सदस्य, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 13वीं और 14वीं लोक सभा);श्री संभाजीराव काकाडे (सदस्य, छठी और 8वीं लोक सभा);श्री रामेन्द्र कुमार यादव (सदस्य , 9वीं लोक सभा);श्री राजीव शंकरराव सातव (सदस्य, 16वीं लोक सभा);श्री के. तुलसिया वान्डायार (सदस्य , 10वीं लोक सभा);प्रो. चमन लाल गुप्ता (सदस्य, 11वीं, 12वीं और 13वीं लोक सभा);श्री जगन्नाथ पहाड़िया (सदस्य, दूसरी, चौथी, पांचवीं और सातवीं लोक सभा); श्री कृष्णा (सदस्य, 11वीं लोक सभा);श्री टी.एम. कलियानन (सदस्य, अंतरिम संसद); श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा (सदस्य6, 5वीं और 9वीं लोक सभा); श्री शंकर सखाराम नाथ (सदस्य, 12वीं लोक सभा);श्री दीन बंधु वर्मा (सदस्य, 7वीं लोक सभा); और श्री शरद त्रिपाठी (सदस्य, 16वीं लोक सभा) के निधन के संबंध में उल्लेख किया।

उन्होंने एथलेटिक्स में महानतम खिलाड़ियों में से एक श्री मिल्खा सिंह और; फिल्म उद्योग के महानतम कलाकारों में से एक तथा राज्य सभा के पूर्व सदस्य श्री दिलीप कुमार के निधन के संबंध में उल्लेख भी किया।

तत्पश्चात् सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.35 बजे

5. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 1 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.36 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 2.00 बजे

तारांकित प्रश्न संख्या 2 से 20 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

6. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1 से 230 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 2.00 बजे

7. सभा पटल पर रखे गए पत्र

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; और संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने वित्त मंत्री और कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) की ओर से अधिकरण सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें) अध्यादेश, 2021 (2021 का संख्यांक 2) के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारण दर्शाने वाले व्याख्यात्मक विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; और संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने संविधान के अनुच्छेद 123 (2)(क) के अंतर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(1) राष्ट्रपति द्वारा 4 अप्रैल, 2021 को प्रख्यापित अधिकरण सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें) अध्यादेश, 2021 (2021 का संख्यांक 2)।

(2) राष्ट्रपति द्वारा 4 अप्रैल, 2021 को प्रख्यापित दिवाला और शोधन अक्षमता

संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (2021 का संख्यांक 3)।

(3) राष्ट्रपति द्वारा 13 अप्रैल, 2021 को प्रख्यापित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और संलग्न क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश, 2021 (2021 का संख्यांक 4)।

(4) राष्ट्रपति द्वारा 22 अप्रैल, 2021 को प्रख्यापित भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (संशोधन) अध्यादेश 2021 (2021 का संख्यांक 5)।

(5) राष्ट्रपति द्वारा 16 मई, 2021 को प्रख्यापित होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद (संशोधन) अध्यादेश 2021 (2021 का संख्यांक 6)।

(6) राष्ट्रपति द्वारा 30 जून, 2021 को प्रख्यापित आवश्यक रक्षा सेवा अध्यादेश, 2021 (2021 का संख्यांक 7)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; और संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती रेणुका सिंह सरुता) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) (एक) ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी

संस्करण)।

(3) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति।

अपराह्न 2.01 बजे

8. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

(1) श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे द्वारा महाराष्ट्र के लातूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बीएसएफ, चाकूर स्थित केंद्रीय विद्यालय में कक्षा एक से दस तक में प्रत्येक कक्षा में नए सेक्शन खोले जाने के बारे में।

(2) सुश्री दिया कुमारी द्वारा कुम्भलगढ़, राजस्थान में टाइगर रिजर्व विकसित किए जाने के बारे में

(3) डॉ. सुजय राधाकृष्ण विखे पाटील द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्रों के संबंध में रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना के बारे में।

(4) श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव द्वारा नवोदय विद्यालय के कर्मचारियों को सीसीएस पेंशन प्रदान किए जाने के बारे में।

(5) श्री मनसुखभाई डी. वसावा द्वारा गुजरात के भरुच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के पिछड़े क्षेत्रों में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सिंचाई सुविधाओं को प्रदान किए के बारे में।

(6) श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे द्वारा प्याज उत्पादकों के कल्याण हेतु एक समुचित आयात-निर्यात नीति का निर्माण किए जाने के बारे में।

(7) श्रीमती अपराजिता सारंगी द्वारा ओडिशा में अस्पतालों में डॉक्टरों और बिस्तरों की संख्या बढ़ाए जाने के बारे में।

(8) श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा बिहार के महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्थित बहियारा में जल जमाव वाली निचली भूमि को मछली पालन केंद्र के रूप में विकसित किए जाने के बारे में।

(9) श्री रामदास सी. तडस द्वारा वर्ष 2021 की जनगणना में अन्य पिछड़े वर्गों की जनगणना को सम्मिलित किए जाने के बारे में।

(10) डॉ हिना विजयकुमार गावीत .द्वारा अनुसूचित क्षेत्र (महाराष्ट्र) आदेश, 1985 को अद्यतन किए जाने के बारे में।

(11) श्री हिबी ईडन द्वारा लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक द्वारा प्रख्यापित प्रारूप नीति परिवर्तनों के विरोध के बारे में।

(12) श्री वी.के. श्रीकंदन द्वारा पलक्कड जिले में सड़क दुर्घटनाओं के के बारे में।

(13) श्री कोडिकुन्नील सुरेश द्वारा कोविड-19 के कारण दिवंगत हुए कर्मचारियों के पात्र पारिवारिक सदस्यों को अनुकम्पा के आधार पर नौकरी दिए जाने के बारे में।

(14) श्री एस. जगतरक्षकन द्वारा मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए ठोस कार्यवाही किए जाने के बारे में।

(15) श्री वल्लभनेनी बालाशौरी द्वारा किसानों की आय को दोगुना किए जाने के बारे में।

(16) श्रीमती प्रतिमा मण्डल द्वारा पश्चिमी बंगाल में कैनिंग रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफार्म शेड का निर्माण किए जाने के बारे में।

(17) डॉ. आलोक कुमार सुमन द्वारा बिहार में मंगलपुर (गोपालगंज) से सारण बॉर्डर तक के रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत शामिल किए के बारे में।

(18) श्री चंद्र शेखर साहू द्वारा बरहामपुर, ओडिशा में उच्च न्यायालय की एक स्थायी पीठ स्थापित किए जाने के बारे में।

(19) श्री मलूक नागर द्वारा उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों द्वारा किसानों को गन्ने की बकाया राशि का भुगतान सुनिश्चित किए जाने के बारे में।

(20) श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी द्वारा कालेश्वरम् लिफ्ट सिंचाई परियोजना, तेलंगाना के निकट मेगा टूरिज्म विकसित किए जाने के बारे में।

(21) श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील द्वारा किसानों में असंतोष उत्पन्न करने वाली रेलवे परियोजनाओं के बारे में ।

(22) श्री एम. सेल्वराज द्वारा चैन्नई और कराईकुडी के बीच रोजाना एक्सप्रेस ट्रेन चलाए जाने तथा तिरूवरूर और कराईकुडी के बीच यात्री गाड़ियों को चलाए जाने के बारे में। ।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 2.02 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 3.30 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 3.30 बजे

9. मंत्री द्वारा स्व-प्रेरणा से वक्तव्य

रेल मंत्री; संचार मंत्री; और इलेक्ट्रोनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने 18 जुलाई, 2021 को मीडिया में आयी खबरों के अनुसार कुछ व्यक्तियों के फोन डेटा का दुरूपयोग करने के लिए स्पाईवेयर पेगासस का तथाकथित प्रयोग करने के बारे में स्व-प्रेरणा से वक्तव्य दिया।

अपराह्न 3.37 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा मंगलवार, 20 जुलाई, 2021 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 20 जुलाई, 2021/29 आषाढ़, 1943 (शक)

संख्या 116

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 21 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.04 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.01 बजे पुन: समवेत हुई)

तारांकित प्रश्न संख्या 22 से 40 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 231 से 460 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 2.01 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; और संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री मनसुख मांडविया) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड तथा भेषज विभाग   रसायन और उवर्रक के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-19 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(1) हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड तथा भेषज विभाग, रसायन और उवर्रक मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-19 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; और संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने संविधान के अनुच्छेद 123 (2)(क) के अंतर्गत दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (2021 का संख्यांक 3) के दिनांक 5 अप्रैल, 2021 के शुद्धिपत्र की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; और संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव कुमार बालियान) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, आणंद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, आणंद के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; और संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7ख की उप-धारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ.1050, जो 4 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उन अधिकारों को विनिर्दिष्ट किया गया है, जिनके ओसीआई कार्ड धारक हकदार हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 77 के अंतर्गत निम्नलिखित सूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 452(अ) जो 30 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 9 अक्तूबर, 2020 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 621(अ) का शुद्धिपत्र अंतर्विष्ट है।

(दो) सा.का.नि.453 (अ) जो 30 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 9 अक्तूबर, 2020 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 620(अ) का शुद्धिपत्र अंतर्विष्ट है।

(तीन) सा.का.नि. 454(अ) जो 30 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 9 अक्तूबर, 2020 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 621(अ) का शुद्धिपत्र अंतर्विष्ट है।

(3) विदेशियों विषयक आदेश, 1948 के खंड 2 के उप-खंड (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 928(अ) जो 2 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा वरिष्ठ आप्रवास अधिकारी (आप्रवास ब्यूरो) को उक्त आदेश के प्रयोजनार्थ त्रिपुरा राज्य के पश्चिम त्रिपुरा जिले में स्थित अगरतला भूमि आप्रवास निरीक्षण चौकी के लिए 02.03.2020 से "सिविल

प्राधिकारी" के रूप में नियुक्त किया गया है।

(दो) का.आ. 930(अ) जो 2 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा वरिष्ठ आप्रवास अधिकारी (आप्रवास ब्यूरो) को उक्त आदेश के प्रयोजनार्थ पश्चिम बंगाल राज्य के उत्तरी 24 परगना जिले में स्थित गोजाडंगा भूमि आप्रवास निरीक्षण चौकी के लिए 02.03.2020 से "सिविल प्राधिकारी" के रूप में नियुक्त किया गया है।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) नियम, 1950 के नियम 3 के उप-नियम (ख) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित सूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 927(अ) जो 2 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा त्रिपुरा राज्य के पश्चिम त्रिपुरा जिले की अगरतला भूमि आप्रवास निरीक्षण चौकी को यात्रियों की सभी श्रेणियों के लिए वैध यात्रा दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश/भारत से निकास के लिए प्राधिकृत भूमि आप्रवास निरीक्षण चौकी के रूप में अभिहित किया गया है।

(दो) का.आ. 929(अ) जो 2 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य के उत्तरी 24 परगना जिले की गोजाडंगा भूमि आप्रवास निरीक्षण चौकी को यात्रियों की सभी श्रेणियों के लिए वैध यात्रा दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश/भारत से निकास के लिए प्राधिकृत भूमि आप्रवास निरीक्षण चौकी के रूप में अभिहित किया गया है।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; और संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश चौधरी) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा* की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा** की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) इंडियन एग्रीकल्चरल यूनीवर्सिटीज एसोसिएशन, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा*** की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. विधेयकों पर अनुमति

(एक) महासचिव ने 10 मार्च, 2021 को सभा में प्रस्तुत किए गए पिछले प्रतिवेदन के उपरांत 17वीं लोक सभा के पांचवे सत्र के दौरान संसद की सभाओं द्वारा पारित और राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित ग्यारह विधेयक सभा पटल पर रखे:-

(1) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2021;

(2) विनियोग विधेयक, 2021;

(3) बीमा (संशोधन) विधेयक, 2021;

(4) विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2021;

(5) गर्भ का चिकित्सकीय समापन (संशोधन) विधेयक, 2021;

(6) जम्मू-कश्मीर विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2021;

(7) पुडुचेरी विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2021;

(8) पुडुचेरी विनियोग विधेयक, 2021;

(9) जम्मू-कश्मीर विनियोग विधेयक, 2021;

(10) वित्त विधेयक, 2021; और

(11) राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग विधेयक, 2021 ।

---

* वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे 18.12.2018 को सभा पटल पर रखे गए थे।

** वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे 03.12.2019 को सभा पटल पर रखे गए थे।

*** वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे 17.03.2020 को सभा पटल पर रखे गए थे।

(दो) महासचिव ने संसद की सभाओं द्वारा पारित और राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त, महासचिव, राज्य सभा द्वारा यथाप्रमाणित निम्नलिखित पांच विधेयकों की एक-एक प्रति भी सभा पटल पर रखी:-

(1) माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2021;

(2) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2021;

(3) खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2021;

(4) राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक विधेयक, 2021; और

(5) संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2021।

5. लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन

डॉ. सत्यपाल सिंह ने लोक लेखा समिति (2021-22) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) "निधियों के प्रबंधन" के संबंध में समिति के 12वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई" संबंधी 36वां प्रतिवेदन*।

(2) "न्यासी कर्तव्य की विफलता के कारण बकाया देयों की संदिग्ध वसूली-बंगलौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, बंगलौर (बीआईएएल)" के संबंध में समिति के 13वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई" संबंधी 37वां प्रतिवेदन*।

(3) "गैर-चयनित लेखापरीक्षा पैराओं (सिविल तथा अन्य मंत्रालय) पर की-गई-कार्रवाई टिप्पण मंत्रालयों/विभागों द्वारा समय पर प्रस्तुत करने का अनुपालन न किया जाना" के संबंध में समिति के 42वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई" संबंधी 38वां प्रतिवेदन।

---

*36वां और 37वां प्रतिवेदन निदेश 71क के अंतर्गत 13 अप्रैल, 2021 को, जब सभा का सत्र नहीं चल रहा था, माननीय अध्यक्ष, लोक सभा को प्रस्तुत किए गए और माननीय अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 280 के अंतर्गत प्रतिवेदनों के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया। मामले को दिनांक 15 अप्रैल, 2021 के लोक सभा समाचार-भाग दो संख्या 2483 के माध्यम से विधिवत अधिसूचित किया गया।

6. मंत्री द्‌वारा वक्तव्य

उपभोक्ता मामले, खाद्‌य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति) ने ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2019-20) के संबंध में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया।

7. राजभाषा समिति के लिए लोक सभा के एक सदस्य के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री अजय कुमार मिश्र ने श्री अमित शाह की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव किया:-

> "कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उप-धारा 2 के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य एकल संक्रमणीय मत द्‌वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार श्री राम स्वरूप शर्मा, जिनका 17 मार्च, 2021 को निधन हो गया था, *के स्थान पर* अपने में से एक सदस्य को राजभाषा समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित करें ।"

8. अनुदानों की अनुपूरक मांगें

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2021-22 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें - प्रथम बैच को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

9. अतिरिक्त अनुदानों की मांगें

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2017-18 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

अपराह्न 2.08 बजे

10. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

(1) श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया द्वारा राजस्थान के भीलवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री परबतभाई सवाभाई पटेल द्वारा बनासकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, गुजरात में भारतमाला परियोजना से संबंधित किसानों की शिकायतों के बारे में।

(3) श्री राजू बिष्ट द्वारा दार्जीलिंग में सुरक्षा परिदृश्य के बारे में।

(4) श्री राजेश वर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश सीतापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में शंकरपुर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म के विस्तार और पैदल उपरि पुल के निर्माण का कार्य किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री राजीव प्रताप रूडी द्वारा बिहार के सारण में मेगा रिवर लिंकिंग परियोजना के बारे में।

(6) डॉ निशिकांत दुबे द्वारा देवघर-पीरपैंती बरास्ता गोड्डा रेल लाइन के बारे में।

(7) श्री मोहन मंडावी द्वारा छत्तीसगढ़ में वनोत्पादों का मूल्य नियत किए जाने के बारे में।

(8) श्री चुन्नीलाल साहू द्वारा छत्तीसगढ़ में नदियों में रेत और पत्थर के कथित अवैध खनन के बारे में।

(9) श्री प्रवेश साहिब सिंह द्वारा दिल्ली में जल संकट के बारे में।

(10) श्री नारणभाई काछड़िया द्वारा गुजरात में, विशेष रूप से अमरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में तोकते (ताऊते) चक्रवाती तूफान से प्रभावित हुए लोगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री जुगल किशोर शर्मा द्वारा जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में उन किसानों, जिनकी भूमि तारबंदी के उद्देश्य से अधिगृहीत की गई है, को पर्याप्त मुआवजा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री जगदम्बिका पाल द्वारा संविधान की आठवीं अनुसूची में भोजपुरी, राजस्थानी और भोटी भाषा को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री रवि किशन द्वारा गोरखपुर और दिल्ली के बीच वंदे-भारत रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री (एडवोकेट) अदूर प्रकाश द्वारा केरल के अटिंगल में मुथलाप्पोझी मत्स्यन बंदरगाह पर निरंतर हो रही दुर्घटनाओं के बारे में।

(15) डॉ. वी. कलानिधि द्वारा उत्तर चेन्नै में सीवेज और पानी की लाइनें पुनः बिछाए जाने के बारे में।

(16) श्री सी. एन. अन्नादुरई द्वारा चेन्नै और तिरुवनमलाई के बीच रेलगाड़ी संपर्क के बारे में।

(17) प्रो. सौगत राय द्वारा जीएसटी के अंतर्गत पेट्रोलियम उत्पादों को शामिल किए जाने के बारे में।

(18) श्री ओम प्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर द्वारा महाराष्ट्र के उस्मानाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण उन किसानों, जिन्हें नुकसान हुआ है, को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) श्री दिलेश्वर कामैत द्वारा बिहार में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ का कोई स्थाई समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(20) श्री महेश साहू द्वारा तलचर ताप विद्युत केंद्र के बारे में।

(21) श्री (एडवोकेट) ए.एम.आरिफ़ द्वारा लक्षद्वीप में विनियमों को वापस लिए जाने के बारे में।

(22) श्री थोमस चाज़िकाडन द्वारा दिल्ली में चर्च को गिराए जाने के बारे में।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 2.09 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 3.00 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 3.00 बजे

11. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने कार्य मंत्रणा समिति का 22वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

अपराह्न 3.01 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा गुरूवार, 22 जुलाई, 2021 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरूवार, 22 जुलाई, 2021/31 आषाढ़, 1943 (शक)

संख्या 117

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 41**, 42 (48,50** और 60; 42 के साथ युग्मित) के मौखिक उत्तर दिए गए।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.11 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई)

तारांकित प्रश्न संख्या 43 से 47,49 और 51 से 59 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 461 से 690 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

***3. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी**

अध्यक्ष ने सदस्यगणों के सभी वर्गों से सभा की मर्यादा और गरिमा बनाए रखने की अपील की।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; और संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा जल शक्ति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडु) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

---

* पूर्वाह्न 11.10 बजे की गई। मूल हिन्दी में। विवरण के लिए, कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

(दो) नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री राजेश वर्मा ने अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किये-

(1) कोयला मंत्रालय से संबंधित "कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) और साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) में रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय" विषय संबंधी समिति (2019-20) का तीसरा प्रतिवेदन।

(2) रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित "राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ) में रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपाय" विषय संबंधी समिति (2019-20) का चौथा प्रतिवेदन।

*** इन प्रतिवेदनों को अध्यक्ष, लोक सभा के निदेश के निदेश 71क के अंतर्गत 13.06.2020 और 25.07.2020 को माननीय अध्यक्ष, लोक सभा को प्रस्तुत किया गया। माननीय अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 280 के अंतर्गत प्रतिवेदनों के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया।**

(3) रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित "नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल) में रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय" विषय संबंधी समिति (2019-20) का पांचवा प्रतिवेदन।

(4) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्च शिक्षा विभाग) से संबंधित "दिल्ली विश्वविद्यालय में पीएचडी में प्रवेश और शिक्षकों की नियुक्ति में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपाय" विषय संबंधी समिति (2019-20) का छठा प्रतिवेदन।

(5) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित "केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) में रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय" के बारे में समिति के बीसवें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति (2019-20) का सातवां प्रतिवेदन।

(6) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित "संघ राज्यक्षेत्रों, पीएसयू आदि सहित भारत सरकार के नियंत्रणाधीन सेवाओं और पदों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए रोजगार में क्रीमीलेयर के युक्तिकरण" के बारे में समिति के इक्कीसवें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति (2019-20) का आठवां प्रतिवेदन।

6. श्रम संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री भोला सिंह ने श्रम संबंधी स्थायी समिति (2020-21) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किये-

(1) "राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएफटी) का कार्यकरण" संबंधी बीसवां प्रतिवेदन।

(2) "टीवी/प्रसारण/डिजिटल मनोरंजन/विज्ञापन उद्योग कामगारों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण" विषय के संबंध में समिति के 44वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी इक्कीसवां प्रतिवेदन।

(3) "शेड्यूल्ड/नॉन-शेड्यूल्ड/टेस्ट फ्लाइंग एयर ऑपरेटर/अनुरक्षण, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) कंपनियां/एयरपोर्ट ऑपरेटर - उनके कामगारों/कर्मचारियों, विशेष रूप से उनके संदर्भ में जो नागर विमानन क्षेत्र में विमान की उड़ान से सम्बद्ध हैं, के लिए सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा उपाय और मानदंड" विषय के बारे में समिति के 45वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी बाईसवां प्रतिवेदन।

(4) "नियोक्ताओं द्वारा भविष्य निधि, ईएसआई और टीडीएस (आयकर आदि का) की कटौती और निक्षेप के विहित उपबंधों का अनुपालन" विषय के बारे में समिति के 52वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी तेईसवां प्रतिवेदन।

(5) "भविष्य निधियों, पेंशन निधियों द्वारा बॉन्ड और ऐसे लिखतों - (इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाइनेंशियल सर्विसेज (आईएल एण्ड एफएस) का

उदाहरण) में निवेश के दिशा-निर्देश, निगरानी, रेटिंग और नियामक प्रणाली, स्थिति" विषय के बारे में समिति के 57वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी चौबीसवां प्रतिवेदन।

7. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री सुनील बाबूराव मेंढे ने "भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2021" के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति का 292वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे।

8. प्रस्ताव

श्री प्रहलाद जोशी ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया-

"कि यह सभा 20 जुलाई, 2021 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 22वें प्रतिवेदन से सहमत है। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.06 बजे

9. सरकारी विधेयक - पुर:स्थापित

(एक) अंतर्देशीय जलयान विधेयक, 2021

अपराह्न 12.09 बजे

(दो) अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक, 2021

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन ने विधेयक के पुर:स्थापन का विरोध किया और मंत्री से स्पष्टीकरण मांगा।

रक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अजय भट्ट) ने रक्षा मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) की ओर से सदस्य द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर दिए।

तत्पश्चात्, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पुर:स्थापित किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.13 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 2.00 बजे

10. अध्यादेश के संबंध में विवरण - सभा पटल पर रखा गया

आवश्यक रक्षा सेवा अध्यादेश, 2021 (2021 का संख्यांक 7) के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा गया।

अपराह्न 2.01 बजे

11. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

(1) श्री उन्मेश बी. पाटिल द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना के बारे में ।

(2) श्री विष्णु दयाल राम द्वारा झारखंड के पलामू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नीलगाय द्वारा फसल को हुई क्षति के कारण जिन किसानों को हानि हुई है, उन्हें मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(3) श्री गोपाल चिनय्या शेट्टी द्वारा राजनीतिक दलों के बीच मतदान पूर्व गठबंधन के बारे में ।

(4) श्री गणेश सिंह द्वारा मध्य प्रदेश के सतना जिले में पर्यटक स्थल या तीर्थस्थल बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(5) श्री अशोक कुमार रावत द्वारा उत्तर प्रदेश के मिश्रिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गौसगंज से होकर संडीला से मेंहदी घाट तक सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता के बारे में ।

(6) श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा बिहार के औरंगाबाद जिले से होकर गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 को छह लेन में परिवर्तित तथा राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े नदी के पुलों की भी मरम्मत किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(7) श्री देवजी एम. पटेल द्वारा राजस्थान के जालौर और सिरोही जिले में भू-जल स्तर का पुनर्भरण किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(8) श्रीमती रमा देवी द्वारा बिहार के शिवहर, सीतामढ़ी और पूर्वी चम्पारण जिलों में बाढ़ प्रभावित लोगों को पर्याप्त मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(9) श्री छेदी पासवान द्वारा बिहार के कैमूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में तिलहर कुण्ड का जल जगदहवा बांध में प्रवाहित करने हेतु सिंचाई परियोजना के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(10) श्री अरुण साव द्वारा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किए जाने के कार्य के विकास की गति में तेजी लाने की आवश्यकता के बारे में ।

(11) श्री बिद्युत बरन महतो द्वारा झारखंड के जमशेदपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत कुछ पंचायतों का ग्राम पंचायतों के रूप में पुनर्वर्गीकरण किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(12) श्री सु. थिरुनवुक्करासर द्वारा कराईकुडी-अरंथनगी-तिरुवरुर बीजी खंड पर रेल सेवाएं फिर से बहाल किए जाने के बारे में ।

(13) श्री दीपक बैज द्वारा छत्तीसगढ़ में किसानों को पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(14) डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन द्वारा मेकेदत्तु परियोजना के बारे में ।

(15) श्रीमती अपरूपा पोद्दार द्वारा विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षण के बारे में ।

(16) श्री कोटागिरी श्रीधर द्वारा एक-बार प्रयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध के बारे में ।

(17) श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ द्वारा रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल की कीमत में वृद्धि के बारे में।

(18) श्री चन्देश्वर प्रसाद द्वारा बिहार के अरवल जिला स्थित मधुश्रवा को पर्यटक स्थल घोषित कर उसे विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(19) श्री कुंवर दानिश अली द्वारा उत्तर प्रदेश के गजरौला स्थित बहुराष्ट्रीय कंपनी, जहां जून, 2020 में जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, को मानव बस्तियों से दूर अंतरित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(20) श्री जयदेव गल्ला द्वारा विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के निजीकरण के बारे में।

(21) श्री हनुमान बेनीवाल द्वारा राजस्थान के नागौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 2.02 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 4.00 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 4.01 बजे

(निरंतर व्यवधान के कारण, लोक सभा शुक्रवार, 23 जुलाई, 2021 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 23 जुलाई, 2021/1 श्रावण, 1943 (शक)

संख्या 118

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने सभा की ओर से भारतीय दल को 23 जुलाई, 2021 से टोकियो, जापान में आयोजित किए जाने वाले 32वें ग्रीष्म कालीन ओलंपिक्स में उनकी प्रतिभागिता के लिए शुभकामनाएं दीं।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 61 और 62 (68 और 73; 62 के साथ युग्मित) के मौखिक उत्तर दिए गए।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.17 बजे स्थगित हुई और

मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई)

तारांकित प्रश्न संख्या 63 से 67, 69 से 72 और 74 से 80 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 691 से 920 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री भूपेन्द्र यादव) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्यमंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) की ओर से श्री चित्र तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम अधिनियम, 1980 की धारा 33 के अंतर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, श्री चित्र तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम (निदेशक की नियुक्ति तथा वेतन और भत्ते) नियम, 2021, जो 15 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 40 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2021, जो 1 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 243(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पॉलिविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) पाइप और फिटिंग में लेड स्टैबलाइजर नियम, 2021, जो 31 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 228(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 25 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 350(अ) जो 28 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो एनसीआर में चूना भट्टियों में पेट कोक के विक्रय और उपयोग के बारे में हैं।

(दो) का.आ. 2(अ) जो 1 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो द्वीप तटीय विनियमन क्षेत्र (आईसीआरजेड) में, उसमें उल्लिखित, संशोधनों के बारे में है।

(तीन) का.आ. 2239(अ) जो 10 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो द्वीप तटीय विनियमन क्षेत्र (आईसीआरजेड) में, उसमें उल्लिखित, संशोधनों के बारे में है।

(चार) का.आ. 2353(अ) जो 17 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण का राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए गठन किया गया है।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा आयुष मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. मुंजपरा महेन्द्रभाई) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ. मनोज राजोरिया ने वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) "भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था की समीक्षा" संबंधी 161वां प्रतिवेदन।

(2) "कृषि और समुद्री उत्पादों, बागवानी फसलों, हल्दी और कॅयर का निर्यात" के बारे में 154वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 162वां प्रतिवेदन।

6. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री तीरथ सिंह रावत ने "देश में विमानन संयोजनता की स्थिति" के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति का 293वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

7. मंत्री द्वारा वक्तव्य

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्यमंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) ने निम्नलिखित वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेः-

(1) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के 333वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-22) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के 342वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

8. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने सोमवार, 26 जुलाई, 2021 से आरंभ होने वाले सप्ताह के दौरान सरकारी कार्य के बारे में वक्तव्य दिया।

9. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2021-22) के लिए लोक सभा के एक सदस्य के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने श्री प्रहलाद जोशी की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव किया:-

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 312ख के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उप-नियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से, श्रीमती मीनाक्षी लेखी, जो मंत्री के रूप में नियुक्त हो गई हैं, *के स्थान पर* सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के कार्यकाल के शेष भाग के लिए समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

10. प्राक्कलन समिति (2021-22) के लिए लोक सभा के एक सदस्य के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री गिरीश भालचन्द्र बापट ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया:-

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 311 के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उप-नियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से, श्री अजय भट्ट, जो मंत्री के रूप में नियुक्त हो गए हैं, *के स्थान पर* प्राक्कलन समिति के कार्यकाल के शेष भाग के लिए समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

11. लोक लेखा समिति (2021-22) के लिए लोक सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

डॉ. सत्यपाल सिंह ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया:-

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 309 के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उप-नियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से, श्रीमती दर्शना जरदोश और श्री अजय मिश्र टेनी, जो मंत्रियों के रूप में नियुक्त हो गए हैं, *के स्थान पर* लोक लेखा समिति के कार्यकाल के शेष भाग के लिए समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12. लोक लेखा समिति (2021-22) के लिए राज्य सभा के दो सदस्यों को सहयोजित करने हेतु प्रस्ताव

डॉ. सत्यपाल सिंह ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया:-

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा श्री भूपेन्द्र यादव और श्री राजीव चन्द्रशेखर, जो मंत्रियों के रूप में नियुक्त हो गए हैं, *के स्थान पर* सभा की लोक लेखा समिति के कार्यकाल के शेष भाग के लिए समिति के साथ सहयोजित होने के लिए राज्य सभा से दो सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

13. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति (2021-22) के लिए लोक सभा के तीन सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री तापिर गाव ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया:-

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 331ख के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उप-नियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से, श्री ए. नारायण स्वामी, श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा और श्री इंजीनियर बिश्वेश्वर टुडु, जो मंत्रियों के रूप में नियुक्त हो गए हैं, *के स्थान पर* अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के कार्यकाल के शेष भाग के लिए समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से तीन सदस्य निर्वाचित करें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

14. अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति (2021-22) के लिए लोक सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री राजेश वर्मा ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया:-

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 254 के उप-नियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से, श्री संजय सेठ, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है और श्री कपिल मोरेश्वर पाटील, जो मंत्री के रूप में नियुक्त हो गए हैं, *के स्थान पर* अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के कार्यकाल के शेष भाग के लिए समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

15. अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति (2021-22) के लिए राज्य सभा के दो सदस्यों को सहयोजित करने हेतु प्रस्ताव

श्री राजेश वर्मा ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया:-

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा श्री के. के. रागेश, जो राज्य सभा से सेवानिवृत्त हो गए हैं और श्री बी.एल. वर्मा, जो मंत्री के रूप में नियुक्त हो गए हैं, *के स्थान पर* सभा की अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के कार्यकाल के शेष भाग के लिए समिति के साथ सहयोजित होने के लिए अपने में से दो सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

16. वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के संबंध में प्रस्ताव - समय बढ़ाया जाना

श्री पी.पी. चौधरी ने निम्नलिखित प्रस्ताव कियाः-

"कि यह सभा वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए समय को संसद के शीतकालीन सत्र, 2021 के पहले सप्ताह तक बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.16 बजे

17. नियम 377 के अधीन मामले।

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

(1) श्री अर्जुन लाल मीणा द्वारा राजस्थान की महान ऐतिहासिक हस्तियों से संबद्ध स्थानों को 'प्रसाद' और 'स्वदेश दर्शन' स्कीम के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने तथा राजा राणा पंजा की प्रतिमा भी संस्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(2) श्री रंजीतसिन्हा हिंदूराव नाईक निम्बालकर द्वारा महाराष्ट्र में नीरादेवघर बांध से जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नहर के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(3) श्री राहुल कस्वां द्वारा राजस्थान के चुरु संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सभी किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल किए जाने के बारे में ।

(4) डॉ. सुकान्त मजूमदार द्वारा पश्चिम बंगाल के जिलों और गारो पहाड़ियों के बीच बेहतर सड़क संपर्क व्यवस्था के बारे में ।

(5) श्री सुमेधानन्द सरस्वती द्वारा देश में कुकुरमुत्ते की तरह फैल रहे बिना मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और संस्थानों के शिकार होने वाले विद्यार्थियों के हित की रक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(6) श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी द्वारा ओडिशा विशेष रूप से बालासोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अतिरिक्त भवनों की स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(7) श्री (एडवोकेट) डीन कुरियाकोस द्वारा दवाओं पर जीएसटी और आयात शुल्क माफ किए जाने के बारे में ।

(8) डॉ. ए. चेल्लाकुमार द्वारा कर्नाटक के मारकंडे नदी के ऊपर नए बांध का निर्माण किए जाने के बारे में ।

(9) श्री के. रघु राम कृष्ण राजू द्वारा आंध्र प्रदेश के वित्तीय संकट के बारे में ।

(10) श्री श्रीरंग आप्पा बारणे द्वारा बम्बई उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ की पुणे में स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(11) श्री सुनील कुमार पिन्टू द्वारा बिहार के सीतामढ़ी में भगवान श्रीराम की भार्या माता सीता का मंदिर बनाए जाने तथा सीतामढ़ी के बरास्ते अयोध्या से जनकपुर तक एक ट्रेन भी चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(12) श्री भर्तृहरि महताब द्वारा बालासौर स्थित दुर्गादेवी सेटलमेंट को संरक्षित स्थल घोषित किए जाने के बारे में ।

(13) श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा राष्ट्रीय स्तर के नैनो वस्त्र प्रौद्योगिकी शोध संस्थान के बारे में ।

अपराह्न 12.17 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा सोमवार, 26 जुलाई, 2021 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 26 जुलाई, 2021/4 श्रावण, 1943 (शक)

संख्या 119

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने सभा की ओर से कारगिल युद्ध के शहीदों को कारगिल विजय की 22वीं वर्षगांठ पर श्रृद्धांजलि अर्पित की।

तत्पश्चात्, सदस्य कारगिल युद्ध के शहीदों की स्मृति के सम्मान में थोड़ी देर के लिए मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

2. अध्यक्ष द्वारा बधाई

अध्यक्ष ने सभा की ओर से भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने के लिए भारतीय भारोत्तोलक चानू साइखोम मीराबाई को बधाई दी। उन्होंने 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स में प्रतिभागिता कर रहे अन्य भारतीय दलों को भी शुभकामनाएं दीं।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

3. **तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 81, 82 (82 के साथ 94 युग्मित), 83 (83 के साथ 100 युग्मित) और 84 (84 के साथ 96 युग्मित) के मौखिक उत्तर दिए गए।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.24 बजे स्थगित हुई और

अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई)

तारांकित प्रश्न संख्या 85 से 93, 95 और 97 से 99 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

4. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 921 से 1150 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 2.00 बजे

5. सभा पटल पर रखे गए पत्र

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री भूपेन्द्र यादव) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 97 की उप-धारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या एन-12/13/1/2019-पीएंडडी, जो 6 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को संशोधित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 की धारा 29 की उप-धारा (4) के अंतर्गत पेट्रोलियम (संशोधन) नियम, 2021 जो 17 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 196(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति, वितरण का विनियमन और कदाचार निवारण) (संशोधन) आदेश, 2021 जो 23 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 203(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) सॉल्वेंट, रैफिनेट और स्लोप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाइल में उपयोग का निवारण) संशोधन आदेश, 2021 जो 1 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 463(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) का.आ. 2133 (अ) जो 2 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा निदेश दिया गया है कि तेल कंपनियां संपूर्ण राज्यों और संघ-राज्य क्षेत्रों में भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देशनों के अनुसार 20 प्रतिशत तक एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का विक्रय करेंगी।

वित्त मंत्री; और कार्पोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) ने सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या 38/2021-सीमा शुल्क जो दिनांक 26 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 30-6-2017 की अधिसूचना संख्या 50/2017-सी.शु. में कतिपय

संशोधन किए गए हैं जिससे कि (क) संयुक्त राज्य अमेरिका से भिन्न किन्हीं अन्य देशों में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित लेंटिल्स (मसूर) (एचएस 0713 40 00) पर लगने वाले आधारभूत सीमा शुल्क को 10 प्रतिशत से कम करके शून्य किया जा सके और (ख) संयुक्त राज्य अमेरिका में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित लेंटिल्स (मसूर) (एचएस 0713 40 00) पर लगने वाले आधारभूत सीमा शुल्क को 30 प्रतिशत से कम करके 20 प्रतिशत किया जा सके, तथा दिनांक 1-2-2021 की अधिसूचना संख्या 11/2021-सीमा शुल्क में भी कतिपय संशोधन किए गए हैं जिससे कि सभी लेंटिल्स (मसूर) (एचएस 0713 40 00)) पर लगने वाले कृषि अवसंरचना विकास उपकर को 20 प्रतिशत की वर्तमान दर से कम करके 10 प्रतिशत किया जा सके, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा पटल पर रखा। उपर्युक्त संशोधन 27-7-2021 से लागू होंगे।

6. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री एंटो एन्टोनी ने परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति का "संग्रहालयों और पुरातात्विक स्थलों का विकास और संरक्षण - चुनौतियां और अवसर" विषय संबंधी 294वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

7. सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021

8. अध्यादेश के संबंध में विवरण - सभा पटल पर रखा गया

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (2021 का संख्यांक 3) के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान बनाये जाने के कारणों को दर्शाने वाला स्पष्टीकारक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 2.06 बजे स्थगित हुई और

अपराह्न 2.45 बजे पुन: समवेत हुई)

(निरंतर व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 2.48 बजे स्थगित हुई और

अपराह्न 3.00 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 3.00 बजे

9. नियम 377 के अधीन मामले।

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

(1) श्री रंजीतसिन्हा हिंदूराव नाईक निम्बालकर द्वारा 'धनगर' जाति के लोगों को जाति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(2) श्री कुनार हेम्ब्रम द्वारा पश्चिम बंगाल के दुलुंग नदी पर सड़क पुल का निर्माण किए जाने के बारे में ।

(3) श्री आर.के. सिंह पटेल द्वारा 'विन्ध्य-बुंदेलखंड' नाम से एक नया राज्य बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(4) डॉ. उमेश जी. जाधव द्वारा कलबुर्गी नगर निगम को प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम में सम्मिलित किए जाने के बारे में ।

(5) श्री राजेश वर्मा द्वारा सीतापुर और लखीमपुर खिरी जिलों के ऐतिहासिक मंदिरों, मठों और किलों का सर्वेक्षण कराए जाने और उन्हें संस्कृति विभाग के अंतर्गत लाए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(6) श्री दिलीप शइकीया द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु पात्र परिवारों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(7) श्री छेदी पासवान द्वारा बिहार के अकबरपुर (रोहतास जिला) से अघौरा (कैमूर जिला) तक सड़क निर्माण किए जाने के बारे में ।

(8) कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल द्वारा छोटे राज्यों के गठन हेतु एक बोर्ड गठित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(9) श्री सुमेधानन्द सरस्वती द्वारा नॉर्थ-ईस्ट एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 12505/12506) और सैनिक एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 14021/14022) की सेवाओं का विलय किए जाने के बारे में ।

(10) श्री रविन्दर कुशवाहा द्वारा उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में महिला कॉलेज स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(11) श्री अशोक कुमार रावत द्वारा उत्तर प्रदेश के मिश्रिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 99 के कथित रूप से घटिया निर्माण किए जाने के बारे में।

(12) श्री खगेन मुर्मु द्वारा पश्चिम बंगाल के माल्दहा जिले में हर साल बाढ़ आने और भूमि अपरदन को रोकने हेतु योजना बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(13) श्री एस. रामलिंगम द्वारा विक्रावंडी से तंजावुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ग के बारे में ।

(14) डॉ. बी.वी. सत्यवती द्वारा आन्ध्र प्रदेश में मोबाइल सेक्टर स्वास्थ्य संस्थान की स्थापना के बारे में ।

(15) प्रो. सौगत राय द्वारा पेगासस स्पाइवेयर जासूसी के संबंध में न्यायिक आयोग के बारे में ।

(16) डॉ. अरविंद सावंत द्वारा मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के निजीकरण के बारे में ।

(17) डॉ. आलोक कुमार सुमन द्वारा बिहार के गोपालगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 531 से जोड़ते हुए रिंगरोड का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(18) श्री कुंवर दानिश अली द्वारा उत्तर प्रदेश के अमरोहा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में किसानों के गन्ना बकाए को जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(19) श्री एम.सेल्वराज द्वारा नागपट्टीनम में विमानपत्तन बनाए जाने के बारे में ।

अपराह्न 3.02 बजे

10. सरकारी विधेयक - **पारित**

(एक) फेक्टर विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020

लिया गया समय: 13 मिनट

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव पेश किया।

विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड वार विचार आरंभ हुआ।-

खंड 2 से 6 स्वीकृत हुए।

खंड 1, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने विधेयक, यथासंशोधित, को पारित करने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, यथासंशोधित, पारित हुआ।

अपराह्न 3.15 बजे

(दो) राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध संस्थान विधेयक, 2021, राज्य सभा द्वारा यथापारित

लिया गया समय: 6 मिनट

श्री पशुपति कुमार पारस ने विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव पेश किया।

विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 से 4 स्वीकृत हुए।

खंड 5 स्वीकृत हुआ।

खंड 6 स्वीकृत हुआ।

खंड 7 से 10 स्वीकृत हुए।

खंड 11 स्वीकृत हुआ।

खंड 12 और 13 स्वीकृत हुए।

खंड 14 से 41 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री पशुपति कुमार पारस ने विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित को पारित करने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।

अपराह्न 3.21 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा मंगलवार, 27 जुलाई, 2021 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 27 जुलाई, 2021/5 श्रावण, 1943 (शक)

संख्या 120

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. **निधन संबंधी उल्लेख***

अध्यक्ष ने मॉरीशस गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री सर अनिरुद्ध जगन्नाथ तथा ज़ाम्बिया गणराज्य के संस्थापक और प्रथम राष्ट्रपति महामहिम डॉ. केनेथ डेविड बूचीझया कौंडा के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्माओं की स्मृति के सम्मान में कुछ देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

2. तारांकित प्रश्न

प्रश्न संख्या 101 से 103 के मौखिक उत्तर दिए गए।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.25 बजे स्थगित हुई और

पूर्वाह्न 11.45 बजे पुन: समवेत हुई)

प्रश्न संख्या 104 का मौखिक उत्तर दिया गया।

पूर्वाह्न 11.45 बजे

(निरंतर व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.48 बजे स्थगित हुई और

अपराह्न 12.01 बजे पुन: समवेत हुई)

तारांकित प्रश्न संख्या 105 से 120 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

---

* मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1151 से 1380 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) की ओर से संविधान के अनुच्छेद 323(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(1) संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 का 70वां वार्षिक प्रतिवेदन।

(2) प्रतिवेदन के अध्याय नौ में प्रतिवेदित मामलों के संबंध में आयोग की सलाह को स्वीकार न करने के कारण दर्शाने वाला ज्ञापन।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 40 के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता मूल्यांकन) तीसरा संशोधन विनियमन, 2021 जो 4 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. बीएस/11/11/2021 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 105 के अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) (संशोधन) नियम, 2021 जो 17 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 328(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन को हटाना (दूसरा संशोधन) आदेश, 2020 जो 23 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 3776 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन को हटाना (संशोधन) आदेश, 2021 जो 2 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 2674 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(4) उपर्युक्त (3) की मद संख्या (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण

दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) भारत रूरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारत रूरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत दिल्ली पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) राष्ट्रीय जांच अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 26 के अंतर्गत गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय जांच अभिकरण अनुसचिवीय संवर्ग समूह 'ख' पद (वरिष्ठ निजी सचिव, अनुभाग अधिकारी/कार्यालय अधीक्षक, सहायक, आशुलिपिक ग्रेड 'I' और लेखाकार) भर्ती नियम, 2021 जो 7 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 391 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 148 की उप-धारा (2) के अंतर्गत दिल्ली पुलिस (दंड और अपील) (संशोधन) नियम, 2020 जो 4 मार्च, 2020 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. 16/01/2019/एचपी-एक/स्था./6113 से 6118 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (सुश्री शोभा कारान्दलाजे) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) स्मॉल फार्मर्स एग्री-बिजनेस कंसोर्टियम, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्मॉल फार्मर्स एग्री-बिजनेस कंसोर्टियम, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश चौधरी) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) रानी लक्ष्मी बाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) रानी लक्ष्मी बाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, समस्तीपुर के वर्ष 2016-2017 से 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय कुमार) की ओर से वर्ष 2019-2020 के लिए संघ के विभिन्न शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रसार और विकास और उसके प्रगामी प्रयोग को संवर्धित करने और उसके कार्यान्वयन के लिए कार्यक्रम के बारे में 51वें वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रवीण पवार) की ओर से खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय पर प्रतिषेध और प्रतिबंध) तीसरा संशोधन विनियम, 2021 जो 8 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. मानक/एसपी-15/टी[टी(आईएमएसटी)] में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

5. विदेशी मामलों संबंधी समिति का विवरण

श्री पी.पी.चौधरी ने 'भावी उत्प्रवासियों के लिए समुचित विधायी ढांचा और कौशल विकास पहलों सहित प्रवासी कामगारों से संबंधित मुद्दे' विषय पर तेईसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के उत्तरों पर विदेशी मामलों संबंधी समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

6. उद्योग संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री बिद्युत बरन महतो ने उद्योग संबंधी स्थायी समिति का "एमएसएमई क्षेत्र पर कोविड-19 महामारी का प्रभाव और इसका सामना करने के लिए अपनायी गयी उपशमन रणनीति" विषय संबंधी 308वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

7. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री रमेश चन्द्र माझी ने परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति का "देश में पर्यटक स्थलों की संभाव्यता - संपर्क और आउटरीच" विषय संबंधी 295वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.05 बजे स्थगित हुई और

अपराह्न 12.30 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 12.30 बजे

(निरंतर व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.31 बजे स्थगित हुई और

अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 2.00 बजे

8. नियम 377 के अधीन मामले।

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

(1) श्रीमती जसकौर मीना द्वारा राजस्थान में ग्राम सरपंचों की शक्तियों के बारे में ।

(2) डॉ निशिकांत दुबे द्वारा झारखंड के देवघर में सांस्कृतिक पर्यटन के बारे में।

(3) श्री मनसुखभाई डी. वसावा द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के बारे में।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 2.06 बजे स्थगित हुई और

अपराह्न 2.30 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 2.30 बजे

(4) श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा द्वारा गुजरात के बारदौली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में चीनी मिलों को निर्यात सब्सिडी का भुगतान शीघ्र किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री रामदास सी. द्वारा महाराष्ट्र के वर्धा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नाफेड द्वारा 'चना-हरभरा' की खरीद सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री मुकेश राजपूत द्वारा इंटरनेट पर वेब सीरीज के माध्यम से दिखाए जा रहे आपत्तिजनक सामग्री पर रोक लागाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री मोहन मंडावी द्वारा छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में आदिवासियों के धर्मांतरण के बारे में ।

(8) श्रीमती रीती पाठक द्वारा सिंगरौली-जबलपुर के बीच इंटरसिटी रेल सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(9) श्री निहाल चन्द चौहान द्वारा राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(10) श्री कृष्ण पाल सिंह द्वारा श्रीकृष्ण जन्मभूमि को उपासना स्थल अधिनियम, 1991 की परिधि से बाहर रखे जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 2.38 बजे स्थगित हुई और

अपराह्न 3.00 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 3.00 बजे

(11) डॉ. हिना विजयकुमार गावीत द्वारा राष्ट्रीय जल विकास परियोजना के पंचाट के अनुसार महाराष्ट्र को पानी दिए जाने के बारे में।

(12) श्री विवेक नारायण शेजवलकर द्वारा किसान आंदोलन के बारे में ।

(13) श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा झारखंड के चतरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बरवाडीह, लातेहार और छिपादोहर रेलवे स्टेशनों पर रेलगाड़ियों का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(14) श्री चंद्र शेखर साहू द्वारा ओडिशा में आवास प्लस मोबाइल एप्प विंडो को एक महीने के लिए पुन: खोले जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 3.06 बजे स्थगित हुई और

अपराह्न 3.29 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 3.29 बजे

(15) श्री गिरीश भालचन्द्र बापट द्वारा आरसीबीएल से जमाकर्ताओं द्वारा धनराशि निकासी किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(16) श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा बिहार में गया और औरंगाबाद जिलों में आकांक्षावान जिला कार्यक्रम के अंतर्गत विकास किए जाने के बारे में।

(17) श्री मितेष रमेशभाई पटेल द्वारा तारापुर और अरनेज के बीच रेल लाइन के निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 3.35 बजे स्थगित हुई और

अपराह्न 4.00 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 4.00 बजे

(18) श्रीमती गोड्डेति माधवी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्मित होने वाले आवासों के लिए निर्माण लागत को बढ़ाए जाने के बारे में।

(19) श्रीमती कविता सिंह द्वारा बिहार में सिवान स्थित राजेन्द्र कुष्ठ सेवा आश्रम के जीर्णोद्धार किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(निरंतर व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 4.03 बजे स्थगित हुई और

अपराह्न 4.30 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 4.30 बजे

(20) श्री जयदेव गल्ला द्वारा आरओ प्यूरिफायर के उपयोग को विनियमित करने संबंधी अधिसूचना जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

अपराह्न 4.33 बजे

(निरंतर व्यवधान के कारण, लोक सभा बुधवार, 28 जुलाई, 2021 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 28 जुलाई, 2021/6 श्रावण, 1943 (शक)

संख्या 121

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

प्रश्न संख्या 121 से 125, 127, 129, 130, 133 और 137 के मौखिक उत्तर दिए गए। प्रश्न संख्या 126, 128, 131, 132, 134 से 136 और 138 से 140 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1381 से 1610 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री; तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) खान और खनिज (जिला खनिज फाउंडेशन में अभिदाय) संशोधन नियम, 2021 जो 25 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 437(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) खनिज (आण्विक और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों के अलावा) छूट (संशोधन) नियम, 2021 जो 24 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 209(अ) में प्रकाशित हुए

थे।

(तीन) खनिज (आण्विक और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों के अलावा) छूट (तीसरा संशोधन) नियम, 2021 जो 10 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 397(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) खनिज (बोली) संशोधन नियम, 2021 जो 17 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 195(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) खनिज (आण्विक और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों के अलावा) छूट (दूसरा संशोधन) नियम, 2021 जो 8 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 254(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) खनिज (बोली) दूसरा संशोधन नियम, 2021 जो 18 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 422(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) खनिज (खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य) संशोधन नियम, 2021 जो 18 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 421(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) सा.का.नि. 425 (अ) जो 22 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनार्थ हुत्ती गोल्ड माइंस कंपनी लिमिटेड, कर्नाटक को अधिसूचित करना है।

(नौ) सा.का.नि. 438 (अ) जो 25 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 29 जून, 2015 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 516(अ) को निरस्त किया गया है।

(दस) सा.का.नि. 399 (अ) जो 11 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा, उसमें उल्लिखित, क्षेत्र को 1144.06.18 हैक्टेयर विस्तार तक कन्याकुमारी जिले में तटीय बालू खनिजों के लिए मैसर्स आईआरईएल(इंडिया) लिमिटेड के पक्ष में आरक्षित किया गया है।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 14 की उप-धारा (3) के अंतर्गत केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग सदस्य-संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 2021 जो 1 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 464(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 2021 जो 1 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 465(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के खण्ड (5) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, 2021 जो 7 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 10(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) दूसरा संशोधन विनियम, 2021 जो 11 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 398(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(5) (एक) सिविल सेवा अधिकारी संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिविल सेवा अधिकारी संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) भौतिकी संस्थान, भुवनेश्वर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भौतिकी संस्थान, भुवनेश्वर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री; कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) रेल भूमि विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रेल भूमि विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम, 1957 की धारा 21 की उप-धारा (3) के अंतर्गत रेलवे सुरक्षा बल (संशोधन) नियम, 2021 जो 20 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 500(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम प्रकाश) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) भारतीय गुणवत्ता परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय गुणवत्ता परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 78 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) नियम, 2021 जो 30 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 225(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट) की ओर से नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.नि.आ. 15 जो 27 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा यह घोषित किया गया है कि अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह संघ राज्यक्षेत्र में सेवा या ड्यूटी नौसेना अधिनियम, 1957 के प्रयोजनार्थ और उसके अर्थ के अंतर्गत 13 जनवरी 2020 से पांच वर्षों की अवधि के लिए 'सक्रिय सेवा' होगी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री देवुसिंह चौहान) की ओर से वर्ष 2021-2022 के लिए दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा 27 जुलाई, 2021 को हुई अपनी बैठक में नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता विधेयक, 2021, लोक सभा द्वारा यथापारित, पर बिना किसी संशोधन के सहमत हुई ।

5. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री राहुल कस्वां ने परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति का "राष्ट्र निर्माण में राजमार्गों की भूमिका" विषय संबंधी 296वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

6. मंत्रियों द्वारा विवरण

(1) गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय कुमार) ने गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) की ओर से निम्नलिखित के बारे में विवरण सभा पटल पर रखेः-

(एक) "गैर-सीमा रक्षक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड) की कार्यदशाओं" के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 220वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) गृह मंत्रालय से संबंधित "सीमा रक्षक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीमा सुरक्षा बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, सशस्त्र सीमा बल और असम राइफल्स) की कार्यदशाओं" के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 221वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2). उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी.एल. वर्मा) ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-22) के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 232वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.05 बजे

7. नियम 377 के अधीन मामले।

(1) *श्री जुगल किशोर शर्मा द्वारा जम्मू-कश्मीर के जम्मू, पुंछ और राजौरी में सीआरएफ की परियोजनाओं के लिए धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.07 बजे स्थगित हुई और

अपराह्न 12.31 बजे पुन: समवेत हुई)

(निरंतर व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.32 बजे स्थगित हुई और

अपराह्न 2.02 बजे पुन: समवेत हुई)

---

* उन्होंने अपना भाषण अपराह्न 12.31 बजे सभा के पुनः समवेत होने पर पुनः आरंभ किया।

अपराह्न 2.02 बजे

(2) श्री रोड़मल नागर द्वारा मध्य प्रदेश के राजगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मेगाफूड पार्क एवं खाद्य प्रसंस्करण एकक स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री चुन्नी लाल साहू द्वारा बांस उत्पादों के विनिर्माण तथा उनके उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ के महासमुन्द संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कमार जनजाति को बांस उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) डॉ.(प्रो.) किरिट पी. सोलंकी द्वारा विदेशों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को सुविधा प्रदान किए जाने के बारे में।

(5) श्री राजू बिष्ट द्वारा दार्जिलिंग पहाड़ी, तराई और द्वार क्षेत्र के लोगों की मांगों के बारे में।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 2.09 बजे स्थगित हुई और

अपराह्न 2.31 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 2.31 बजे

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

(1) श्रीमती अपराजिता सारंगी द्वारा ओडिशा में प्रति लाख जनसंख्या पर पुलिस अनुपात (पीपीआर) को बढ़ाए जाने के बारे में ।

(2) श्री गोपाल जी ठाकुर द्वारा बिहार में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में ।

(3) श्री संतोष पान्डेय द्वारा राजनंदगाँव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एनटीसी) की जमीन पर आईटी सेक्टर की स्थापना किए जाने के बारे में ।

(4) श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा बिहार के सारण जिले के मशरक में स्थित केन्द्रीय विद्यालय में दो पाली में पढ़ाई कराए जाने की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(5) श्री सत्यदेव पचौरी द्वारा उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित लाल इमली मिल के कर्मचारियों के वेतन, उपदान और अन्य भत्तों की बकाया राशि का भुगतान किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(6) डॉ. रमापति राम त्रिपाठी द्वारा इंटरसिटी ट्रेन (02529/30) की सेवा को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(7) श्री बिद्युत बरन महतो द्वारा झारखंड के जमशेदपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्थित धालभूमगढ़ में एयरपोर्ट के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(8) श्री सुदर्शन भगत द्वारा झारखंड के रांची के इटकी में एम्स स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(9) श्री पी.पी. चौधरी द्वारा राजस्थान के बिलाड़ा और बर के बीच रेल लाइन निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(10) श्री रतनसिंह मगनसिंह राठौड़ द्वारा गोधरा-शमलाजी राजमार्ग को छह लेन में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(11) श्री अशोक महादेवराव नेते द्वारा गढ़चिरौली जिले के वाडसा रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव के बारे में ।

(12) श्री टी.एन. प्रथापन द्वारा केरल में टीकों की कमी के बारे में ।

(13) श्री रवनीत सिंह द्वारा लुधियाना में नए ईएसआई अस्पताल खोले जाने के बारे में ।

(14) डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन द्वारा एचएलएल बायोटेक लिमिटेड यूनिट को तमिलनाडु को सौंपे जाने के बारे में ।

(15) श्री मारगनी भरत द्वारा पात्र व्यक्तियों को एनएफएसए में सम्मिलित किए जाने के बारे में ।

(16) डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे द्वारा ईपीएस-95 योजना के अधीन पेंशन के बारे में ।

(17) श्री चन्देश्वर प्रसाद द्वारा बिहार में नगर गैस वितरण योजना के कार्यान्वयन की गति द्रुत किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(18) श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा एडापल्लीकोट्टा, कोल्लम स्थित एचपीसीएल की भूमि के उपयोग के बारे में ।

अपराह्न 2.32 बजे

8. (एक) सांविधिक संकल्प - पेश नहीं किया गया

(दो) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021 - पारित

लिया गया समय: 05 मिनट

श्री राव इंद्रजीत सिंह ने श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव पेश किया।

विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 से 18 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री राव इंद्रजीत सिंह ने विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 2.37 बजे स्थगित हुई और

अपराह्न 3.00 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 3.00 बजे

9. (एक) वर्ष 2021-22 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें - प्रथम बैच

(दो) वर्ष 2017-18 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगें

लिया गया समय: 09 मिनट

कार्य की निम्नलिखित मदों को एक साथ लिया गया:-

(एक) अनुदानों की अनुपूरक मांग संख्या 3,4,6 से 10, 15, 17, 20, 24, 25, 27 से 29, 31, 34, 35, 40, 42 से 46, 50, 54, 55, 59, 61, 64, 67, 69, 73, 75, 77, 84 से 88, 91, 92, 94, 95, 97, 100 और 101 ।

(दो) अतिरिक्त अनुदानों की मांग संख्या 20, 21 और 39 ।

(एक) अनुदानों की सभी अनुपूरक मांग संख्या 3,4,6 से 10, 15, 17, 20, 24, 25, 27 से 29, 31, 34, 35, 40, 42 से 46, 50, 54, 55, 59, 61, 64, 67, 69, 73, 75, 77, 84 से 88, 91, 92, 94, 95, 97, 100 और 101 (राजस्व लेखा और पूंजी लेखा दोनों) वर्ष 2021-22 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों - प्रथम बैच की मुद्रित सूची के स्तम्भ तीन के अंतर्गत दर्शायी गई राशियों के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुईं ।

(दो) अतिरिक्त अनुदानों की सभी मांग संख्या 20, 21 और 39 (राजस्व लेखा और पूंजी लेखा दोनों) वर्ष 2017-18 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों की मुद्रित सूची के स्तम्भ तीन के अंतर्गत दर्शायी गई राशियों के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुईं ।

अपराह्न 3.04 बजे

10. सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2021

11. सरकारी विधेयक - पारित

विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2021

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विचार करने के लिए पेश किया गया प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।

अपराह्न 3.06 बजे

12. सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2021

13. सरकारी विधेयक - पारित

विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2021

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विचार करने के लिए पेश किया गया प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 3.09 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 4.00 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 4.02 बजे

(निरंतर व्यवधान के कारण, लोक सभा गुरुवार, 29 जुलाई, 2021 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 29 जुलाई, 2021/7 श्रावण, 1943 (शक)

संख्या 122

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. *अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने सभा में कल हुई अशोभनीय घटना के संबंध में एक टिप्पणी की और सदस्यों से सभा के सुचारू कार्यकरण के लिए गरिमा और मर्यादा बनाए रखने की अपील की।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.06 बजे स्थगित हुई और

पूर्वाह्न 11.30 बजे पुनः समवेत हुई)

पूर्वाह्न 11.30 बजे

2. तारांकित प्रश्न

प्रश्न संख्या 141 से 143 (143 के साथ 151 युग्मित) और 145 के मौखिक उत्तर दिए गए। प्रश्न संख्या 144, 146 से 150 और 152 से 160 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1611 से 1840 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री; तथा आयुष मंत्री (श्री सर्वानन्द सोनोवाल) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, नोएडा के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, नोएडा के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की

* मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 की धारा 47 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं. आईएमयू/एचक्यू/एडीएम/अधिसूचना/2021/01 जो दिनांक 21 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय के प्रशासनिक और अकादमिक मामलों संबंधी आठ अध्यादेशों के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने सूचना और प्रसारण मंत्री तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (सेवानिवृत्त) वी.के. सिंह) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 1250(अ) जो 18 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य में एनएच-75 (नया एनएच-44) के 0.000 किमी से 103.000 किमी तक ग्वालियर से झांसी खण्ड (संशोधित खण्ड 16.000 किमी से 98.455 किमी) की चार लेन परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(दो) का.आ. 1251(अ) जो 18 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य के लुधियाना में एनएच-95 को एनएच-1 से वाया लाडोवाल बीज फार्म जोड़ने वाली एनएच-95 के 0.000 किमी से 17.041 किमी तक लाडोवाल बायपास खण्ड की चार लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(तीन) का.आ. 1252(अ) जो 18 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य एनएचडीपी फेज-दो के अंतर्गत एनएच-31 (नया एनएच-27) के 1013.000 डिजाइन किमी से 1040.300 किमी (वर्तमान 1013.000 किमी से 1040.300 किमी) तक नलबाड़ी-बिजनी से गुवाहाटी खण्ड को दो लेन से चार लेन बनाने की परियोजना के लिए

प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(चार) का.आ. 1253(अ) जो 18 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हिमाचल प्रदेश राज्य में एनएच-22 (नया एनएच-05) के 67.000 डिजाइन किमी से 106.139 किमी (वर्तमान 67.000 किमी से 106.000 किमी) तक परवानू-सोलन खण्ड की चार लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(पांच) का.आ. 1254(अ) जो 18 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में एनएच-30 (पुराना एनएच-200) के 0.000 डिजाइन किमी से 48.580 किमी (वर्तमान 0.000 डिजाइन किमी से 45.700 किमी) तक रायपुर-सिम्गा खण्ड की 4/6 लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(छह) का.आ. 1403(अ) जो 30 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में एनएच-752सी के 41.800 किमी से 82.300 किमी तक शुजालपुर-अस्ता खण्ड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(सात) का.आ. 1404(अ) जो 30 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में एनएच-911 के 0.00 डिजाइन किमी से 30.812 डिजाइन किमी तक खाजूवाला से पूगल खण्ड तथा 1.430 डिजाइन किमी से 182.725 डिजाइन किमी तक पूगल-दांतौर-जग्गासर-गोकुल-गोड्डू-रंजीतपुरा-चरणवाला-नोख-बाप खंड की 2/4 लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(आठ) का.आ. 1405(अ) जो 30 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में एनएच-33 के 140.000 डिजाइन किमी से 217.300 किमी (वर्तमान 140.000 डिजाइन किमी से 217.300 किमी) तक रांची-रारगांव खण्ड की 4/6 लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(नौ) का.आ. 1656(अ) जो 16 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में एनएच-82 के 94.478 किमी से 149.053 किमी तक बिहारशरीफ-बरबीघा-मोकामा खण्ड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(दस) का.आ. 1701(अ) जो 27 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच-52 (पुराना एनएच-211) के 290.200 किमी से 320.640 किमी तक औरंगाबाद से करोडी खण्ड के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ. 1702(अ) जो 27 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच-548सीसी के 43.963 किमी से 100.065 किमी तक चिखली-खमगांव खण्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(बारह) का.आ. 1711(अ) जो 29 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच-53 (पुराना एनएच-6) के 300.000 किमी से 422.700 किमी तक चिखली-तरसोड खण्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(तेरह) का.आ. 1712(अ) जो 29 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा

जो गुजरात राज्य में एनएच-48 के 489.185 किमी से 555.905 किमी तक शामलाजी-मोटाचिलोडा-नानाचिलोडा खण्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(चौदह) का.आ. 1713(अ) जो 29 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच-361 के 253.700 किमी से 320.580 किमी तक वारांगा-महागांव खण्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(पंद्रह) का.आ. 1714(अ) जो 29 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में एनएच-536 (पुराना एनएच-210) के 94.000 किमी से 173.500 किमी तक कराइकुडी-रामनाथपुरम खण्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(सोलह) का.आ. 1715(अ) जो 29 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में एनएच-91 के 195.733 किमी से 240.897 किमी तक अलीगढ़-कानपुर खण्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(सत्रह) का.आ. 1804(अ) जो 7 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में एनएच-752सी के 2.700 किमी से 33.000 किमी तक पाचोर-सुलजापुर खण्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(अठारह) का.आ. 1805(अ) जो 7 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में एनएच-91 के 240.897 किमी से 302.108 किमी तक अलीगढ़-कानपुर खण्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(उन्नीस) का.आ. 1851 (अ) जो 12 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच-353डी के 7.300 किमी से 48.400 किमी तक नागपुर-उमरेद खण्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(बीस) का.आ. 1905 (अ) जो 17 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में एनएच-183 के 2.750 किमी से 136.543 किमी तक डिंडीगुल थेनी-कुमीली खण्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(इक्कीस) का.आ. 1951 (अ) जो 24 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में एनएच-49 (पुराना एनएच-6) के 414.982 किमी से 493.300 किमी तक बिंजाबहल-तेलीबानी खण्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(बाईस) का.आ. 2248 (अ) जो 11 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में एनएच-27 (पुराना एनएच-54) के 275.000 किमी से 300.760 किमी तक सिलचर-बालाछेड़ा खण्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(तेईस) का.आ. 2345 (अ) जो 16 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में एनएच-39 (पुराना एनएच-75) के 88.600 किमी से 155.000 किमी तक बमीठा-पन्ना-नागौर-सतना खण्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के

बारे में है।

(चौबीस) का.आ. 2436 (अ) जो 21 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में एनएच-140 के 0.000 किमी से 61.128 किमी तक चित्तूर-मल्लावरम खण्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(पच्चीस) का.आ. 2479 (अ) जो 22 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तेलंगाना राज्य में एनएच-365 के 0.600 किमी से 65.963 किमी तक नकरेकल-तानमचेरला खण्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(छब्बीस) का.आ. 2585 (अ) जो 28 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में एनएच-45 (पुराना एनएच-12) के 10.400 किमी से 66.000 किमी तक जबलपुर-हिरन नदी खण्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(सताईस) का.आ. 2448 (अ) जो 22 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में एनएच-39 (पुराना एनएच-75) के 76.603 किमी से 124.732 किमी तक झांसी-खजुराहो नदी खण्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(अठाईस) का.आ. 2582 (अ) जो 28 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में एनएच-347बी के 0.000 किमी से 34.560 किमी तक टिखरी-अंजाड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(उनतीस) का.आ. 2650 (अ) जो 1 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में एनएच-552विस्तार के 254.370 किमी से 291.800 किमी तक मुरेना-अम्बा-पोरसा खण्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(तीस) का.आ. 2651 (अ) जो 1 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच-548सी के 0.000 किमी से 41.500 किमी तक खमगांव-शेगांव खण्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(इकतीस) का.आ. 2652 (अ) जो 1 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच-547ई के 4.700 किमी से 33.575 किमी तक साउनेर-ढापेवाडा-कलमेश्वर-गोंडखैरी खण्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(बत्तीस) का.आ. 2648 (अ) जो 1 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में एनएच-135बी के 0.000 किमी से 36.710 किमी तक रीवा-सिरमौर खण्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(तैंतीस) का.आ. 2649 (अ) जो 1 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो जम्मू-कश्मीर राज्य में एनएच-44 (पुराना 1ए) के 189.350 किमी से 205.618 किमी तक काजीगुंड-बनिहाल खण्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(चौतीस) का.आ. 2690 (अ) जो 5 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में एनएच-31डी के 0.000 किमी से 83.785 किमी तक

घोषपुकुर-धूपगुड़ी खण्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(पैंतीस) का.आ. 2691 (अ) जो 5 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में एनएच-552 विस्तार के 295.200 किमी से 343.800 किमी तक पोरसा-अटेर-भिंड खण्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(छत्तीस) का.आ. 2698 (अ) जो 5 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में एनएच-7 के 15.100 किमी से 140.200 किमी तक वाराणसी-हनुमान खण्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(सैंतीस) का.आ. 2743(अ) जो 8 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 15 दिसंबर, 2021 की अधिसूचना सं. का.आ. 1760(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अड़तीस) का.आ. 492(अ) जो 2 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा झारखंड राज्य में राजमार्ग सं. 588 को नये राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया गया है।

(उनतालीस) का.आ. 514(अ) जो 3 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चालीस) का.आ. 515(अ) जो 3 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित, राष्ट्रीय राजमार्ग के खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(इकतालीस) का.आ. 516(अ) जो 3 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 24 जनवरी, 2019 की अधिसूचना सं. का.आ. 383(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बयालीस) का.आ. 517(अ) जो 3 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में राजमार्ग सं. 589 को नये राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया गया है।

(तैंतालीस) का.आ. 657(अ) जो 12 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तराखंड राज्य में राजमार्ग सं. 590 को नये राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया गया है।

(चवालीस) का.आ. 833(अ) जो 22 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पैंतालीस) का.आ. 960(अ) जो 26 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में राजमार्ग सं. 592 को नये राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया गया है।

(छियालीस) का.आ. 961(अ) जो 26 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में राजमार्ग सं. 591 को नये राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया गया है।

(सैंतालीस) का.आ. 962(अ) जो 26 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अड़तालीस) का.आ. 1025(अ) जो 3 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(उनचास) का.आ. 1043(अ) जो 4 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य में राजमार्ग सं. 593 को नये राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया गया है।

(पचास) का.आ. 1146(अ) जो 11 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य में राजमार्ग सं. 594 को नये राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया गया है।

(इक्यावन) का.आ. 1278(अ) जो 23 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बावन) का.आ. 1279(अ) जो 23 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं. एनई 3 के खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(तिरपन) का.आ. 1280(अ) जो 23 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 22 मार्च, 2016 की अधिसूचना सं. का.आ. 1175(अ) को निरस्त किया गया है।

(चौवन) का.आ. 1298(अ) जो 23 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में राजमार्ग सं. 597 और 598 को नये राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।

(पचपन) का.आ. 1299(अ) जो 23 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में राजमार्ग सं. 595 और 596 को नये राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।

(छप्पन) का.आ. 1300(अ) जो 23 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में राजमार्ग सं. 600 और 601 को नये राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।

(सतावन) का.आ. 1301(अ) जो 23 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 689(अ) में कतिपय संशोधन

किए गए हैं।

(अठावन) का.आ. 1302(अ) जो 23 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तेलंगाना राज्य में राजमार्ग सं. 599 को नये राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया गया है।

(उनसठ) का.आ. 1385(अ) जो 26 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 75 और 76 के खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(साठ) का.आ. 1386(अ) जो 26 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(इकसठ) का.आ. 1494(अ) जो 7 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में राजमार्ग सं. 602 और 603 को नये राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।

(बासठ) का.आ. 1585(अ) जो 13 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तिरसठ) का.आ. 1948(अ) जो 21 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में राजमार्ग सं. 604 को नये राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया गया है।

(चौसठ) का.आ. 2037(अ) जो 28 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पैंसठ) का.आ. 2038(अ) जो 28 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 17 दिसंबर, 2020 की अधिसूचना सं. का.आ. 4583(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छियासठ) का.आ. 2039(अ) जो 28 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सड़सठ) का.आ. 2040(अ) जो 28 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अड़सठ) का.आ. 2041(अ) जो 28 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 327 विस्तार के खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(उनहत्तर) का.आ. 2042(अ) जो 28 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सत्तर) का.आ. 2139(अ) जो 3 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 30 मार्च, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 460(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(इकहत्तर) का.आ. 2140(अ) जो 3 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 30 मार्च, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 461(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(बहत्तर) का.आ. 2141(अ) जो 3 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की अनुसूची में क्रम सं. 524 के सम्मुख विनिर्दिष्ट नए राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 148एन और उससे संबंधित प्रविष्टियों का अनुसूची से लोप किया गया है।

(तिहत्तर) का.आ. 2142(अ) जो 3 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौहत्तर) का.आ. 2165(अ) जो 7 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पचहत्तर) का.आ. 2178(अ) जो 7 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 233 के खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(छिहत्तर) का.आ. 2179(अ) जो 7 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सतहत्तर) का.आ. 2435(अ) जो 21 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अठहत्तर) का.आ. 2478(अ) जो 22 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा निदेशित किया गया है कि उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 109ट के खंड के विकास और रख-रखाव से संबंधित कार्य सीमा सड़क विकास बोर्ड के अधीन सीमा सड़क विकास संगठन द्वारा किया जाएगा।

(2) (एक) राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, अमेठी के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, अमेठी के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) ओमनीबस इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ दमन एंड दीव तथा दादरा एंड नागर हवेली लिमिटेड, नानी दमन के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) ओमनीबस इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ दमन एंड दीव तथा दादरा एंड नागर हवेली लिमिटेड, नानी दमन का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कौशल किशोर) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 की धारा 36 की उप-धारा (3) के अंतर्गत लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) नियम, 2021 जो 8 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 483(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा 28 जुलाई, 2021 को हुई अपनी बैठक में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021, लोक सभा द्वारा यथापारित, पर बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

6. ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) 'विद्युत क्षेत्र में तनावग्रस्त/गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियाँ' विषय के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 37वें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में समिति के 9वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई।

(2) 'बिजली क्षेत्र में एनपीए के संबंध में तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए आरबीआई के संशोधित फ्रेमवर्क का प्रभाव' विषय के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 40वें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में समिति के 10वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई।

7. मंत्रियों द्वारा विवरण

(1) विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल) ने विद्युत मंत्री; तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (श्री राज कुमार सिंह) की ओर से ने निम्नलिखित के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) विद्युत मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2019-20) के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) विद्युत मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(3)* नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित "नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट से विद्युत उत्पादन" के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(4)* नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 27वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रहलाद सिंह पटेल) ने पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-22) के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा ।

* अपराह्न 12.31 बजे रखा गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.06 बजे स्थगित हुई और

अपराह्न 12.30 बजे पुनः समवेत हुई)

(निरंतर व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.32 बजे स्थगित हुई और

अपराह्न 2.02 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराह्न 2.02 बजे

8. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

(1) श्री अनुराग शर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश के झांसी और ललितपुर जिले में पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने के बारे में।

(2) श्री उन्मेश बी. पाटिल द्वारा महाराष्ट्र में शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए एक अतिरिक्त अवसर प्रदान किए जाने के बारे में ।

(3) डॉ. सुजय राधाकृष्ण विखेपाटील द्वारा पुणे-अहमदनगर-औरंगाबाद-जलगांव रेलवे लाइन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(4) श्री गोपाल चिनय्या शेट्टी द्वारा विमानपत्तन के नजदीक प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवासों के निर्माण को आसान बनाने के लिए मुम्बई में उपयुक्त आब्सटैकल क्लियरेंस अल्टिट्यूड निर्धारित किए जाने के बारे में ।

(5) श्री हँसमुखभाई सोमाभाई पटेल द्वारा गुजरात के अहमदाबाद पूर्व संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के अहमदाबाद-हिम्मतनगर खंड का निर्माण शीघ्र कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री विष्णु दयाल राम द्वारा झारखंड के पलामू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सोन नदी द्वारा होने वाले भूमि अपरदन को रोकने के लिए तटबंध का निर्माण कराए जाने के बारे में ।

(7) श्री भागीरथ चौधरी द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को उम्र सीमा में छूट प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(8) श्री गणेश सिंह द्वारा मध्य प्रदेश के सतना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वाटरशेड विकास परियोजना (डब्ल्यूपीसी) के बारे में ।

(9) श्री अरुण साव द्वारा छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा में लोगों के धर्मान्तरण के बारे में ।

(10) श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे द्वारा कोविड-19 के कारण माता-पिता को खोने वाले बच्चों की पहचान किए जाने तथा उनके पालन-पोषण व शिक्षा के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(11) श्री राहुल कस्वां द्वारा रावी और ब्यास नदी से राजस्थान को उसके हिस्से का पानी दिए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(12) श्री अरुण कुमार सागर द्वारा उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में श्री जदुनाथ सिंह, पीवीसी की याद में एक सैनिक स्कूल स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(13) श्रीमती केशरी देवी पटेल द्वारा 'मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी' को 'अंतरराष्ट्रीय गीता दिवस' घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(14) श्री छतर सिंह दरबार द्वारा मध्य प्रदेश के धार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उच्च कोटि के शैक्षिक एवं तकनीकी संस्थान खोले जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(15) श्री सु. थिरुनवुक्करासर द्वारा पुदुकोट्टई में एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने के बारे में ।

(16) डॉ. मोहम्मद जावेद द्वारा किशनगंज स्थित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय केन्द्र के लिए पदों की स्वीकृति प्रदान करने में हो रहे विलम्ब के बारे में ।

(17) डॉ. टी.आर. पारिवेन्धर द्वारा तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्ग 45 के तम्बरम से चेंगलपट्टु तक छह लेनों वाला एलिवेटेड कोरिडोर का निर्माण तथा चेंगलपट्टु से तिन्डिवनम खंड तक आठ लेनों का मार्ग बनाए जाने के बारे में ।

(18) श्री वी. बालाशौरी द्वारा आन्ध्र प्रदेश के सलुर में केन्द्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय (सीटीयू) की स्थापना किए जाने के बारे में ।

(19) श्री रितेश पाण्डेय द्वारा नई पेंशन योजना के बारे में ।

(20) श्री पी.आर. नटराजन द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जातिवार आंकड़ा एकत्रित किए जाने के बारे में ।

(21) श्री नव कुमार सरनीया द्वारा बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र समझौता के बारे में ।

अपराह्न 2.03 बजे

9. सरकारी विधेयक - पारित

(एक) *भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2021*

लिया गया समय: 14 मिनट

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया द्वारा विधेयक पर विचार करने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया।

विचार के लिए प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।

अपराह्न 2.17 बजे

(दो) *अन्तर्देशीय जलयान विधेयक, 2021*

लिया गया समय: 06 मिनट

श्री सर्वानन्द सोनोवाल द्वारा विधेयक पर विचार करने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया।

विचार के लिए प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 से 114 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री सर्वानन्द सोनोवाल ने विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।

अपराह्न 2.23 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा शुक्रवार, 30 जुलाई, 2021 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 30 जुलाई, 2021/8 श्रावण, 1943 (शक)

संख्या 123

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

प्रश्न संख्या 161 से 163 और 165 के मौखिक उत्तर दिए गए।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.33 बजे स्थगित हुई और

मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई)

प्रश्न संख्या 164 और 166 से 180 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

. अतारांकित प्रश्न संख्या 1841 से 2070 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने सूचना और प्रसारण मंत्री; तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) प्रसार भारती, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 22 के अंतर्गत केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 जो 17 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 416(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और संलग्न क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंध के लिए आयोग अध्यादेश, 2021 की धारा 3 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 1687(अ) जो 23 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित शक्तियों और कृत्यों के अनुप्रयोग के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और संलग्न क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंध के लिए आयोग अध्यादेश, 2021 के नाम से एक निकाय का गठन किया गया है।

(2) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 6 और 25 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 4259(अ) जो 27 नवंबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो उसमें उल्लिखित संघटन के साथ 'पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिए शीर्षस्थ समिति' के गठन के बारे में है।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री; रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश**) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) केंद्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलुरु के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केंद्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलुरु के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केंद्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलुरु के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रवीण पवार) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) दूसरा संशोधन विनियम, 2019 जो 9 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. मानक/एफएंडवीपी/अधिसूचना(07)/एफएसएसएआई-2018 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) दसवां संशोधन विनियम, 2020 जो 29 दिसंबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. 1-116/वैज्ञानिक समिति/अधिसूचना/2010-एफएसएसएआई में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) पहला संशोधन विनियम, 2021 जो 4 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. 1-116/वैज्ञानिक समिति/अधिसूचना27/2010-एफएसएसएआई(ई) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) दूसरा संशोधन विनियम, 2021 जो 19 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. मानक/ओएंडएफ/अधिसूचना(5)/एफएसएसएआई-2017 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) सातवां संशोधन विनियम, 2020 जो 16 सितंबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. मानक/ओएंडएफ/अधिसूचना(5)/एफएसएसएआई-2017 में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) की मद सं. (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त संदेश की सूचना दी कि 29 जुलाई, 2021 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा, लोक सभा द्वारा यथापारित फेक्टर विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2021 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

5. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने श्री प्रहलाद जोशी की ओर से कार्य मंत्रणा समिति का 23वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

6. लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन

श्रीमती अपराजिता सारंगी ने लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का पहला, दूसरा और तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. मंत्री द्वारा वक्तव्य

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-22) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के 344वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.03 बजे

8. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा विवरण

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने सोमवार, 2 अगस्त, 2021 से आरंभ होने वाले सप्ताह के दौरान सरकारी कार्य के बारे में विवरण प्रस्तुत किया।

अपराह्न 12.05 बजे

9. सरकारी विधेयक - पुर:स्थापित

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और संलग्न क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंध के लिए आयोग विधेयक, 2021

10. **अध्यादेश के बारे में विवरण - सभा पटल पर रखा गया**

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और संलग्न क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंध के लिए आयोग अध्यादेश, 2021 (2021 का संख्यांक 4) के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान बनाये जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक स्पष्टीकारक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा गया।

अपराह्न 12.07 बजे

11. सरकारी विधेयक - पुर:स्थापित

साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2021

सर्वश्री एन.के. प्रेमचन्द्रन तथा संतोख सिंह चौधरी ने विधेयक के पुर:स्थापन का विरोध किया तथा मंत्री से स्पष्टीकरण मांगा।

वित्त मंत्री; तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) ने सदस्यों द्वारा पूछे गये स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर दिए।

तत्पश्चात्, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पुर:स्थापित किया गया।

अपराह्न 12.12 बजे

12. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

(1) श्री अर्जुन लाल मीणा द्वारा राजस्थान के उदयपुर लोक सभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के बारे में।

(2) श्री जगदम्बिका पाल द्वारा राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली से भगवान बुद्ध का 'अस्थि कलश' उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिला स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय, कपिलवस्तु में अंतरित किए जाने तथा बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिए कपिलवस्तु में एक ध्यान केन्द्र भी बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री रामचरण बोहरा द्वारा राजस्थान स्थित आंगनवाड़ी केन्द्रों में 'चना' की आपूर्ति के बारे में।

(4) श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी द्वारा ओडिशा के बालासोर में खारा जल शोधन संयंत्र स्थापित किए जाने के बारे में।

(5) डॉ. ढालसिंह बिसेन द्वारा मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के मलाजखण्ड में स्थापित सीओटी प्लांट का प्रचालन प्रारम्भ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री रमेश बिधूड़ी द्वारा दिल्ली की कुछ कॉलोनियों को गिराए जाने के खतरे के बारे में।

(7) श्री रतन लाल कटारिया द्वारा अम्बाला को भांडागारण केन्द्र के रूप में विकसित किए जाने के बारे में।

(8) श्री दीपक बैज द्वारा राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड का मुख्यालय हैदराबाद से छत्तीसगढ़ के बस्तर में अंतरित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री वी.के. श्रीकंदन द्वारा केरल के अट्टाप्पडी, पलक्कड जिले में ऑनलाइन कक्षाओं के प्रयोजनार्थ एफटीटीएच कनेक्शन का प्रावधान किए जाने के बारे में।

(10) श्री सी. एन. अन्नादुरई द्वारा टिंडीवनम-तिरुवन्नामलाई नई बड़ी रेल लाइन परियोजना कार्य में तेजी लाए जाने के बारे में ।

(11) श्रीमती चिंता अनुराधा द्वारा खड़गपुर (पश्चिम बंगाल) और आन्ध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के बीच डेडीकेटेड फ्रेट कोरिडोर (डीएफसी) का निर्माण किए जाने के बारे में ।

(12) श्री भर्तृहरि महताब द्वारा आंगनवाड़ी कर्मकारों की स्थिति में सुधार लाए जाने के बारे में ।

(13) श्री राम शिरोमणि वर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सेवा के बारे में ।

अपराह्न 12.12 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा सोमवार, 02 अगस्त, 2021 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार – भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 2 अगस्त, 2021/11 श्रावण, 1943 (शक)

संख्या 124

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा बधाई#

अध्यक्ष ने सभा की ओर से टोक्यो ओलंपिक में महिला एकल बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने के लिए सुश्री पी.वी. सिंधू को बधाई दी।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

2. तारांकित प्रश्न

प्रश्न संख्या 181 से 185 और 187 के मौखिक उत्तर दिए गए। प्रश्न संख्या 186 (186 के साथ 196 युग्मित) और 188 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.38 बजे स्थगित हुई और

मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई)

प्रश्न संख्या 189 से 200 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

. अतारांकित प्रश्न संख्या 2071 से 2200 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

4. *अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने सदस्यों से सभा के सुचारू कार्यकरण के लिए गरिमा और मर्यादा बनाए रखने की अपील की।

मध्याह्न 12.00 बजे

5. सभा पटल पर रखे गए पत्र

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री भूपेन्द्र यादव) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

---

मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

* पूर्वाह्न 11.37 बजे की गई। मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

(1) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वित्तीय प्राक्कलन और निष्पादन बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उप-धारा (2) के अंतर्गत कर्मचारी निक्षेप-योजित बीमा (संशोधन) योजना 2021 जो 3 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.299(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा इसका एक शुद्धिपत्र जो 3 मई, 2021 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.315(अ) में प्रकाशित हुआ था। (केवल हिन्दी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री राव इंद्रजीत सिंह) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 241 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2021 जो 15 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2021-22/जीएन/आरईजी070 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (प्री-पैकेज्ड दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2021 जो 9 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2021-22/जीएन/आरईजी071 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (इंर्फोमेशन यूटीलिटीज) (संशोधन) विनियम, 2021 जो 13 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2021-22/जीएन/आरईजी072 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (इंसोलवेंसी प्रोफेशनल्स) (संशोधन) विनियम, 2021 जो 27 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2021-22/जीएन/आरईजी073 में

प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (इंसोलवेंसी प्रोफेशनल एजेंसियों के लिए शासी बोर्ड और मॉडल उप-विधियां) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021 जो 27 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2021-22/जीएन/आरईजी074 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (प्री-पैकेज्ड दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2021 जो 9 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.256(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) लागत और संकर्म लेखाकार अधिनियम, 1959 की धारा 40 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि.415(अ) जो 16 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 नवम्बर, 2015 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.835(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) सा.का.नि.408(अ) जो 15 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 नवम्बर, 2015 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.835(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(5) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 10क के अंतर्गत अधिसूचना संख्या 1 जो 21 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो 13वीं परिषद, 2021 की ईस्टर्न इंडिया रीजनल कंस्टीट्वेंसी की नेमैत्तिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949 की धारा 30ख के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सनदी लेखाकार (संशोधन) विनियम, 2021 जो 8 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आई-सीए(7)/197/2021 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सनदी लेखाकार (संशोधन) विनियम, 2021 जो 23 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आई-सीए(7)/196/2021 में प्रकाशित हुए थे।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पंकज चौधरी) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) शेयर बाजार घोटाला और तत्संबंधी मामलों पर संयुक्त संसदीय समिति, जून, 2021 की सिफारिशों के अनुसरण में की-गई-कार्रवाई संबंधी 36वें प्रगति प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) आयकर (22वां संशोधन) नियम, 2020 जो 1 अक्तूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 610(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) फेसलैस मूल्यांकन (पहला संशोधन) योजना, 2021 जो 17 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 741(अ) में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का.आ. 742(अ) जो 17 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा 12 सितम्बर, 2019 की अधिसूचना सं. का.आ. 3265 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) आयकर (पहला संशोधन) नियम, 2021 जो 5 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 155(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) आयकर (दूसरा संशोधन) नियम, 2021 जो 9 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 162(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) आयकर (तीसरा संशोधन) नियम, 2021 जो 11 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 170(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) आयकर (चौथा संशोधन) नियम, 2021 जो 12 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 175(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) आयकर (पांचवा संशोधन) नियम, 2021 जो 16 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 194(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) आयकर (छठा संशोधन) नियम, 2021 जो 26 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 212(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) फेसलैस अपील (संशोधन) योजना, 2021 जो 31 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1438(अ) में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) का.आ. 1439(अ) जो 26 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा 25 सितम्बर, 2020 की अधिसूचना सं. का.आ. 3297(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) आयकर (नौवां संशोधन) नियम, 2021 जो 5 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 250(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) आयकर (दसवां संशोधन) नियम, 2021 जो 15 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 274(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) आयकर (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2021 जो 26 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 291(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) आयकर (बारहवां संशोधन) नियम, 2021 जो 30 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 301(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) आयकर (तेरहवां संशोधन) नियम, 2021 जो 3 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में

अधिसूचना सं. सा.का.नि. 314(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) आयकर (चौदहवां संशोधन) नियम, 2021 जो 4 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 318(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) आयकर (पंद्रहवां संशोधन) नियम, 2021 जो 5 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 320(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) आयकर (सोलहवां संशोधन) नियम, 2021 जो 24 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 338(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) आयकर (सत्रहवां संशोधन) नियम, 2021 जो 8 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 395(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) का.आ. 2336(अ) जो 15 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा 5 जून, 2017 की अधिसूचना सं. का.आ. 1790(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) आयकर (अठारहवां संशोधन) नियम, 2021 जो 2 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 470(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) आयकर (उन्नीसवां संशोधन) नियम, 2021 जो 7 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 472(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(3) प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 की धारा 12 की उप-धारा 3 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 3847(अ) जो 27 अक्तूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसका आशय प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2020 के अंतर्गत घोषणा दायर करने की तारीख अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का.आ. 4804(अ) जो 31 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसका आशय प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2020 के अंतर्गत घोषणा दायर करने की तारीख अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का.आ. 471(अ) जो 31 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसका आशय प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2020 के अंतर्गत घोषणा दायर करने की तारीख अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) का.आ. 1704(अ) जो 27 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसका आशय प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2020 के अंतर्गत घोषणा दायर करने की तारीख अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) का.आ. 2581(अ) जो 25 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसका आशय प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2020 के अंतर्गत घोषणा दायर करने की तारीख अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) का.आ. 964(अ) जो 26 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसका आशय प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2020 के अंतर्गत घोषणा दायर करने की तारीख अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(4) कराधान और अन्य विधियां (कतिपय उपबंधों की छूट) अधिनियम, 2020 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 1703(अ) जो 27 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसका आशय घोषणा दायर करने की तारीख अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का.आ. 2580(अ) जो 25 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसका आशय घोषणा दायर करने की तारीख अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(5) वित्त कर अधिनियम, 2016 की धारा 179 के अंतर्गत इक्वेलाइजेशन लेवी (संशोधन) नियम, 2020 जो 28 अक्तूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 3865 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(6) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194क्यू के अंतर्गत दिशानिर्देशों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(7) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 45 की उप-धारा (4) और धारा 9ख के अंतर्गत दिशानिर्देशों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(8) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंकर) (संशोधन) विनियम, 2021 जो 30 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/13 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंडर राईटर्स) (निरसन) विनियम, 2021 जो 30 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/15 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटन आवश्यकताएं) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021 जो 5 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/18 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का महत्वपूर्ण अर्जन और टेकओवर) (संशोधन) विनियम, 2021 जो 5 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/19 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वैकल्पिक निवेश निधियां) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021 जो 5 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/21 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएं) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021 जो 5 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/22 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/24 जो 12 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित दो निकायों को अर्हक वित्तीय बाजार भागीदारों के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(आठ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) (संशोधन) विनियम, 2021 जो 16 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/09 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निवेश सलाहकार) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021 जो 16 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/11 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर दलाल) (संशोधन) विनियम, 2021 जो 30 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/14 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भेदिया कारोबार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2021 जो 26 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/17 में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फोर्टफोलियो प्रबंधक) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021 जो 26 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/16 में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शुल्क का भुगतान और भुगतान का तरीका) (संशोधन) विनियम, 2021 जो 5 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/23 में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यस्थ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021 जो 5 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/20 में प्रकाशित हुए थे।

(पंद्रह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वार्षिक प्रतिवेदन) नियम, 2021 जो 12 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 176(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फोर्टफोलियो प्रबंधक) (संशोधन) विनियम, 2021 जो 16 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/10 में प्रकाशित हुए थे।

(9) प्रतिभूति प्रसंविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 27 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रतिभूति प्रसंविदा (विनियमन) (संशोधन) नियम, 2021 जो 19 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 423(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) प्रतिभूति प्रसंविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 31 की उप-धारा (3) तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) प्रतिभूति प्रसंविदा (विनियमन) (शेयर बाजार और क्लियरिंग निगम) (संशोधन) विनियम, 2021 जो 23 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/12 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का गैर-सूचीबद्धकरण) विनियम, 2021 जो 10 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021-25 में प्रकाशित हुए थे।

(11) सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 की धारा 25 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सिक्का निर्माण (श्रीला ए.सी. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जंयती के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2021 जो दिनांक 19 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 496 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सिक्का निर्माण (श्री गुरू तेग बहादुर जी की 400वीं जंयती के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2021 जो दिनांक 29 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 300 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(12) स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 77 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) नियम, 2021 जो 23 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा. का. नि. 204(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (दूसरा संशोधन) नियम, 2021 जो 16 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा. का. नि. 490(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) का.आ. 1274(अ) जो 23 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसका आशय उसमें उल्लिखित छह विनिर्मित ओषधियों और विनिर्मित ओषधियों के साल्ट और तैयारी की प्रक्रियाओं को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) का.आ. 1275(अ) जो 23 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसका आशय उसमें उल्लिखित पंद्रह विनिर्मित ओषधियों और विनिर्मित ओषधियों के साल्ट और तैयारी की प्रक्रियाओं को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) का.आ. 1276(अ) जो 23 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसका आशय तैतीस स्वापक ओषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों की 'लघु मात्रा' और 'वाणिज्यिक मात्रा' अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(13) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119(2)(ग) के अंतर्गत 15 अप्रैल, 2021 के आदेश संख्या एफ. संख्या 225/22/2021-आईटीए-दो की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) 4 मार्च, 2021 की अधिसूचना संख्या 26/2021-सीमाशुल्क (एन.टी.) जो आयातित और निर्यातित माल के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की संशोधित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का.आ.1068(अ) जो दिनांक 9 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो खाद्य तेलों, ब्रास-स्क्रैप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन

(तीन) का.आ.1207(अ) जो दिनांक 15 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेलों, ब्रास-स्क्रैप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन

(चार) अधिसूचना सं. 31/2021-सी.शु.(एन.टी.) जो दिनांक 18 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयात और निर्यात माल के आकलन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन

(पांच) अधिसूचना सं. 32/2021-सी.शु.(एन.टी.) जो दिनांक 24 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयात और निर्यात माल के आकलन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन

(छह) का.आ.1419(अ) जो दिनांक 31 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेलों, ब्रास-स्क्रैप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन

(सात) अधिसूचना सं. 40/2021-सी.शु.(एन.टी.) जो दिनांक 1 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयात और निर्यात माल के आकलन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन

(आठ) का.आ.1628(अ) जो दिनांक 15 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेलों, ब्रास-स्क्रैप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन

(नौ) अधिसूचना सं. 43/2021-सी.शु.(एन.टी.) जो दिनांक 15 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयात और निर्यात माल के आकलन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक

व्याख्यात्मक ज्ञापन

(दस) का.आ.1728(अ) जो दिनांक 30 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेलों, ब्रास-स्क्रैप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन

(ग्यारह) अधिसूचना सं. 46/2021-सी.शु.(एन.टी.) जो दिनांक 6 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयात और निर्यात माल के आकलन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन

(बारह) का.आ.1857(अ) जो दिनांक 13 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेलों, ब्रास-स्क्रैप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन

(तेरह) अधिसूचना सं. 48/2021-सी.शु.(एन.टी.) जो दिनांक 20 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयात और निर्यात माल के आकलन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन

(चौदह) का.आ.2097(अ) जो दिनांक 31 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेलों, ब्रास-स्क्रैप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन

(पंद्रह) अधिसूचना सं. 51/2021-सी.शु.(एन.टी.) जो दिनांक 3 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयात और निर्यात माल के आकलन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन

(सोलह) का.आ.2338(अ) जो दिनांक 15 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेलों, ब्रास-स्क्रैप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन

(सत्रह) का.आ.2349(अ) जो दिनांक 16 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेलों, ब्रास-स्क्रैप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन

(अठारह) अधिसूचना सं. 54/2021-सी.शु.(एन.टी.) जो दिनांक 17 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयात और निर्यात माल के आकलन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन

(उन्नीस) का.आ.2664(अ) जो दिनांक 30 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेलों, ब्रास-स्क्रैप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन

(बीस) अधिसूचना सं. 57/2021-सी.शु.(एन.टी.) जो दिनांक 1 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयात और निर्यात माल के आकलन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन

(इक्कीस) अधिसूचना सं. 59/2021-सी.शु.(एन.टी.) जो दिनांक 15 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयात और निर्यात माल के आकलन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन

(बाईस) का.आ.2845(अ) जो दिनांक 15 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेलों, ब्रास-स्क्रैप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन

(तेईस) सा.का.नि.226(अ) जो दिनांक 30 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय दिनांक 29 जुलाई, 2011 की अधिसूचना सं. 69/2011-सी.शु. में संशोधन करना है ताकि विनिर्दिष्ट माल के संबंध में टैरिफ रिआयतों को गहन बनाया जा सके जब उनका आयात भारत-जापान व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (सीईपीए) के अनुसार 01.04.2021 से जापान से किया जाए तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन

(चौबीस) सा.का.नि.235(अ) जो दिनांक 31 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 30.06.2017 की अधिसूचना सं. 50/2017-सी.शु. में संशोधन करना है ताकि (एक) एक्स-रे मशीनों के पीएमपी के अनुसार, एक्स-रे मशीनों के विनिर्दिष्ट भागों पर बीसीडीको बढ़ाया जा सके, (दो) विद्युतचालित वाहनों के पीएमपी के अनुसार, विधुतचालित वाहनों के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त विनिर्दिष्ट माल पर बीसीडी को बढ़ाया जा सके, और (तीन) अन्य संबंधी बदलावों को किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन

(पच्चीस) सा.का.नि.237(अ) जो दिनांक 31 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 02.02.2020 की अधिसूचना सं. 08/2020-सी.शु. में संशोधन करना है ताकि एक्स-रेमशीनों के पीएमपी के अनुसार एक्स-रे मशीनों के विनिर्दिष्ट भागों पर स्वास्थ्य उपकर से छूट को जारी रखी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन

(छब्बीस) सा.का.नि.236(अ) जो दिनांक 31 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 30.06.2017 अधिसूचना सं. 52/2017-सी.शु. में संशोधन करना है ताकि सीमाशुल्कटैरिफ अधिनियम, 1975 की संशोधित प्रथम अनुसूची के

साथ इसे संरेखीय किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची को वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) द्वारा संशोधित किया गया था

(सत्ताईस) सा.का.नि.241(अ) जो दिनांक 31 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय भारत-मॉरीशिस व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता (सीईसीपीए) के कार्यान्वयन की पहली श्रृंखला को अधिसूचित किया जाना है ताकि भारत-मॉरीशिस व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता (सीईसीपीए), जो कि दिनांक 01.04.2021 से प्रभाव में आया है, के अनुसार विनिर्दिष्ट माल के मॉरीशिस से आयात पर टैरिफ रियायतों को बढ़ाया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठाईस) सा.का.नि.253(अ) जो दिनांक 8 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय निम्नलिखित अधिसूचनाओं में संशोधन करना है ताकि वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) के अधिनियमन के परिणामस्वरूप वित्त अधिनियम, 2021 के प्रासंगिक धाराओं के सन्दर्भ में वित्त विधेयक, 2021 (2021 का 15) के सन्दर्भों को प्रतिस्थापित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उनतीस) सा.का.नि.284(अ) जो दिनांक 20 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रशासनिक मंत्रालयों की अनुशंसाओं के आधार पर कोविड-19 के राहत उपाय के रूप में 31अक्टूबर, 2021 तक रेमडेसिविर इंजेक्शन, रेमडेसिविर के उत्पादन में प्रयुक्त रेमडेसिविरएपीआई तथा बीटासाक्लोडेक्सिट्रन (एलबीईबीसीडी) के आयात पर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत उगाही योग्य सीमा-शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीस) सा.का.नि.286(अ) जो दिनांक 24 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कोविड-19 के राहत उपाय के रूप में 31 जुलाई, 2021 तक मेडिकलऑक्सीजन, ऑक्सीजन चिकित्सा उपकरण एवं उनके विनिर्दिष्ट पुजो, वेंटीलेटरों तथा विनिर्दिष्ट उप-साधनों तथा कोविड-19वैक्सीनों के आयात पर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत उगाही योग्य सीमा शुल्क तथा वित्त नियम, 2020 की धारा 141 के अंतर्गत उगाही योग्य स्वास्थ्य शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इकतीस) सा.का.नि.303(अ) जो दिनांक 30 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रशासनिक मंत्रालय की अनुशंसाओं के आधार पर, कोविड -19 उपचार उपाय के रूप में, इन्फ्लेमेन्ट्रीडायग्नोस्टिक (मार्कर) किट्स, यथा- 116, डी-डायमर, सीआरपी (सी-रिआक्टिव प्रोटीन), एलडीएच (लेक्टेड डी-हायड्रोजेनस), फेरिटिन, प्रो-केलसीटोनिन (पीसीटी) और ब्लड गैसरिजेन्ट्स के आयात पर सीमाशुल्कटैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत लगाए जाने वाले सीमाशुल्क पर दिनांक 31 अक्टूबर 2021 तक छूट प्रदान की जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बत्तीस) सा.का.नि.313(अ) जो दिनांक 1 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 30 जून, 2021 तक 28% से 12% तक निजी उपयोग के

लिए आयातित ऑक्सिजन केंद्रक पर आईजीएसटी को कम किया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेंतीस) सा.का.नि.354(अ) जो दिनांक 31 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 24 अप्रैल, 2021 की अधिसूचना सं. 28/2021-सी.शु. में संशोधन करना है ताकि कोविड-19 राहत उपाय के रूप में एम्फोट्रीसिन बी के आयात पर सीमाशुल्कटैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत लगाए जाने वाले सीमाशुल्क में छूट दी जा सके और उक्त मूल अधिसूचना के तहत दिनांक 31 अगस्त 2021 तक दी जा रही छूट को भी बढ़ाया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौंतीस) सा.का.नि.355(अ) जो दिनांक 31 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 27/2021- सीमाशुल्क, दिनांक 20 अप्रैल, 2021 और अधिसूचना सं. 28/2021-सीमाशुल्क, दिनांक 24 अप्रैल, 2021 में विर्निदिष्ट माल के आयात पर एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उपधारा (7) के अंतर्गत) लगाए जाने वाले एकीकृत कर से 31 अगस्त, 2021 तक कोविड-19 राहत उपाय के रूप में, कुछ शर्तों के अधीन, जैसा कि जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक में अनुशंसा की गई है, के अनुसार छूट दिया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पैंतीस) सा.का.नि.401(अ) जो दिनांक 14 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 30/2021, दिनांक 01.05.2021 को रद्द करना है क्योंकि यह जीएसटी परिषद् की दिनांक 12.06.2021 को हुई अपनी 44वीं बैठक की अनुशंसा के आधार पर अधिसूचना संख्या 05/2021-एकीकृत कर (दर), दिनांक 14.06.2021के तहत ऑक्सीजनसंकेंद्रकों पर आईजीएसटी की दर को कम किए जाने के प्रावधान के पश्चात् अनावश्यक हो गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छत्तीस) सा.का.नि.449(अ) जो दिनांक 29 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 30 सितम्बर, 2021 तक क्रूडपाम तेल [1511 10] पर बेसिक सीमाशुल्क15% से10% और क्रूडपाम तेल से भिन्न पाम तेल पर [151190] 54% से 37.5% घटाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सैंतीस) सा.का.नि.316(अ) जो दिनांक 3 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कोविड-19 सुरक्षा उपाय के, शर्तों के अधीन अधिसूचना सं. 27/2021-सीमाशुल्क, दिनांक 20 अप्रैल, 2021 और अधिसूचना सं. 28/2021-सीमाशुल्क, दिनांक 24 अप्रैल, 2021 से 30 जून, 2021 में विनिर्दिष्ट माल के आयात पर एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उप-धारा (7) के तहत लगाए जाने वाले एकीकृत कर में छूट दिया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अड़तीस) सा.का.नि.353(अ) जो दिनांक 31 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय तदर्थ रियायत आदेश सं. 04/2021-सीमाशुल्क, दिनांक 3 मई, 2021 में संशोधन करके कोविड-19 राहत उपाय के रूप में, जीएसटी परिषद की 43वीं

बैठक की अनुशंसाओं के आधार पर, उक्त मूल तदर्थ रियायत आदेश की वैधता को दिनांक 31 अगस्त 2021 तक बढ़ाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उनतालीस) सा.का.नि.487(अ) जो दिनांक 12 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कोविड-19 राहत उपायों के रूप में 31 अगस्त, 2021 तक कीअवधि के लिए विनिर्दिष्ट सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री (एपीआई)/ एक्फोटेरिसिन बी के पदार्थों के आयात पर और 30 सितम्बर, 2021 तक की अवधि के लिए कोविड-19 परीक्षण किट विनिर्माण के लिए कच्चे मालों के आयात पर भी कस्टम टैरिफ अधिनियम, 1917 के प्रथम अनूसूची के तहत लगाए गए सीमा शुल्क में छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चालीस) सा.का.नि.493(अ) जो दिनांक 19 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 45/2017-सी.शु. में संशोधन करना है ताकि जीएसटी परिषद् की सिफारिश पर मरम्मत के लिए विदेश में निर्यात होने के बाद माल के पुनः आयात पर आईजीएसटी की उद्ग्रहणीयता को स्पष्ट किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इकतालीस) सा.का.नि.494(अ) जो दिनांक 19 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 46/2017-सी.शु. में संशोधन करना है ताकि जीएसटी परिषद् की सिफारिश पर मरम्मत के लिए विदेश में निर्यात होने के बाद माल के पुनः आयात पर आईजीएसटी की उद्ग्रहणीयता को स्पष्ट किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बयालीस) सा.का.नि. 467(अ) जो 1 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा "भारत का अन्य देशों के साथ सीमा-शुल्क मामलों में सहयोग और परस्पर प्रशासनिक सहायता" संबंधी समझौतों या व्यवस्थाओं को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तैंतालीस) सा.का.नि. 224(अ) जो 30 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31.03.2022 तक ईओयू द्वारा विनिर्दिष्ट वस्तुओं के आयात पर एकीकृत कर और प्रतिकर उपकर से छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चवालीस) सा.का.नि. 232(अ) जो 31 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा अग्रिम प्राधिकृत और निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजनाओं के अंतर्गत आयातित वस्तुओं पर 31.03.2020 तक एकीकृत कर और प्रतिकर उपकर से छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(15) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि. 252(अ) जो 8 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय उसमें उल्लिखित अधिसूचनाओं को संशोधित करना है, ताकि वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) के अधिनियमन के परिणामस्वरूप वित्त अधिनियम, 2021 की प्रासंगिक धाराओं के संदर्भों में वित्त विधेयक, 2021 (2021 का 15) के संदर्भों को प्रतिस्थापित किया जा सके, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(16) सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 5 की उप-धारा (1) के अंतर्गत सीमा-शुल्क (भारत गणराज्य और मॉरिशस गणराज्य के बीच समग्र आ्रिथक सहयोग और साझेदारी समझौते के अधीन वस्तुओं के मूल स्थान का निर्धारण) नियम, 2021 जो 31 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 239(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(17) सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 की उप-धारा (8) के अंतर्गत सीमा-शुल्क टैरिफ (भारत गणराज्य और मॉरिशस गणराज्य के बीच समग्र आ्रिथक सहयोग और साझेदारी समझौते के अधीन वस्तुओं के मूल स्थान का निर्धारण) नियम, 2021 जो 9 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 163(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(18) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 167 (अ) जो 11 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या निर्यात होने वाले 'सिप्रोफलोक्सिन हाइड्रोक्लोराइड' के आयात पर अनन्तिम प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की तारीख अर्थात् 2 सितम्बर, 2020 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नामित प्राधिकरण, व्यापार उपचारों के महानिदेशक के द्वारा जारी काए गए अपने अंतिम परिणामों की अनुशंसा किए जाने के आधार पर निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 199 (अ) जो 18 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या आयातित ''फेस्ड ग्लास वूल इन रोल्स'' के आयात पर निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की तारीख अर्थात् 18.03.2021 से पांच (5) वर्ष की अवधि के लिए निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 213 (अ) जो 26 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 29 मार्च, 2016 की अधिसूचना संख्या 11/2016-सीमाशुल्क (एडीडी), के अंतर्गत आने वाले चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित ''टायर के लिए टायर क्यूरिंग प्रेसेस'' के आयात पर व्यापार उपचारों के महानिदेशालय के अनुरोध पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को दिनांक 30 सितंबर, 2021 तक की अवधि के लिए और आगे बढाया जाता है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 214 (अ) जो 26 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 29 मार्च, 2016 की अधिसूचना संख्या 10/2016-सीमाशुल्क (एडीडी), को पूर्व की गई अथवा लोप की गई बातों को छोडते हुए निरस्त करना है क्योंकि यूरोपियन संघ, इन्डोनिशिया, कोरिया जनवादी गणराज्य, मलेशिया, ताइवान और संयुक्त राज्य अमेरिका में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित 2-इथियल हैक्सोनोल के आयात पर एक अलग अधिसूचना के माध्यम से 5 वर्ष के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाना है जैसा कि व्यापार उपचार महानिदेशालय के विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा सनसेट रिव्यू के निष्कर्षों में सिफारिश की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 215 (अ) जो 26 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यूरोपियन संघ, इन्डोनिशिया, कोरिया जनवादी गणराज्य, मलेशिया, ताइवान और संयुक्त राज्य अमेरिका में मूलतः उत्पादित होने वाले या वहां से निर्यात होने वाले 2-

इथियल हैक्सोनोल के आयात पर नामित प्राधिकरण, व्यापार उपचारो के महानिदेशालय द्वारा जारी की गई सनसेट रिव्यू परिणामों की अनुशंसा के अनुसार और आगे भी 5 वर्षों की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 216 (अ) जो 26 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित पॉलीथीन टेरिफथेलैट (पीईटी) के आयात पर 5 वर्ष के लिए नियत प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, जैसा कि व्यापार उपचारों के महानिदेशालय के नामित प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए अंतिम परिणामों में सिफारिश की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 233 (अ) जो 31 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 28 जनवरी, 2016 की अधिसूचना संख्या 2/2016-सीमाशुल्क (एडीडी), में संशोधन करते हुए चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या आयातित मेलामाइन पर और आगे की अवधि के लिए जिसमें दिनांक 30 सितंबर, 2021 भी शामिल है, जो कि व्यापार उपचारों के महानिदेशालय, नामित प्राधिकरण द्वारा की गई समीक्षा के अनुसरण में प्रतिपाटन शुल्क को बढाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 251 (अ) जो 5अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सऊदी अरब् और संयुक्त अरब अमीरात में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित फ्लेक्सिबल पोलियोल स्लैबस्टाक, जिसका अणुभार 3000-4000 हो'' के आयात पर पाँच वर्ष की अवधि के लिये निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है जिसे विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, व्यापार उपचार महानिदेशालय के द्ववारा जारी अंतिम निष्कर्षों के अनुपालन में किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि 260(अ) जो 12अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यूरोपीय संघ, मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका में मूलतः उत्पादित या निर्यात होने वाले सामान्य ब्यूटानोल या एन-ब्यूटाइल अल्कोहॉल के आयात पर पांच वर्ष की अवधि के लिए और आगे भी निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना हैं, जिसे विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, व्यापार उपचार महानिदेशालय के द्वारा जारी सैनसेट रिव्यू के निष्कर्षों के अनुपालन में किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 264(अ) जो 15 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (5) के संदर्भ में व्यापार उपचार महा निदेशालय के अनुरोध पर आगे की अवधि के लिए और 20 अक्टूबर , 2021 सहित चीन जनवादी गणराज्य से उत्पन्न " बेरियम कार्बोनेट " के आयात या निर्यात पर एंटी डंपिंग शुल्क बढाने के लिए दिनांक 21 अप्रैल, 2016 की अधिसूचना सं. 14/2016- सीमाशुल्क (एडीडी), में संशोधन करना हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 281(अ) जो 20 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थो तथा जिनका आशय, दिनांक 05 अक्टूबर, 2018 अधिसूचना सं. 50/2018- सीसाशुल्क (एडीडी), में संशोधन करके वियतनाम और यूरोपीय संघ में उत्पादित या निर्यात होने वाले नाइलोन फिलामेंट यार्न (मल्टी- फिलामेंट) के आयात पर कतिपय विशिष्टता वाले माल को प्रतिपाटन शुल्क के क्षेत्र से

बाहर रखा जाना है, जिसे नामित प्राधिकारी, व्यापार उरचार महानिदेशालय के द्वारा जारी मध्यावधि समीक्षा निष्कर्षों के अनुपालन में किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 288(अ) जो दिनांक 26 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कोरिया गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यात होने वाले पॉलिटेट्राफ्लोरोइथाइलिन (पीटीएफई) उत्पादों के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है, ताकि दिनांक 6 जून, 2016 की अधिसूचना सं. 23/2016-सीमाशुल्क (एडीडी), के तहत रूस में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यात होने वाले पॉलिटेट्राफ्लोरोइथाइलिन (पीटीएफई) पर लगाये जाने वाले प्रतिपाटन शुल्क के उल्लंघन को रोका जा सके, जिसे नामित प्राधिकारी व्यापार उपचार महानिदेशालय के द्वारा जारी धोखाधड़ी-रोधी जांच के अंतिम निष्कर्षों के अनुपालन में किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 290(अ) जो दिनांक 26 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यात होने वाले पॉलिटेट्राफ्लोरोइथाइलिन (पीटीएफई) उत्पादों के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है, ताकि दिनांक 28 जुलाई, 2017 की अधिसूचना सं. 36/2017-सीमाशुल्क (एडीडी), के तहत चीन में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यात होने वाले पॉलिटेट्राफ्लोरोइथाइलिन (पीटीएफई) पर लगाये जाने वाले प्रतिपाटन शुल्क के उल्लंघन को रोका जा सके, जिसे नामित प्राधिकारी व्यापार उपचार महानिदेशालय के द्वारा जारी धोखाधड़ी-रोधी जांच के अंतिम निष्कर्षों के अनुपालन में किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 294(अ) जो दिनांक 27 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यात होने वाले 1-फिनाइल-3-मिथाइल-5-पाइराजोलोन के आयात पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाये जाने की तारीख जो दिनांक 9 जून, 2020 है, से पांच वर्ष की अवधि के लिए निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है, जिसे विनिर्दिष्ट प्राधिकारी व्यापार उपचार महानिदेशालय के द्वारा जारी अंतिम निष्कर्षों के अनुपालन में किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) सा.का.नि. 298(अ) जो दिनांक 27 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 2 दिसंबर, 2020 की अधिसूचना सं. 43/2020-सीमाशुल्क (एडीडी) में संशोधन करके यूरोपीय संघ, सऊदी अरब, चीनी ताइपे और यूएई में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यात होने वाले टोल्यूइनी डी-आइसोसाईनेट (टीडीआई) जिसमें आइसोमर की मात्रा 80:20 के अनुपात में हो, ऐसे माल पर निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाये जाने के लिए अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क को वापस लिया जाना है, जिसे विनिर्दिष्ट प्राधिकारी व्यापार उपचार महानिदेशालय के द्वारा जारी अंतिम निष्कर्षों के अनुपालन में किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि. 297(अ) जो दिनांक 27 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यूरोपीय संघ, सऊदी अरब, चीनी ताइपे और यूएई में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यात होने वाले टोल्यूइनी डी-आइसोसाईनेट (टीडीआई) जिसमें आइसोमर की मात्रा 80:20 के अनुपात में हो, के आयात पर अनंतिम एडीडी को लगाए जाने की तारीख से, जो कि दिनांक 2 दिसंबर, 2020 है, पांच वर्ष की अवधि के लिए निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है, जिसे विनिर्दिष्ट प्राधिकारी व्यापार उपचार महानिदेशालय के द्वारा

जारी अंतिम निष्कर्षों के अनुपालन में किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.नि. 324(अ) जो दिनांक 7 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी राज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यात होने वाले 'लोहे के, मिश्रित या गैर-मिश्रित स्टील से निर्मित जोड़ रहित ट्यूब, पाइप और होलो प्रोफाइल्स' पर और आगे भी प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है, जिसमें दिनांक 31 अक्टूबर, 2021 की अवधि भी शामिल है, जिसे व्यापार उपचार महानिदेशालय के अनुरोध पर दिनांक 17 फरवरी, 2017 की अधिसूचना सं. 07/2017-सीमाशुल्क (एडीडी) में संशोधन करके किया गया है, ताकि उक्त माल के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क से संबंधित सनसेट रिव्यू जांच को पूर्ण रूप से लागू किया जा सके तथा तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा.का.नि. 339(अ) जो दिनांक 24 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 11 जुलाई 2016 की अधिसूचना सं. 30/2016-सीमाशुल्क (एडीडी) में संशोधन करके चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यात होने वाले 1,1,1,2-टेट्राफ्लोरोईथेन या आर-134ए पर जिसमें दिनांक 10 जनवरी, 2022 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है, जिसे नामित प्राधिकारी, व्यापार उपचार महानिदेशालय द्वारा की गई समीक्षा के अनुसरण में किया जा गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा.का.नि. 350(अ) जो दिनांक 24 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी राज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यात होने वाले 'मिथाइल एसीटोएसीटेट' के आयात पर पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है, जिसे विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, व्यापार उपचार महानिदेशालय द्वारा की गई समीक्षा के अनुसरण में किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा.का.नि. 388(अ) जो दिनांक 3 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय नामित प्राधिकारी, व्यापार उपचार महानिदेशालय द्वारा की गई समीक्षा के अनुसरण में 31 अक्तूबर, 2021 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, रूस से उत्पन्न पॉलीटेट्राफ्लुओरोएथिलीन के आयात या निर्यात पर प्रतिपाटन शुल्क की उगाही को बढ़ाने के लिए दिनांक 06 जून, 2016 की अधिसूचना सं. 23/2016-सीमाशुल्क (एडीडी), में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा.का.नि. 389(अ) जो दिनांक 3 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय नामित प्राधिकारी, व्यापार उपचार महानिदेशालय द्वारा की गई समीक्षा के अनुसरण में 31 अक्तूबर, 2021 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, यूरोपीय संघ और सिंगापुर से उत्पन्न फिनोल के निर्यात पर प्रतिपाटन शुल्क की उगाही को बढ़ाने के लिए दिनांक 8 मार्च, 2016 की अधिसूचना सं. 6/2016-सीमाशुल्क (एडीडी) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा.का.नि. 442(अ) जो दिनांक 28 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्राधिकारी, व्यापार उपचार महानिदेशालय द्वारा की गई समीक्षा के अनुसरण में 31 दिसंबर, 2021 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, दिनांक 14 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 29/2017-सीमाशुल्क (एडीडी), के तहत चीनी जनवादी गणराज्य से उत्पन्न या वहां से निर्यातित "3% से कम जल अवशोषण के साथ पॉलिश या बिना पॉलिश किए गए ग्लेज़्ड/अनग्लेज़्ड चीनी मिट्टी के बरतन/विट्रीफाइड टाइल्स" के आयात पर लगाए गए एंटी डंपिंग शुल्क को बढाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा.का.नि. 444(अ) जो दिनांक 29 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे

तथा जिनका आशय, व्यापार उपचार महानिदेशालय के अनुरोध पर 30 नवंबर, 2021 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, दिनांक 29 मार्च, 2016 की अधिसूचना सं. 11/2016-सीमाशुल्क (एडीडी), के तहत चीनी जनवादी गणराज्य से उत्पन्न या निर्यातित "टायर के लिए टायर क्योरिंग प्रेस" के आयात पर लगाए गए एंटी डंपिंग शुल्क को बढाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) सा.का.नि. 445(अ) जो दिनांक 29 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय, व्यापार उपचार महानिदेशालय के अनुरोध पर 15 दिसंबर, 2021 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, दिनांक 11 मई, 2017 की अधिसूचना सं. 17/2017-सीमाशुल्क (एडीडी) के तहत चीनी जनवादी गणराज्य, जापान, कोरिया जनवादी गणराज्य, रूस, ब्राजील या इण्डोनेशिया से उत्पन्न या निर्यातित "एलौय या नॉन एलौय स्टील के होट रोल्ड फ्लैट उत्पादों" के आयात पर लगाए गए एंटी डंपिंग शुल्क को बढाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) सा.का.नि. 446(अ) जो दिनांक 29 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय, व्यापार उपचार महानिदेशालय के अनुरोध पर 15 दिसंबर, 2021 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, दिनांक 12 मई, 2017 की अधिसूचना सं. 18/2017-सीमाशुल्क (एडीडी) के तहत चीनी जनवादी गणराज्य, जापान, कोरिया जनवादी गणराज्य, यूक्रेन, से उत्पन्न या निर्यातित "एलौय या नॉन एलौय स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पादों" के आयात पर लगाए गए एंटी डंपिंग शुल्क को बढाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस) सा.का.नि. 456(अ) जो दिनांक 30 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय, नामित प्राधिकारी व्यापार उपचार महानिदेशालय द्वारा शुरू की गई समीक्षा के अवलोकन में 31 जनवरी, 2022 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, चीनी जनवादी गणराज्य से उत्पन्न या निर्यातित पीवीसी फ्लेक्स फिल्म पर एंटी डंपिंग शुल्क को बढ़ाने के लिए दिनांक 08 अगस्त, 2016 की अधिसूचना सं. 42/2016-सीमाशुल्क (एडीडी) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सताईस) सा.का.नि. 455(अ) जो दिनांक 30 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय, 31 अक्तूबर, 2021 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, चीनी जनवादी गणराज्य और इण्डोनेशिया में "बैम्बू फाइबर, डायड फाइबर, मोडल फाइबर और फायर-रिट्रेडेंट फाइबर को छोड़कर विस्कोस स्टेपल फाइबर (वीएसएफ)" के आयात पर दिनांक 08 अगस्त, 2016 की अधिसूचना सं. 43/2016-सीमाशुल्क (एडीडी), के तहत लगाए गए एंटी डंपिंग शुल्क की लेवी को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठाईस) सा.का.नि. 451(अ) जो दिनांक 30 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय, व्यापार उपचार महानिदेशालय के अनुरोध पर 13 मार्च, 2022 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, दिनांक 14 जुलाई, 2016 की अधिसूचना सं. 34/2016-सीमाशुल्क (एडीडी) के तहत वियतनाम से उत्पन्न या वहां से निर्यातित "6 मिमी और अधिक मोटाई वाली प्लेन मीडियम डेन्सिटी फाइबर बोर्ड" के आयात पर लगाए गए एंटी डंपिंग शुल्क को बढाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(19) वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 7 की उप-धारा (1) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-2021 के अंत में बजट के संबंध में प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्ति की वार्षिक समीक्षा तथा उक्त

अधिनियम के अंतर्गत सरकार के दायित्वों की पूर्ति करने में विचलन के बारे में एक विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 223(अ) जो 30 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय दिनांक 21 मार्च, 2020 की अधिसूचना संख्या 14/2020 के उपबंधों का अनुपालन न किए जाने के लिए संदेह शास्ति में छूट प्रदान करना है जिनमें विनिर्दिष्ट किया गया है कि करदाताओं की विनिर्दिष्ट श्रेणी बी2सी आपूर्तियां करते समय ऐसे बीजक जारी करेगी जिसमें डायनमिक क्यूआर कोड हो।

(दो) केन्द्रीय माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2021 जो 27 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 292(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 304(अ) जो 1 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मार्च और अप्रैल, 2021 के माह के लिए ब्याज दर को कम करके राहत प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 305(अ) जो 1 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट करदाताओं और विनिर्दिष्ट कर अवधियों के लिए विलंब शुल्क में माफी देने के लिए अधिसूचना संख्या 76/2018-केंद्रीय कर में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 306(अ) जो 1 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए माल और सेवा कर विवरणी-4 फार्म दाखिल करने के लिए नियत तिथि को 31.05.2021 तक आगे बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 307(अ) जो 1 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जनवरी-मार्च, 2021 की अवधि के लिए आईटीसी-04 फार्म प्रस्तुत करने के लिए नियत तिथि को 31 मई, 2021 तक आगे बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 308(अ) जो 1 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अप्रैल, 2021 के लिए माल और सेवा कर विवरणी-1 फार्म प्रस्तुत करने के लिए नियत तिथि को आगे बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) केन्द्रीय माल और सेवा कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2021 जो 1 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 309(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 310(अ) जो 1 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 168क के अधीन शक्तियों का उपयोग करके 15.04.2021 से 30.05.2021 के बीच पड़ रहे विनिर्दिष्ट अनुपालनों को 31.05.2021 तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) केन्द्रीय माल और सेवा कर (चौथा संशोधन) नियम, 2021 जो 18 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 333(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) का.आ. 2129(अ) जो 1 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 01.06.2021 को केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 50 में संशोधन से

संबंधित वित्त अधिनियम, 2021 की धारा 112 के उपबंधों के लागू होने की तिथि के रूप में नियत करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 361(अ) जो 1 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मई, 2021 के लिए माल और सेवा कर विवरणी-1 फार्म प्रस्तुत करने के लिए नियत तिथि को 15 दिन तक आगे बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 362(अ) जो 1 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मार्च, 2021 से मई, 2021 तक की कर अवधियों के विनिर्दिष्ट समय के लिए ब्याज दर को कम करके राहत प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 363(अ) जो 1 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट करदाताओं और विनिर्दिष्ट कर अवधियों के लिए माल और सेवा कर विवरणी-3ख फार्म प्रस्तुत करने में विलंब के लिए विलंब शुल्क को तार्किक बनाना है तथा जुलाई, 2017 से अप्रैल, 2021 तक के लिए माल और सेवा कर विवरणी-3ख फार्म प्रस्तुत करने में विलंब के लिए विलंब शुल्क में सशर्त माफी प्रदान करना है एवं माल और सेवा कर विवरणी-3ख फार्म प्रस्तुत करने में विलंब के लिए विलंब शुल्क में माफी प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) सा.का.नि. 364(अ) जो 1 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय माल और सेवा कर विवरणी - एक में बाह्य आपूर्तियों के विवरण प्रस्तुत करने में विलंब के लिए विलंब शुल्क को तार्किक बनाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि. 365(अ) जो 1 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय माल और सेवा कर विवरणी - चार प्रस्तुत करने में विलंब के लिए विलंब शुल्क को तार्किक बनाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.नि. 366(अ) जो 1 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय माल और सेवा कर विवरणी - सात प्रस्तुत करने में विलंब के लिए विलंब शुल्क को तार्किक बनाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा.का.नि.367(अ) जो 1 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ई-बीजक जारी करने की आवश्यकता के दायरे से सरकारी विभागों और स्थानीय प्राधिकारियों को बाहर करने के लिए अधिसूचना सं. 13/2020-कैंद्रीय कर में संशोधन करना है एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा.का.नि.368(अ) जो 1 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 15.04.2021 से 29.06.2021 तक की अवधि के दौरान पड़ने वाले अनुपालनों की नियत तिथि को 30.06.2021 तक बढ़ाने के लिए अधिसूचना सं. 14/2021-कैंद्रीय कर में संशोधन करना है एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा.का.नि. 369(अ) जो 1 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए माल और सेवा कर विवरणी-4 फार्म प्रस्तुत करने के लिए नियत तिथि को 31.07.2021 तक आगे बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा.का.नि. 370(अ) जो 1 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मार्च, 2021 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए आईटीसी विवरणी-4 फार्म प्रस्तुत करने के लिए नियत तिथि को 30.06.2021 तक आगे बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) केन्द्रीय माल और सेवा कर (पांचवां संशोधन) नियम, 2021 जो 1 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 371(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा.का.नि. 450(अ) जो 30 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 21 मार्च, 2020 की अधिसूचना सं. 14/2020 के उपबंधों का अनुपालन नहीं करने के लिए देय शास्ति को माफ करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) सा.का.नि. 374(अ) जो 2 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 1/2017-केन्द्रीय कर (दर) में संशोधन करना है ताकि डीथाईलकार्बनाझीन पर जीएसटी दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत और 28.05.2021 को हुई जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक में यथासंस्तुत अन्य परिवर्तनों को किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पच्चीस) सा.का.नि. 377(अ) जो 2 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 11/2017-केन्द्रीय कर (दर) में संशोधन करना है ताकि पोतों और अन्य जलयानों के संबंध में एमआरओ सेवाओं पर जीएसटी दर को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत और 28.05.2021 को हुई जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक में यथासंस्तुत अन्य परिवर्तनों को किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छब्बीस) सा.का.नि. 380(अ) जो 2 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 6/2019-केन्द्रीय कर (दर) में संशोधन करना है ताकि 28.05.2021 को हुई जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक में यथासंस्तुत विकासकर्ता-प्रवर्तक को पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने से पहले या समय पर किसी भी समय भूस्वामी-प्रवर्तक के लिए निर्मित अपार्टमेंट पर जीएसटी का भुगतान करने की अनुमति दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सत्ताईस) सा.का.नि. 402(अ) जो 14 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 8/2017-केन्द्रीय कर (दर) में संशोधन करना है ताकि 12.06.2021 को हुई जीएसटी परिषद की 44वीं बैठक में यथासंस्तुत 14 जून, 2021 से शुरू होने वाली और 30 सितंबर, 2021 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान मृतक के अंतिम संस्कार, दफनाने या दाह संस्कार के लिए बनाई गई संरचना के संबंध में कार्य अनुबंध सेवाओं की समग्र आपूर्ति पर जीएसटी दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(अट्ठाईस) सा.का.नि. 405(अ) जो 14 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 12.06.2021 को हुई जीएसटी परिषद की 44वीं बैठक में यथासंस्तुत कोविड -19 राहत आपूर्तियों पर सीजीएसटी की रियायती दर को 30 सितंबर 2021 तक और सहित प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(21) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 311(अ) जो 1 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मार्च और अप्रैल 2021 माह के लिए ब्याज दर को घटाकर राहत प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा.का.नि. 372(अ) जो 01 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मार्च, 2021 से मई, 2021 की कर अवधियों के लिए नियत समय हेतु ब्याज दर को घटाकर राहत प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा.का.नि. 375(अ) जो 2 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 1/2017-एकीकृत कर (दर) में संशोधन करना है ताकि

डीथाईलकार्बनाझीन पर जीएसटी दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत और 28.05.2021 को हुई जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक में यथासंस्तुत अन्य परिवर्तनों को किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा.का.नि. 378(अ) जो 2 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 8/2017-एकीकृत कर (दर) में संशोधन करना है ताकि पोतों और अन्य जलयानों के संबंध में एमआरओ सेवाओं पर जीएसटी दर को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत और 28.05.2021 को हुई जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक में यथासंस्तुत अन्य परिवर्तनों को किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पाँच) सा.का.नि. 381(अ) जो 2 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 6/2019-एकीकृत कर (दर) में संशोधन करना है ताकि 28.05.2021 को हुई जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक में यथासंस्तुत विकासकर्ता-प्रवर्तक को पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने से पहले या समय पर किसी भी समय भूस्वामी-प्रवर्तक के लिए निर्मित अपार्टमेंट पर जीएसटी का भुगतान करने की अनुमति दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छह) सा.का.नि. 403(अ) जो 14 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 8/2017-एकीकृत कर (दर) में संशोधन करना है ताकि 12.06.2021 को हुई जीएसटी परिषद की 44वीं बैठक में यथासंस्तुत 14 जून, 2021 से शुरू होने वाली और 30 सितंबर, 2021 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान मृतक के अंतिम संस्कार, दफनाने या दाह संस्कार के लिए बनाई गई संरचना के संबंध में कार्य अनुबंध सेवाओं की समग्र आपूर्ति पर जीएसटी दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) सा.का.नि. 406(अ) जो 14 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 12.06.2021 को हुई जीएसटी परिषद की 44वीं बैठक में यथासंस्तुत कोविड -19 राहत आपूर्तियों पर आईजीएसटी की रियायती दर को 30 सितंबर 2021 तक और सहित प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) सा.का.नि. 383(अ) जो 2 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 30.09.2019 की अधिसूचना संख्या 4/2019-एकीकृत कर में संशोधन करना है ताकि पोतों/जलयानों के संबंध में बी2बी एमआरओ सेवाओं के लिए आपूर्ति के स्थान को प्राप्तकर्ता के स्थान में बदला जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(22) संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 312(अ) जो 1 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मार्च और अप्रैल 2021 माह के लिए ब्याज दर को घटाकर राहत प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा.का.नि. 373(अ) जो 01 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मार्च, 2021 से मई, 2021 की कर अवधियों के लिए नियत समय हेतु ब्याज दर को घटाकर राहत प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा.का.नि. 376(अ) जो 2 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 1/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में संशोधन करना है ताकि डीथाईलकार्बनाझीन पर जीएसटी दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत और

28.05.2021 को हुई जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक में यथासंस्तुत अन्य परिवर्तनों को किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा.का.नि. 379(अ) जो 2 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 11/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में संशोधन करना है ताकि पोतों और अन्य जलयानों के संबंध में एमआरओ सेवाओं पर जीएसटी दर को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत और 28.05.2021 को हुई जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक में यथासंस्तुत अन्य परिवर्तनों को किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पाँच) सा.का.नि. 382(अ) जो 2 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 6/2019- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में संशोधन करना है ताकि 28.05.2021 को हुई जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक में यथासंस्तुत विकासकर्ता-प्रवर्तक को पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने से पहले या समय पर किसी भी समय भूस्वामी-प्रवर्तक के लिए निर्मित अपार्टमेंट पर जीएसटी का भुगतान करने की अनुमति दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छह) सा.का.नि. 404(अ) जो 14 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 11/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में संशोधन करना है ताकि 12.06.2021 को हुई जीएसटी परिषद की 44वीं बैठक में यथासंस्तुत 14 जून, 2021 से शुरू होने वाली और 30 सितंबर, 2021 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान मृतक के अंतिम संस्कार, दफनाने या दाह संस्कार के लिए बनाई गई संरचना के संबंध में कार्य अनुबंध सेवाओं की समग्र आपूर्ति पर जीएसटी दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) सा.का.नि. 407(अ) जो 14 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 12.06.2021 को हुई जीएसटी परिषद की 44वीं बैठक में यथासंस्तुत कोविड -19 राहत आपूर्तियों पर यूटीजीएसटी की रियायती दर को 30 सितंबर 2021 तक और सहित प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(23) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 29 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) अधिसूचना सं. आईएफएससीए/2020-21/इंडिया आईएनएक्स/120 जो दिनांक 23 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज लिमिटेड द्वारा प्रतिभूति संविदा (प्रतिभूति संविदा (विनियमन) का विनियम 12) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018) के अंतर्गत मान्यता के नवीकरण के बारे में है ।

(दो) अधिसूचना सं. आईएफएससीए/2020-21/इंडिया आईसीसी/126 जो दिनांक 23 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो इंडिया इंटरनेशनल क्लीयरिंग कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रतिभूति संविदा के विनियम 12 (प्रतिभूति संविदा (विनियमन) का विनियम 12) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018) के अंतर्गत मान्यता के नवीकरण के बारे में है।

(तीन) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केन्द्र प्राधिकरण (बुलियन एक्सचेंज) (संशोधन) विनियम, 2021, जो दिनांक 6 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2021-22/जीएन/आरईजी014 में प्रकाशित हुए।

(चार) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बैंकिंग) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021 जो दिनांक 6 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2021-22/जीएन/आरईजी013 में प्रकाशित हुए।

(पाँच) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (विनियम बनाने की प्रक्रिया) विनियम, 2021 जो 6 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2021-22/जीएन/आरईजी012 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बाजार अवसंरचना संस्थाएं) विनियम, 2021 जो 16 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2021-22/जीएन/आरईजी011 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (वित्त कंपनी) विनियम, 2021 जो दिनांक 31 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2020-21/जीएन/आरईजी010 में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें दिनांक 16 अप्रैल, 2021 की अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2020-21/जीएन/आरईजी010 में प्रकाशित इसका शुद्धिपत्र अंतर्विष्ट है।

(आठ) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बैंकिंग) (संशोधन) विनियम, 2021 जो दिनांक 31 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2020-21/जीएन/आरईजी009 में प्रकाशित हुए।

(नौ) अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2020-21/जीएन/आरईजी008, जो दिनांक 5 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई और जिसके द्वारा अर्हक वित्तीय संविदा को निर्दिष्ट किया गया है।

(दस) अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2020-21/जीएन/आरईजी004, जो दिनांक 12 मई, 2021 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसमें दिनांक 20 नवम्बर, 2020 की अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2020-21/जीएन/आरईजी004 में प्रकाशित इसका शुद्धिपत्र अंतर्विष्ट है।

(ग्यारह) अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2020-21/एनएसई-आईएफएससी/262, जो दिनांक 24 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो एनएसई आईएफएससी लिमिटेड द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बाजार अवसंरचना संस्थाएं) विनियम, 2021 के विनियम 12 के तहत मान्यता के नवीकरण के बारे में है।

(बारह) अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2020-21/एनएसई-एनआईसीसीएल/245 जो दिनांक 24 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई तथा जो एनएसई आईएफएससी क्लीयरिंग कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बाजार अवसंरचना संस्थाएं) विनियम, 2021 के विनियम 12 के तहत मान्यता के नवीकरण के बारे में है।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य् मंत्री (श्री रामेश्वर तेली) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) राजीव गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, अमेठी के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) राजीव गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, अमेठी के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) ऑयल इंडिया लिमिटेड और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-21 के लिए हुए

समझौता-ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने शिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (डॉ. सुभाष सरकार) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल, चेन्नई के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल, चेन्नई के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (डॉ. भागवत किशनराव कराड़) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (आईआईबीआई के इक्विटी शेयरधारकों के लिए आईआईबीआई का स्वैच्छिक समापन), कोलकाता के 31.03.2021 को समाप्त हुई तिमाही के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (आईआईबीआई के इक्विटी शेयरधारकों के लिए आईआईबीआई का स्वैच्छिक समापन), कोलकाता के बारे में 31.03.2021 को समाप्त हुई तिमाही के लिए परिसमापक का प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) (एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 18 की उप-धारा (3) के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(4) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं

की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय जीवन बीमा निगम क्लास-I अधिकारी (भारतीय बीमा संस्थान की परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के लिए विशेष भत्ता) नियम, 2021 जो दिनांक 15 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.267(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय जीवन बीमा निगम क्लास-I अधिकारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का संशोधन) संशोधन नियम, 2021 जो दिनांक 15 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.268(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का संशोधन) संशोधन नियम, 2021 जो दिनांक 15 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.269(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय जीवन बीमा निगम क्लास-III और क्लास-IV कर्मचारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का संशोधन) संशोधन नियम, 2021 जो दिनांक 15 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.270(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय जीवन बीमा निगम क्लास-III कर्मचारी (परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के लिए विशेष भत्ता) संशोधन नियम, 2021 जो दिनांक 15 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.271(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय जीवन बीमा निगम (बीमांकिक क्षमता के इन-हाउस विकास के लिए विशेष भत्ता) संशोधन नियम, 2021 जो दिनांक 15 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.272(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय जीवन बीमा निगम (विशेष क्षेत्र भत्ता) संशोधन नियम, 2021 जो दिनांक 15 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.273(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय जीवन बीमा निगम (स्टाफ) संशोधन नियम, 2021 जो दिनांक 30 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.459(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय जीवन बीमा निगम (बीमांकिक क्षमता के इन-हाउस विकास के लिए विशेष भत्ता) दूसरा संशोधन नियम, 2021 जो दिनांक 7 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.474(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय जीवन बीमा निगम सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ समूह (चयन, सेवा के निबंधन और शर्तें तथा भत्ते का संदाय) संशोधन नियम, 2021 जो दिनांक 7 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.475(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) भारतीय जीवन बीमा निगम सूचना विकास अधिकारी (सेवा के निबंधन और शर्तों का संशोधन) संशोधन नियम, 2021 जो दिनांक 7 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.476(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) भारतीय जीवन बीमा निगम क्लास-III और क्लास-IV कर्मचारी (प्रोन्नति) संशोधन नियम, 2021 जो दिनांक 7 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.477(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) भारतीय जीवन बीमा निगम (अध्यक्ष और प्रबंध निदेशकों को उपदान का संदाय) (संशोधन) नियम, 2021 जो दिनांक 7 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.

सा.का.नि.478(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) भारतीय जीवन बीमा निगम (सेवा के कतिपय निबंधन और शर्तें) (संशोधन) नियम, 2021 जो दिनांक 7 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.479(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पंद्रह) भारतीय जीवन बीमा निगम प्रबंध निदेशक (सेवा के कतिपय निबंधनों और शर्तों का संशोधन) (संशोधन) नियम, 2021 जो दिनांक 7 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.480(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) जीवन बीमा निगम (स्टाफ) दूसरा संशोधन नियम, 2021 जो दिनांक 7 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.481(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सत्रह) भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) नियम, 2021 जो दिनांक 7 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.482(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(5) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114 की उप-धारा (3) तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरणों और लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन का तैयार किया जाना) (पहला संशोधन) विनियम, 2021 जो दिनांक 11 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. आईआरडीएआई/आरईजी /5/177/2021 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (विनियामक सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021 जो दिनांक 9 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. आईआरडीएआई/आरईजी/3/175/2021 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (भारतीय बीमा कंपनियां) (संशोधन) विनियम, 2021 जो दिनांक 8 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. आईआरडीएआई/आरईजी/6/178/2021 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा विज्ञापन और प्रकटन) विनियम, 2021 जो दिनांक 9 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. आईआरडीएआई/आरईजी/2/174/2021 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (समामेलन होने पर शेयरधारकों या सदस्यों को दिए जाने वाले प्रतिकर के आकलन की रीति) विनियम, 2021 जो दिनांक 22 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. आईआरडीएआई/आरईजी/4/176/2021 में प्रकाशित हुए थे।

(6) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) बीमा (प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील) संशोधन नियम, 2021 जो दिनांक 15 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.262(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) बीमा लोकपाल (दूसरा संशोधन) नियम, 2021 जो दिनांक 18 मई, 2021 के भारत के राजपत्र

में अधिसूचना सं. सा.का.नि.334(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय बीमा कंपनियां (विदेशी निवेश) संशोधन नियम, 2021 जो दिनांक 19 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.337(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(7) बीमांकिक अधिनियम, 2006 की धारा 58 के अंतर्गत बीमांकिक (पेशेवर और अन्य कदाचार की जांच की प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2021 जो दिनांक 18 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.417(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

6. वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी ने "कोविड पश्चात् अर्थव्यवस्था में निवेश आकर्षित करना : भारत के लिए चुनौतियां और अवसर" के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 158वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 163वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

7. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री राजीव प्रताप रूडी ने "भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का कार्यकरण" के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति का 297वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

8. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पंकज चौधरी) ने वित्त मंत्री; तथा कारपोरेट कार्यमंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) की ओर से आर्थिक कार्य, व्यय, वित्तीय सेवाएं विभाग तथा निवेश और लोक आस्ति प्रबंधन विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-22) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(दो) इस्पात मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते) ने निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखें:-

(1) इस्पांत मंत्रालय से संबंधित "अनुदानों की मांगों (2021-22)" के बारे में कोयला और इस्पांत संबंधी स्थायी समिति के 18वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) इस्पात मंत्रालय से संबंधित "पट्टे पर दी गई लौह अयस्क खदानों का विकास और उनकी अधिकतम क्षमता का उपयोग" के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(तीन) संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने रक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अजय भट्ट) की ओर से निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखें:-

(1) पर्यटन मंत्रालय से संबंधित दार्जिलिंग और सिक्किम में पर्यटन का विकास के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 190वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) पर्यटन मंत्रालय से संबंधित जम्म-कश्मीर में पर्यटन का विकास के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 270वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(चार) शिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (डॉ. सुभाष सरकार) ने निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखें:-

(1) उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के 322वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-22) के बारे में शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के 324वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

9. प्रस्ताव

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने श्री प्रहलाद जोशी की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव किया:-

"कि यह सभा 30 जुलाई, 2021 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के तेईसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.07 बजे

10. सरकारी विधेयक – वापस लिया गया

अधिकरण सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें) विधेयक, 2021

11. सरकारी विधेयक – पुरःस्थापित

अधिकरण सुधार विधेयक, 2021

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.10 बजे स्थगित हुई और

अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराह्न 2.00 बजे

12. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त एक संदेश की सूचना दी कि 30 जुलाई, 2021 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा ने नारियल विकास बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया।

13. राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक - सभा पटल पर रखा गया

नारियल विकास बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2021

अपराह्न 2.02 बजे

14. नियम 377 के अधीन मामले

(1) श्री सुमेधानन्द सरस्वती द्वारा राज्य राजमार्ग 37 बी (कोटपुतली-सीकर) को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री कुनार हेम्ब्रम द्वारा दूरदर्शन का एक संथाली चैनल शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा बिहार के एकमा, चैनवा और महाराजगंज रेलवे स्टेशनों के नज़दीक रेलवे की खाली पड़ी जमीन को विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी द्वारा ओडिशा के बालासोर में एक प्लास्टिक पार्क की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री नायब सिंह द्वारा पिहोवा होते हुए पटियाला से हरिद्वार के बीच की सड़क को चार लेन में विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री छेदी पासवान द्वारा बिहार के सासाराम रेलवे जंक्शन पर राजधानी एक्सप्रेस का ठहराव दिए जाने और डेहरी-ऑन-सोन से बंजारी तक प्रस्तावित रेल लाईन का निर्माण कार्य तेज किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री रतन लाल कटारिया द्वारा अम्बाला को औद्योगिक केन्द्र के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्रीमती केशरी देवी पटेल द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री जी. एस. बसवराज द्वारा मैसूरु में मोरारजी देसाई योग और प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान का क्षेत्रीय कैम्पस स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री मोहन मंडावी द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्वास्थ्य कर्मियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री तीरथ सिंह रावत द्वारा थराली-घाट मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 2.21 बजे स्थगित हुई और

अपराह्न 3.30 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराह्न 3.30 बजे

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

(1) श्री दिलीप शइकीया द्वारा राज्यों के मध्य सीमा विवादों को निपटाने हेतु एक आयोग की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री राहुल कस्वां द्वारा जलजीवन मिशन के अंतर्गत कार्यों को कार्यान्वित किए के बारे में।

(3) श्री छतर सिंह दरबार द्वारा बालिकाओं के विरुद्ध अपराधों को रोकने हेतु पुलिस और आसूचना एजेंसियों को सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना और आयुष्मान भारत योजना के लाभ सभी पात्र परिवारों को प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री मुकेश राजपूत द्वारा नि:शुल्क राशन में आलू को शामिल किए जाने बारे में।

(6) श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे द्वारा रेलवे में ट्रैक मेंटेनर्स और 'खलासी' के पद पर चयनित कर्मचारियों को कार्यभार से मुक्त किए जाने के बारे में।

(7) श्री वी. वैथिलिंगम द्वारा कर्नाटक के मेकेदाटू में कावेरी नदी पर एक बांध का निर्माण किए जाने के बारे में।

(8) श्री (एडवोकेट) अदूर प्रकाश द्वारा अटिंगल बाईपास के लिए जिन लोगों की भूमि अधिग्रहित की गई है, उन्हें मुआवजा दिए जाने के बारे में।

(9) श्री मणिक्कम टैगोर द्वारा शिवकाशी में आतिशबाजी हेतु निर्यात केन्द्र स्थापित किए जाने के बारे में।

(10) श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू द्वारा आंध्र प्रदेश के लिए जल प्रबंध योजना के बारे में।

(11) श्री राहुल रमेश शेवाले द्वारा मराठा समुदाय को आरक्षण दिए जाने के बारे में।

(12) श्री संतोष कुमार द्वारा 2021 की जनगणना में जाति जनगणना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री (एडवोकेट) ए.एम. आरिफ़ द्वारा एक जेस्यूईट पादरी और कार्यकर्ता की मृत्यु की न्यायिक जांच किए जाने के बारे में।

अपराह्न 3.31 बजे

15. सरकारी विधेयक – पारित

साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2021

लिया गया समय: 8 मिनट

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयक पर विचार किये जाने के लिए प्रस्ताव किया गया।

विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ हुआ।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

खंड 4 स्वीकृत हुआ।

खंड 5 स्वीकृत हुआ।

खंड 6 स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयक को पारित किए जाने के लिए प्रस्ताव किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

अपराह्न 3.39 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा मंगलवार, 03 अगस्त, 2021 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 3 अगस्त, 2021/12श्रावण, 1943 (शक)

संख्या 125

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

प्रश्न संख्या 201 से 203, 205 और 206 के मौखिक उत्तर दिए गए। प्रश्न संख्या 204 का उत्तर सभा पटल पर रखा गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.40 बजे स्थगित हुई और

मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई)

प्रश्न संख्या 207 से 220 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

. अतारांकित प्रश्न संख्या 2301 से 2530 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3[#]. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने सभा की संसदीय परंपरा कायम रखने के बारे में टिप्पणी की।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्री(श्री मनसुख मांडविया) की ओर से कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड तथा औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री;सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री राव इंद्रजीत सिंह) की ओर से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 की उप-धारा (4) के अंतर्गत इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी (लेखांकन, लेखापरीक्षा, हस्तांतरण और प्रतिदाय) संशोधन नियम, 2021 जो 9 जून, 2021 के

[#] पूर्वाह्न 11.39 बजे की गयी। मूल हिन्दी में। विवरण के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 396(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे) की ओर से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन को हटाना (दूसरा संशोधन) आदेश, 2021 जो 19 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 2871 (अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) हिन्दुस्तान वेजीटेबल ऑयल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान वेजीटेबल ऑयल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) गन्ना विकास निधि अधिनियम, 1982 की धारा 9 की उप-धारा (3) के अंतर्गत गन्ना विकास निधि (संशोधन) नियम, 2021 जो 26 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 210(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत गन्ना (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2021 जो 31 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2071(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 45 की उप-धारा (5) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय खाद्य निगम (स्टाफ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021 जो 7 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ईपी-17(1)2020 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय खाद्य निगम (स्टाफ) (पहला संशोधन) विनियम, 2021 जो 7 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ईपी.14(1)2017 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय खाद्य निगम (स्टाफ) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021 जो 18 जून, 2021 के

भारत के राजपत्र में अधिसूचना सख्या ईपी.1(1)2015(पीटी.) में प्रकाशित हुए थे।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्यमंत्री (डॉ. संजीव कुमार बालियान) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) ऐनीमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, चेन्नई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऐनीमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, चेन्नई के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री नित्यानन्द राय) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 2 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) चंडीगढ औद्योगिक और पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) चंडीगढ औद्योगिक और पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (सुश्री शोभा कारांदलाजे) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) जम्मू एंड कश्मीर हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, श्रीनगर के वर्ष 2001-2002 से 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जम्मू एंड कश्मीर हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, श्रीनगर के वर्ष 2001-2002 से 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) जम्मू एंड कश्मीर स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, श्रीनगर के वर्ष 2004-2005 से 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जम्मू एंड कश्मीर स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, श्रीनगर के वर्ष 2004-2005 से 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले 21 विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) आन्ध्र प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आन्ध्र प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) महाराष्ट्र एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) महाराष्ट्र एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले 4 विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ.1542(अ) जो 9 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित 8 सदस्यों वाली सेंट्रल बायोस्टीमुलेंट कमेटी का गठन किया गया है।

(दो) उर्वरक(अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) तीसरा संशोधन आदेश, 2021 जो 01 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.2126(अ) में प्रकाशित हुआ था तथा उसका शुद्धिपत्र जो 18 जून,2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.2416(अ)में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) का.आ.2127(अ) जो 1 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के लिए उसमें उल्लिखित उर्वरकों की विशिष्टताओं

को अधिसूचित किया गया है।

(चार) उर्वरक(अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2021 जो 15 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.2333(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(पांच) उर्वरक(अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) पांचवा संशोधन आदेश, 2021 जो 2 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.2671(अ) में प्रकाशित हुआ था।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री **(**श्री कैलाश चौधरी) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ए. नारायणस्वामी) की ओर से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(1) राष्ट्रीय अनुसूचित जातियां वित्त और विकास निगम, दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जातियां वित्त और विकास निगम, दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अजय कुमार) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) रेपको बैंक लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रेपको बैंक लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भगवंत खुबा) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, अहमदाबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, हाजीपुर के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, गुवाहाटी के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (सुश्री प्रतिमा भौमिक) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त एक संदेश की सूचना दी कि 2 अगस्त, 2021 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा, लोक सभा द्वारा यथापारित अन्तर्देशीय जलयान विधेयक, 2021 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

अपराह्न 12.03 बजे

6. विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन

श्री सुनील कुमार सिंह ने विशेषाधिकार समिति का दूसरा और तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

7. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री राजेन्द्र अग्रवाल ने सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) ''रेल मंत्रालय से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा'' के बारे में 45वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(2) ''आश्वासनों को छोड़ने के लिए अनुरोध (स्वीकार किए गए)'' के बारे में 46वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(3) ''आश्वासनों को छोड़ने के लिए अनुरोध (स्वीकार नहीं किए गए)'' के बारे में 47वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

8. वित्त संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री जयंत सिन्हा ने वित्त संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) कारपोरेट कार्य मंत्रालय का 'दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता का कार्यान्वयन - कमियां और समाधान' विषय संबंधी 32वां प्रतिवेदन।

(2) वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) के 'भारत में बैंकिंग क्षेत्र - बैंकों/वित्तीय संस्थाओं में एनपीए/दबावग्रस्त आस्तियों के विशेष संदर्भ में मुद्दे, चुनौतियां और भावी योजना' विषय के बारे में 68वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 33वां प्रतिवेदन।

(3) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य और राजस्व विभाग) और वाणिज्य मंत्रालय (औद्योगिक संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग) के 'स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का वित्तपोषण' विषय के बारे में 12वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 34वां प्रतिवेदन।

(4) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, व्यय, वित्तीय सेवाएं तथा निवेश और लोक आस्ति प्रबंधन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2021-22) संबंधी 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 35वां प्रतिवेदन।

(5) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अनुदानों की मांगों (2021-22) संबंधी 26वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 36वां प्रतिवेदन।

(6) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2021-22) संबंधी 27वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 37वां प्रतिवेदन।।

(7) योजना मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2021-22) संबंधी 28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 38वां प्रतिवेदन।

(8) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2021-22) संबंधी 29वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 39वां प्रतिवेदन।

9. श्रम संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया ने 'बढ़ती हुई बेरोजगारी पर कोविड-19 का प्रभाव तथा संगठित और असंगठित क्षेत्रों में रोजगार/आजीविका का जाना' विषय के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति का 25वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

10. जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के विवरण

डॉ. संजय जायसवाल ने जल शक्ति मंत्रालय - जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की 'अनुदानों की मांगों (2019-20) और (2020-21)' विषय के बारे में क्रमश: पहले और तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी छठे और आठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के बारे में सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के विवरण की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

11. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्रीमती रमा देवी ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे-

(1) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के 'बहु-क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी)/प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) योजना' के बारे में समिति (2017-18) के 62वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/ सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2018-19) के 66वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(2) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगें (2019-20)' के बारे में समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/ सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2019-20) के 13वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(3) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगें (2020-21)' के बारे में समिति के आठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/ सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में सामाजिक न्याय और

अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2020-21) के 17वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

परिवहन,

12. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री रामदास चन्द्रभानजी तडस ने परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति का 'पर्यटन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगें (2021-22) संबंधी समिति के 288वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई' के बारे में 298वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.05 बजे

13. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) कृषि और किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) ने कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-22) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण सभा पटल पर रखा

(दो) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री **(**डॉ. वीरेन्द्र कुमार) ने निम्नलिखित के बारे में विवरण सभा पटल पर रखे:-

(1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2019-2020) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-2021) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(तीन) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे) ने उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-2022) के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 10वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण सभा पटल पर रखा।

(चार) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्यमंत्री; ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति) ने खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग; उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-2022) के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 9वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण सभा पटल पर रखा।

(पांच) गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री नित्यानन्द राय) ने गृह मंत्रालय से संबंधित 'दिल्ली में बिगड़ती हुई यातायात स्थिति का प्रबंधन' के बारे में समिति के 222वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 228वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण सभा पटल पर रखा।

(छह) गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अजय कुमार) ने गृह मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-2021) के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 224वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण सभा पटल पर रखा।

(सात) नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भगवंत खुबा) ने निम्नलिखित के बारे में विवरण सभा पटल पर रखे:-

(1) उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2019-2020) के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-2021) के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के सातवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(आठ)* मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्यमंत्री; सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा. एल. मुरूगन) ने मत्स्यपालन विभाग; मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-2021) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के बारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारें में विवरण सभा पटल पर रखा।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.11 बजे स्थगित हुई और

अपराह्न 2.02 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 2.02 बजे

14. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

(1) श्री खगेन मुर्मु द्वारा पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना के कार्यान्वयन के बारे में।

(2) डॉ. रमापति राम त्रिपाठी द्वारा उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के तरैया सुजान रेलवे स्टेशन पर ट्रेन संख्या का ठहराव द 08/55007 और 14/05113िए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

* अपराह्न 4.00 बजे रखा गया।

(3) श्री राम कृपाल यादव द्वारा कर्मचारी पेंशन स्कीम के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री बिद्युत बरन महतो द्वारा झारखण्ड में 'पटमदा पम्प नहर' स्कीम के कार्यान्वयन के बारे में।

(5) डॉ. उमेश जी. जाधव द्वारा कर्नाटक के यदागीर शहर में प्रधान डाकघर की स्थापना किए जाने के बारे में।

(6) श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे द्वारा महाराष्ट्र के लातूर रेलवे स्टेशन पर पिट लाइन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री राजू बिष्ट द्वारा छूटी हुई गोरखा उप जनजाति 11यों को पुनअनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में : शामिल किए जाने के बारे में।

(8) श्री धर्मवीर सिंह द्वारा हरियाणा के भिवानीमहेन्द्रगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मिनी फूड पार्क की - स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में

(9) श्री अरुण साव द्वारा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिला स्थित रतनपुर का पर्यटक स्थल के रूप में विकास किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री सत्यदेव पचौरी द्वारा कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 के अंतर्गत पेंशन बढ़ाए जाने के बारे में ।

(11) श्री जगन्नाथ सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल में हाथ से बुने हुए वस्त्र उद्योग को वित्तीय सहायता दिए जाने के बारे में।

(12) श्री रामदास सी. तडस द्वारा बंगलादेश निर्यात किए जाने वाले नारंगियों पर आयात शुल्क बढ़ाए जाने के बारे में।

(13) श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी द्वारा तेलंगाना के भोंगीर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भोंगीर किला के विकास हेतु धनराशि आबंटित किए जाने के बारे में।

(14) श्री वी. कलानिधि द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के सचिव पद पर नियुक्ति में हुई कथित अनियमितता के बारे में।

(15) श्री सी. एन. अन्नादुरई द्वारा तमिलनाडू के तिरूवन्नामलाई जिले में ईको टूरिज्म को बढ़ावा दिए जाने के बारे में।

(16) प्रोसौगत . राय द्वारा कृषि कानूनों के निरसन के बारे में।

(17) श्रीमती चिंता अनुराधा द्वारा जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने के लिए आंध्र प्रदेश को धनराशि संस्वीकृत किए जाने के बारे में।

(18) श्री दिलेश्वर कामैत द्वारा वर्ष की जनगणना में जाति जनगणना कर 2021ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) श्री एनप्रेमचन्द्रन .के . द्वारा कोल्लमसेनकोट्टा रेल लाइन के विद्युतीकरण के बारे -पुनलूर और पुनलूर- में।

(20) श्री नरेन्द्र कुमार द्वारा राजस्थान के झुंझुनू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र स्थित कर्मचारी राज्य बीमा आयोग के डीसीबीओ का स्तरोन्नयन बेड वाले अस्पताल में किए जाने की आवश्यकता के बारे में । 30

(21) श्री के. राम मोहन नायडू द्वारा आरआईएनएल के विनिवेश के बारे में ।

(22) श्री हनुमान बेनीवाल द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय में दिनांक से पूर्व नियुक्त कर्मचारियों को 2004-1-1 मावलीकेन्द्रीय सिविल सेवा पेंशन निय, 1972 के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(23) श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया द्वारा राजस्थान के टोंक - सवाई माधोपुर लोक सभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निवाई में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना के बारे में ।

अपराहन 2.04 बजे

15. (एक) सांविधिक संकल्प - पेश नहीं किया गया

(दो) ***अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक, 2021 - पारित***

लिया गया समय: 12 मिनट

श्री अजय भट्ट द्वारा श्री राजनाथ सिंह की ओर से विधेयक पर विचार किये जाने के लिए प्रस्ताव किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन
2. श्री अधीर रंजन चौधरी
3. प्रो. सौगत राय

श्री राजनाथ सिंह ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ हुआ।

खंड 2 से 19 स्वीकृत हुए।

खंड 1, यथा संशोधित स्वीकृत हुआ।

अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री अजय भट्ट द्वारा विधेयक, यथा संशोधित, को पारित किए जाने के लिए प्रस्ताव किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक, यथा संशोधित, पारित हुआ।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराहन 2.16 बजे स्थगित हुई और

अपराहन 4.00 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराहन 4.00 बजे

15. (एक) सांविधिक संकल्प - पेश नहीं किया गया

(दो) *अधिकरण सुधार विधेयक, 2021 - पारित*

लिया गया समय: 9 मिनट

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयक पर विचार किये जाने के लिए प्रस्ताव किया गया।

विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ हुआ।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 3 से 35 स्वीकृत हुए।

पहली और दूसरी अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयक को पारित किए जाने के लिए प्रस्ताव किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

अपराहन 4.09 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा बुधवार, 04 अगस्त, 2021 के पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 4 अगस्त, 2021/13 श्रावण, 1943 (शक)

संख्या 126

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख*

अध्यक्ष ने श्री खेलन राम जांगड़े (सदस्य, 8वीं और 10वीं लोक सभा); श्री सुरेन्द्र यादव (सदस्य, 11वीं लोक सभा); श्री दामोदर बरकू शिंगदा (सदस्य, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं और 14वीं लोक सभा);श्री दहयाभाई वल्लभभाई पटेल (सदस्य, 13वीं और 14वीं लोक सभा); श्री शिवराज सिंह लोधी (सदस्य, 15वीं लोक सभा); श्री बाबागौड़ा पाटील (सदस्य, 12वीं लोक सभा); श्री जी. माडेगौड़ा (सदस्य, 9वीं और 10वीं लोक सभा); और श्री परसराम मेघवाल (सदस्य, 11वीं लोक सभा) के निधन के संबंध में उल्लेख किया।

तत्पश्चात् सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.06 बजे

2. तारांकित प्रश्न

प्रश्न संख्या 221 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.13 बजे स्थगित हुई और

पूर्वाह्न 11.30 बजे पुन: समवेत हुई)

पूर्वाह्न 11.30 बजे

प्रश्न संख्या 222 का उत्तर सभा पटल पर रखा गया।

(निरंतर व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.31 बजे स्थगित हुई और

मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई)

प्रश्न संख्या 223 से 240 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

---

* मूल हिन्दी में । विवरण के लिए, कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

3. अतारांकित प्रश्न

. अतारांकित प्रश्न संख्या 2531 से 2760 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

4. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी*

अध्यक्ष ने सदस्यगणों से सभा की मर्यादा और गरिमा बनाये रखने की अपील की।

मध्याह्न 12.00 **बजे**

5. सभा पटल पर रखे गए पत्र

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने रक्षा मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, बंगलौर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, बंगलौर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने पंद्रहवीं, सोलहवीं और सत्रहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों तथा परिवचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

पंद्रहवीं लोक सभा

1.	विवरण संख्या 34	पांचवां सत्र, 2010
2.	विवरण संख्या 29	तेरहवां सत्र, 2013
3.	विवरण संख्या 24	चौदहवां सत्र, 2013
4.	विवरण संख्या 25	पन्द्रहवां सत्र, 2013-14
	सोलहवीं लोक सभा	
5.	विवरण संख्या 24	दूसरा सत्र, 2014
6.	विवरण संख्या 24	तीसरा सत्र, 2014
7.	विवरण संख्या 23	चौथा सत्र, 2015
8.	विवरण संख्या 20	पांचवां सत्र, 2015
9.	विवरण संख्या 20	छठा सत्र, 2015

* पूर्वाह्न 11.12 बजे की गई। मूल हिन्दी में । विवरण के लिए, कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

10.	विवरण संख्या 18	आठवां सत्र, 2016
11.	विवरण संख्या 17	नौवां सत्र, 2016
12.	विवरण संख्या 15	दसवां सत्र, 2016
13.	विवरण संख्या 15	ग्यारहवां सत्र, 2017
14.	विवरण संख्या 13	बारहवां सत्र, 2017
15.	विवरण संख्या 12	तेरहवां सत्र, 2017-18
16.	विवरण संख्या 11	चौदहवां सत्र, 2018
17.	विवरण संख्या 10	पन्द्रहवां सत्र, 2018
18.	विवरण संख्या 8	सोलहवां सत्र, 2018-19
19.	विवरण संख्या 7	सत्रहवां सत्र, 2019
	सत्रहवीं लोक सभा	
20.	विवरण संख्या 6	पहला सत्र, 2019
21.	विवरण संख्या 5	दूसरा सत्र, 2019
22.	विवरण संख्या 4	तीसरा सत्र, 2020
23.	विवरण संख्या 3	चौथा सत्र, 2020
24.	विवरण संख्या 1	पांचवां सत्र, 2021

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने रेल मंत्रालय में राज्यमंत्री; कोयला मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राइट्स लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुआ समझौता-ज्ञापन।

(दो) भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुआ समझौता-ज्ञापन।

(तीन) रेल विकास निगम लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुआ समझौता-ज्ञापन।

(2) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 2807(अ) जो 13 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की पहली अनुसूची के भाग ख में निर्दिष्ट सभी या किसी शक्ति का उपयोग करने के लिए परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय के, उसमें उल्लिखित, अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है ।

(दो) का.आ. 2805(अ) जो 13 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की पहली अनुसूची के भाग ख में यथानिर्दिष्ट किसी दंडनीय अपराध के संबंध में लिखित में शिकायतें प्राप्त करने के

लिए परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय के, उसमें उल्लिखित, अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है ।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) एमएमटीसी लिमिटेड तथा वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुए समझौता-ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पीईसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पीईसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 की धारा 55 की उप-धारा (3) के अंतर्गत विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) नियम, 2021 जो दिनांक 21 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 424(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(5) विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 19 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 1372 (अ) जो 26 मार्च,2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मिलर्स/रिफाइनर्स/व्यापारियों द्वारा राजवित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आयात की जाने वाली उडद के 4 लाख एमटी वार्षिक कोटा को अधिसूचित करने के बारे में है।

(दो) का.आ. 1858 (अ) जो 15 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तत्काल प्रभाव से और 31 अक्तूबर, 2021 तक की अवधि के लिए तूर, मूंग और उड़द के लिए आयात नीति का ''प्रतिबंधित'' से ''मुक्त'' के रूप में संशोधन किए जाने के बारे में है।

(तीन) का.आ. 4741 (अ) जो 29 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस) निर्यात नीति, 2018, अध्याय 10, अनुसूची 2, क्रमांक 55 और 57 की नीतिगत शर्त में संशोधन किया गया है।

(चार) का.आ. 1145 (अ) जो 11 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लाल चन्दन का निर्यात-समय विस्तार के बारे में है।

(पांच) का.आ. 1548 (अ) जो 11 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो रेमडेसिविर और रेमडेसिविर एपीआई इंजेक्शन की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।

(छह) का.आ. 2070 (अ) जो 31 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा लाल चन्दन का निर्यात-समय विस्तार के बारे में है।

(सात) का.आ. 2103 (अ) जो 01 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो एम्फोटेरिसिन-बी इंजेक्शनों की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।

(आठ) का.आ. 2332 (अ) जो 14 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो रेमडेसिविर और रेमडेसिविर एपीआई इंजेक्शन की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।

(नौ) का.आ. 2663 (अ) जो 01 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस) निर्यात नीति, 2018, अध्याय 10, अनुसूची 2, क्रमांक 55 और 57 की नीतिगत शर्त में संशोधन के बारे में है।

(दस) का.आ. 2803 (अ) जो 12 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान मालदीव गणराज्य को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ. 638 (अ) जो 10 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो खाद्य आयात प्रवेश बिन्दुओं के बारे में है।

(बारह) का.आ. 656 (अ) जो 12 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के अध्याय-एक और अध्याय-दो के अंतर्गत आयातक-निर्यातक कोड (आईईसी) संबंधी उपबंधों के संशोधन के बारे में है।

(तेरह) का.आ. 1427(अ) जो 31 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय-74 और अध्याय-76 के अंतर्गत तांबे और एल्युमिनियम की आयात नीति में संशोधन के बारे में है।

(चौदह) का.आ. 1699(अ) जो 26 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (आईआईएस), 2017, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय-85 के एचएस कोड 85167920 और 85167990 के अंतर्गत नीति शर्त के समावेश और आयात नीति में संशोधन के बारे में है।

(पंद्रह) का.आ. 1700(अ) जो 26 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय-12 के एचएस कोड 12077090 के अंतर्गत अन्य के बारे में है।

(सोलह) का.आ. 1723 (अ) जो 30 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो विदेश व्यापार नीति 2015-20 के पैरा 2.25 में संशोधन के बारे में है।

(सत्रह) का.आ. 1840(अ) जो 10 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो एकीकृत परिपथों (आईसी) की आयात नीति में संशोधन और आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय-85 के एचएस कोड 85423100, 85423900, 85423200, 85429000 और 85423300 की निर्यात नीति के समावेश के बारे में है।

(अठारह) का.आ. 2608(अ) जो 28 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय-07 के एक्जिम कोड 07019000 के अंतर्गत मदों के लिए निर्यात नीति शर्तों के संशोधन के बारे में है।

(उन्नीस) का.आ. 2621(अ) जो 30 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय-15 के एचएस कोड 151190 के अंतर्गत मदों की आयात नीति में संशोधन के बारे में है।

(बीस) का.आ. 2659(अ) जो 1 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईईसी के संशोधन की अवधि को 31.07.2021 तक आगे बढ़ाए जाने और जुलाई, 2021 के दौरान आईईसी अद्यतन किए जाने के लिए शुल्क माफ किए जाने के बारे में है।

(इक्कीस) का.आ. 2783(अ) जो 12 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय-48 की नीतिगत शर्तों में संशोधन के बारे में है।

(6) तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 30 की उप-धारा 3 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 2304(अ) जो 14 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में सरकार द्वारा यथा-निर्धारित शास्तियां प्रभारित करके नीलामी प्लेटफॉर्मों पर अतिरिक्त अप्राधिकृत तम्बाकू खरीदने के लिए तम्बाकू व्यापारियों/डीलरों को अनुमति देने के लिए तम्बाकू बोर्ड को प्राधिकृत किया गया है तथा आंध्र प्रदेश राज्य में तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 10(1) के उपबंधों के प्रवर्तन को शिथिल बनाया गया है।

(दो) का.आ. 2305(अ) जो 14 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रारंभ होने वाली और 30 नवम्बर, 2021 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए आंध्र प्रदेश राज्य में तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 10(1) के उपबंधों के प्रवर्तन को शिथिल बनाया गया है।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने विधि और न्याय मंत्रालय में राज्यमंत्री (प्रो. एस.पी. सिंह बघेल) की ओर से विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 30 की उप-धारा (1) के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय विधिक सेवाएं समिति (संशोधन) नियम, 2021, जो 18 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 198(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सोम प्रकाश) की ओर से उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 6 अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 2710(अ) जो 6 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा सीमेंट उद्योग विकास परिषद की स्थापना की गई है और उसमें उल्लिखित व्यक्तियों को इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए उक्त परिषद के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने रक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अजय भट्ट) की ओर से आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 4 की उप-धारा (4) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.नि.आ. 18 जो 26 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा यह अधिसूचित किया गया है कि पेंशन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति, उसमें उल्लिखित दिशा-निदेशों के अध्यधीन, स्पर्श में पहचान के लिए स्वैच्छिक आधार पर आधार अधिप्रमाणन का उपयोग कर सकता है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने संचार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री देवुसिंह चौहान) की ओर से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम्स) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021 (2021 का 1) जो 11 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. सं. आरजी-1/2(3)/2021-बी और सीएस (2) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

6. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:-

(एक) कि 3 अगस्त, 2021 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा, लोक सभा द्वारा यथापारित दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(दो)# कि 4 अगस्त, 2021 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा ने सीमित दायित्व भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया।

(तीन) # कि 4 अगस्त, 2021 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा ने निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया।

7. # राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक-सभा पटल पर रखे गए

(एक) सीमित दायित्व भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2021

(दो) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (संशोधन) विधेयक, 2021

8. अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री राजेश वर्मा ने अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) विद्युत मंत्रालय से संबंधित 'एनएचपीसी लिमिटेड में रोजगार में अन्य पिछड़ा वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' के बारे में अन्य

अपराह्न 3.30 बजे

पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के पहले प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति (2021-22) का 9वां प्रतिवेदन।

(2) शिक्षा मंत्रालय से संबंधित 'केन्द्रीय विद्यालयों/नवोदय विद्यालयों और सैनिक स्कूलों/राष्ट्रीय सैनिक स्कूलों में प्रवेश और रोजगार में अन्य पिछड़ा वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपाय' के बारे में समिति के दूसरे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति (2021-22) का 10वां प्रतिवेदन।

(3) रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित 'नेशनल फर्टीलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल) में रोजगार में ओबीसी का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' के बारे में समिति के पांचवे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति (2021-22) का 11वां प्रतिवेदन।

9. विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति का विवरण

श्री पी.पी. चौधरी ने 'वर्ष 2019-20 के लिए विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों' के बारे में पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के उत्तरों के संबंध में विदेशी मामलों संबंधी समिति के पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

10. रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री उदय प्रताप सिंह ने 'राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक,2021' के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2020-21) का 23वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

11. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री तापिर गाव ने परिवहन,पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) 'संस्कृति मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2021-22) के बारे में समिति के 289वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई' संबंधी 299वां प्रतिवेदन।

(2) 'भारत के सामुद्रिक क्षेत्र में अवसंरचना का संवर्धन' संबंधी 300वां प्रतिवेदन।

12. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) ने कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-2022) के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के 106वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखा।

(दो) रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री; कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव) ने रेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-2022) के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति के 7वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखा।

(तीन) रक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट) ने निम्नलिखित के बारे में विवरण सभा पटल पर रखे:-

(1) रक्षा मंत्रालय से संबंधित 'आयुध निर्माणियां, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय और राष्ट्रीय कैडेट कोर (मांग संख्या 19 और 20)' के बारे में वर्ष 2019-20 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) रक्षा मंत्रालय से संबंधित 'थल सेना, नौसेना, वायु सेना और संयुक्त स्टाफ (मांग संख्या 19 और 20)' के बारे में वर्ष 2020-21 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(3) रक्षा मंत्रालय से संबंधित 'आयुध निर्माणियां, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय और राष्ट्रीय कैडेट कोर (मांग संख्या 19 और 20)' के संबंध में वर्ष 2020-21 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के आठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(4) रक्षा मंत्रालय से संबंधित 'थल सेना, नौसेना और वायु सेना (मांग संख्या 20)' के बारे में वर्ष 2018-19 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 41वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

13. वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति में नए सदस्यों की नियुक्ति के बारे में प्रस्ताव

श्री पी.पी.चौधरी ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया:-

"कि यह सभा वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति से श्रीमती कनिमोझी करूणानिधि के त्यागपत्र तथा श्रीमती मीनाक्षी लेखी और श्री अजय भट्ट के केन्द्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल होने से उत्पन्न हुई रिक्तियों पर थिरू दयानिधि मारन, डॉ. सत्यपाल सिंह और श्रीमती अपराजिता सारंगी को संयुक्त समिति में नियुक्त करती हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

14. वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति में नए सदस्यों की नियुक्ति के बारे में प्रस्ताव

श्री पी.पी.चौधरी ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया:-

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा प्रो. राम गोपाल यादव की राज्य सभा से सेवानिवृत्ति तथा श्री भूपेन्द्र यादव, श्री राजीव चन्द्रशेखर और श्री अश्वनी वैष्णव के त्यागपत्र के कारण उत्पन्न हुई रिक्तियों पर वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति के लिए राज्य सभा के **चार** सदस्यों को नियुक्त करे और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति के लिए इस प्रकार नियुक्त सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

*(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.**07** बजे स्थगित हुई और*

*अपराह्न 2.0**0** बजे पुन: समवेत हुई)*

अपराह्न 2.00 बजे

15. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

(1) श्री विष्णु दयाल राम द्वारा शेरघाटी और डाल्टेनगंज से होकर गयारफीगंज रेल लाइन का निर्माण किए - जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(2) श्री रमेश बिधूड़ी द्वारा दिल्ली में स्कूली बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उपलब्ध कराए जाने के बारे में ।

(3) श्री विवेक नारायण शेजवलकर द्वारा वैज्ञानिक आधार पर कोविड-19 के टीके की आपूर्ति के बारे में ।

(4) श्री गणेश सिंह द्वारा मध्य प्रदेश में चित्रकूट के विकास हेतु धनराशि उपलब्ध कराए जाने तथा चित्रकूट के लिए विकास बोर्ड की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(5) श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह द्वारा टिहरी बांध परियोजना के कारण विस्थापित हुए लोगों की शिकायतों के बारे में ।

(6) श्री अशोक महादेवराव नेते द्वारा महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में ।

(7) श्री अशोक कुमार रावत द्वारा उत्तर प्रदेश के मिश्रिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण संबंधी उपायों के बारे में ।

(8) श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव द्वारा बोलंगीर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित ओडिशा के आकांक्षी जिले में बैंक की शाखाएं खोले जाने के बारे में ।

(9) डॉहिना विजयकुमार गावीत . द्वारा महाराष्ट्र के नंदुरबार में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं के बारे में ।

(10) डॉ निशिकांत दुबे द्वारा झारखण्ड के देवघर में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने के बारे में ।

(11) डॉ. संजय जायसवाल द्वारा बिहार के चम्पारण से होकर बहने वाली नदियों पर जल विद्युत परियोजना और बराज का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(12) श्री रतनसिंह मगनसिंह राठौड़ द्वारा गुजरात के महिसागर जिले में एक चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(13) श्री जनार्दन मिश्र द्वारा मध्य प्रदेश के रीवा जिले में तेऔंथर और मऊगंज तहसीलों में केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(14) श्री अरुण कुमार सागर द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं 24 0(बरेलीपर कथित खराब (सीतापुर-शाहजहांपुर- निर्माण कार्य की जांच किए जाने और राष्ट्रीय राजमार्ग परएक रेल उपरि पुल तथा एक उपरि पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(15) श्री सु. थिरुनवुक्करासर द्वारा तमिलनाडु के तिरूचिरापल्ली स्थित सीस्वास्थ्य केन्द्र में .एस.एच.जी. उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं में सुधार के बारे में ।

(16) श्री वी.के. श्रीकंदन द्वारा केरल के पलक्कड़ जिले में जंगली पशु द्वारा कारित मृत्यु के बारे में ।

(17) श्री कोटागिरी श्रीधर द्वारा कोव्वूर से भद्राचलम तक रेल परियोजना के बारे में ।

(18) श्री वी. बालाशौरी द्वारा सहकारी बैंकों, गैर बैंककारी वित्तीय कम्पनियों और वित्तीय प्रबंध संस्थानों को भारतीय रिजर्व बैंक के पीसीए फ्रेमवर्क के अन्तर्गत लाए जाने के बारे में ।

(19) श्री भर्तृहरि महताब द्वारा ओडिशा में कार्यरत वाणिज्यिक बैंकों द्वारा क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बढ़ाए जाने के बारे में ।

(20) श्री कुंवर दानिश अली द्वारा पीएसीएल लिमिटेड में निवेश करने वाले सभी निवेशकों की धनराशि को वापस किया जाना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(21) श्री बी. बी. पाटील द्वारा पशु आहार के रूप में सोयाबीन की उपलब्धता के बारे में ।

(22) श्री एम. सेल्वराज द्वारा तमिलनाडु के नागापट्टिनम में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने के बारे में ।

(23) श्री नव कुमार सरनीया द्वारा असम के कतिपय समुदायों के लोगों को अनुसूचित जनजातियों की संघ सूची में शामिल किए जाने के बारे में ।

(24) डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन द्वारा चेन्नै में उच्चतम न्यायालय के एक स्थाई क्षेत्रीय न्यायपीठ की स्थापना किए जाने के बारे में ।

अपराहन 2.02 बजे

16. ***(एक) सांविधिक संकल्प - पेश नहीं किया गया***

(दो) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग अध्यादेश, 2021 - पारित

लिया गया समय: 09 मिनट

श्री भूपेन्द्र यादव द्वारा विधेयक पर विचार किये जाने के लिए प्रस्ताव किया गया।

विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ हुआ।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 3 स्वीकृत हुआ।

खंड 4 और 5 स्वीकृत हुए।

खंड 6 से 10 स्वीकृत हुए।

खंड 11 स्वीकृत हुआ।

खंड 12 से 31 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री भूपेन्द्र यादव द्वारा विधेयक को पारित किए जाने के लिए प्रस्ताव किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 2.11 बजे स्थगित हुई और

अपराह्न 3.30 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराहन 3.31 बजे

17. सरकारी विधेयक - पारित

नारियल विकास बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2021, राज्य सभा द्वारा यथापारित

लिया गया समय: 05 मिनट

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर द्वारा विधेयक पर विचार किये जाने के लिए प्रस्ताव किया गया।

विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ हुआ।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 3 स्वीकृत हुआ।

खंड 4 से 7 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर द्वारा विधेयक को पारित किए जाने के लिए प्रस्ताव किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

अपराहन 3.36 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा गुरूवार, 05 अगस्त, 2021 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह

महासचिव

लोक सभा

समाचार – भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरूवार, 5 अगस्त, 2021/14 श्रावण, 1943 (शक)

संख्या 127

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा बधाई*

अध्यक्ष ने टोक्यो ओलम्पिक में कांस्य पदक जीतने के लिए पुरूष हॉकी टीम को सभा की ओर से बधाई दी।

उन्होंने टोक्यो ओलम्पिक में बॉक्सिंग में कांस्य पदक जीतने के लिए सुश्री लवलीना बोरगोहेन को भी बधाई दी।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

2. तारांकित प्रश्न

प्रश्न संख्या 241, **242, 244, 245, 247** तथा **251** के मौखिक उत्तर दिये गए।

प्रश्न संख्या 243, **246, 248** से 250, **252** के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.27 बजे स्थगित हुई और
मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई)

प्रश्न संख्या 253 से 260 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

. अतारांकित प्रश्न संख्या 2761 से 2990 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

4. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी*

अध्यक्ष ने सदस्यगणों से सभा में संसदीय परम्परा कायम रखने की अपील की।

---

* मूल हिन्दी में । विवरण के लिए, कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

पूर्वाह्न 11.26 बजे की गई । मूल हिन्दी में। विवरण के लिए, कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

मध्याह्न 12.00 बजे

5. सभा पटल पर रखे गए पत्र

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने जल शक्ति मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणी।

(ख) (एक) वैप्कोस लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) वैप्कोस लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणी।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) पोलावरम प्रोजेक्ट अथॉरिटी, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पोलावरम प्रोजेक्ट अथॉरिटी, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने विद्युत मंत्री तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (श्री राज कुमार सिंह) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:

(1) (एक) केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बैंगलुरू के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बैंगलुरू के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 की धारा 59 की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी दामोदर घाटी निगम (निगम के अध्यक्ष, सदस्यों और सदस्य-सचिव के वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें) (संशोधन) नियम, 2020, जो 11 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.106(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) (पहला संशोधन) विनियम, 2020 जो 3 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-1/236/2018/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (शुल्क का भुगतान) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020 जो 2 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-1/160/2020/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति का विनियमन) (पहला संशोधन) विनियम, 2021 जो 12 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-1/42/2010/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(चार) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (स्टाफ की भर्ती, नियंत्रण और सेवा शर्तें) (पांचवा संशोधन) विनियम, 2021 जो 23 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 2/2(2)/2011-स्था./सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत बाजार) विनियम, 2021 जो 16 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-1/257/2020/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(छह) विद्युत (संशोधन) नियम, 2020 जो 31 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 817(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार) नियम, 2021 जो 22 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 128(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) दिल्ली के अलावा संघ-राज्यक्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें) संशोधन नियम, 2021 जो 15 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 488(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) संशोधन नियम, 2021 जो 29 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 448(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) सा.का.नि. 43(अ) जो 25 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे (केवल हिन्दी संस्करण) तथा जिनमें 31 दिसम्बर, 2020 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 818(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) की ओर से महापत्तन न्यास अधिनियम,1963 की धारा 124 की उप-धारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि. 359(अ) जो 01 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दीनदयाल पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती,ज्येष्ठता और प्रोन्नति) संशोधन विनियम, 2021 का अनुमोदन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री [जनरल (सेवानिवृत्त) वी.के. सिंह] की ओर से वायुयान अधिनियम,1934 की धारा 14क के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(1) वायुयान (दूसरा संशोधन) नियम, 2021 जो 13 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 327(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(2) वायुयान (दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच) संशोधन नियम, 2021 जो 30 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 222(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कौशल किशोर) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:

(1) (एक) सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लोईज वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लोईज वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) दिल्ली विकास अधिनियम,1957 की धारा 58 के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि. 471(अ) जो 06 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित विभिन्न उपयोगों/स्थानों के लिए देय प्रीमियम की पूर्व-निर्धारित दरों को अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निशीथ प्रामाणिक) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:

(1) (एक) नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेट्री, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेट्री, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2018 की धारा 26 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं. एफ. सं. एनएसयू/अध्यादेश/2021 जो 24 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो कार्यकारी परिषद द्वारा दिनांक 18 जनवरी, 2021 को अनुमोदित राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, इंफाल के 26 अध्यादेशों और 2 विनियमों के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

6. सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री रवनीत सिंह ने सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का पांचवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन

श्री गिरीश भालचन्द्र बापट ने ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित 'प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के निष्पादन की समीक्षा' विषय के बारे में प्राक्कलन समिति (2021-22) का ग्यारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री सुरेश पुजारी ने अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत बनाए गए धन-शोधन (अभिलेखों का अनुरक्षण) संशोधन नियम, 2018 [2018 का सा.का.नि.सं.456(अ)] संबंधी 12वां प्रतिवेदन।

(2) विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, राजभाषा स्कंध, (समूह 'क' पद प्रादेशिक भाषाएं) भर्ती नियम, 2020 [2020 का सा.का.नि.सं.39(अ)] संबंधी 13वां प्रतिवेदन।

(3) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (साधारण बीमा कारबार की आस्तियां, देयताएं और शोधन मार्जिन) विनियम, 2016 के बारे में अधीनस्थ विधान संबंधी समिति (17वीं लोक सभा) के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 14वां प्रतिवेदन।

9. सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्रीमती लॉकेट चटर्जी ने सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2020-21) के निम्नलिखित प्रतिवेदनों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2019-20)' के बारे में समिति के पहले प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 13वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(2) सूचना और प्रसारण मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2019-20)' के बारे में समिति के दूसरे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 14वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(3) संचार मंत्रालय (डाक विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2019-20)' के बारे में समिति के तीसरे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 15वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(4) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2019-20)' के बारे में समिति के चौथे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 16वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(5) सूचना और प्रसारण मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2020-21)' के बारे में समिति के आठवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 17वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(6) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2020-21)' के बारे में समिति के पाचवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 18वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(7) संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2020-21)' के बारे में समिति के छठे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 19वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(8) संचार मंत्रालय (डाक विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2020-21)' के बारे में समिति के सातवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 20वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

10. ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री शिवकुमार चानाबसप्पा उदासी ने ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2020-21) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) 'विद्युत क्षेत्र की कंपनियों को आवंटित कोयला ब्लाक का विकास' विषय के बारे में 18वां प्रतिवेदन।

(2) 'विद्युत क्षेत्र की कंपनियों द्वारा विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन/पूर्णता में विलंब' विषय के बारे में 19वां प्रतिवेदन।

(3) 'भारत में ज्वारीय विद्युत विकास' विषय के बारे में 20वां प्रतिवेदन।

11. **खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के विवरण**

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय ने खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित की-गई-कार्रवाई संबंधी विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) की अनुदानों की मांगों (2019-20) के बारे में समिति के पहले प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में 5वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) के अध्याय एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(2) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) की अनुदानों की मांगों (2019-20) के बारे में समिति के दूसरे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में छठे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) के अध्याय एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(3) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) की अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में समिति के तीसरे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में सातवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(4) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) की अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में समिति के चौथे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में 8वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) के अध्याय एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

12. **जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन**

श्री विजय बघेल ने ''चीन, पाकिस्तान और भूटान के साथ की गई संधि/समझौते के विशेष संदर्भ में जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय जल संधियों सहित देश में बाढ़ प्रबंधन'' के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (2020-21) का बारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

13. रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के अंतिम की-गई-कार्रवाई विवरण

श्री अरुण कुमार सागर ने रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2020-21) के निम्नलिखित प्रतिवेदनों पर सरकार द्वारा आगे की गई कार्रवाई को दर्शाने वाले निम्नलिखित पाँच अंतिम की-गई-कार्रवाई विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) 'औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश 2013 के विशेष संदर्भ में औषधियों का मूल्य निर्धारण' (औषध विभाग) विषय के बारे में समिति के 54वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी पहला प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(2) 'अनुदानों की मांगों (2019-20)' (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) के बारे में समिति के दूसरे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 9वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(3) 'अनुदानों की मांगों (2019-20)' (औषध विभाग) के बारे में समिति के चौथे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 11वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(4) 'अनुदानों की मांगों (2020-21)' (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) के बारे में समिति के छठे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 13वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(5) 'अनुदानों की मांगों (2020-21)' (औषध विभाग) के बारे में समिति के 8वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 15वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

14. ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री प्रतापराव जाधव ने ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्राणीण (पीएमएवाई-जी) संबंधी 16वां प्रतिवेदन।

(2) ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-22) के बारे में 13वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 17वां प्रतिवेदन।

(3) भूमि संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-22) के बारे में 14वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 18वां प्रतिवेदन।

(4) पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-22) के बारे में 15वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 19वां प्रतिवेदन।

15. मंत्रियों द्वारा विवरण

(एक) जल शक्ति मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत) ने जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-2022) के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के 10वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण सभा पटल पर रखा।

(दो) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्री (श्री हरदीप सिंह पुरी) ने निम्नलिखित के बारे में विवरण सभा पटल पर रखे:

(एक) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2019-2020) के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-2021) के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(तीन) सूचना और प्रसारण मंत्री तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर) ने युवा कार्यक्रम विभाग, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-2022) के बारे में शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के 325वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण सभा पटल पर रखा।

(चार) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा) ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-2021) के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 300वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण सभा पटल पर रखा।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.09 बजे स्थगित हुई और

अपराह्न 2.01 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराह्न 2.01 बजे

16. सरकारी विधेयक – पुर:स्थापित

(एक) केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021

[%] (दो) कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2021

अपराह्न 2.03 बजे

17. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

(1) श्री देवजी एम. पटेल द्वारा राजस्थान के पाली में एक युवक के कथित अपहरण की सीबीआई जांच कराने के बारे में ।

(2) श्री सुरेश पुजारी द्वारा ओडिशा के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बारगढ़ में झारसूगुडा जिले में पर्यावरण प्रदूषण के बारे में ।

(3) श्री जुगल किशोर शर्मा द्वारा जम्मू-कश्मीर में भारी वर्षा तथा बाढ़ से कृषि उत्पादों को हुई क्षति के बारे में।

[%] अपराह्न 5.00 बजे।

(4) श्री रविन्दर कुशवाहा द्वारा 'हर घर नल, हर घर जल' योजना के अधीन पानी के टैंकों के अनुरक्षण के लिए प्रशिक्षित तकनीशियन नियुक्त किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(5) श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा द्वारा बिरसा मुंडा के नाम पर सामुदायिक भवनों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(6) श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल द्वारा देश में विशेषत: बुंदेलखंड क्षेत्र में बायोगैस ईंधन आधारित परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में

(7) श्री पी.पी. चौधरी द्वारा राजस्थान के पाली जिले में मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(8) श्री मनसुखभाई डी. वसावा द्वारा गुजरात के बड़ोदा में एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना की आवश्यकता के बारे में ।

(9) श्री अर्जुन लाल मीणा द्वारा राजस्थान के उदयपुर में पिचौला झील पर बने बड़ीपाल बांध की मरम्मत के बारे में ।

(10) श्रीमती रमा देवी द्वारा बिहार के शिवहर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में चकिया-बैरगनिया सड़क का निर्माण कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री गोपाल जी ठाकुर द्वारा बिहार के दरभंगा में बढ़ती हुई आतंकवादी गतिविधियों को देखते हुए इस क्षेत्र में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल तैनात किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(12) श्री कुलदीप राय शर्मा द्वारा संघ राज्यक्षेत्रों के सेवारत कर्मचारियों/पेंशनभोगियों के लिए केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सुविधा के बारे में।

(13) श्री बैन्नी बेहनन द्वारा मलयालम को स्वीकृत भाषाओं की सूची में सम्मिलित किए जाने के बारे में ।

(14) श्री एस. रामलिंगम द्वारा तमिलनाडु में मयिलादुतुरै और तरंगमबाडी के बीच रेल सेवाएं बहाल किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(15) श्री अरविंद सावंत द्वारा आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा को शिथिल करने के लिए उचित विधायी कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता के बारे में

(16) डॉ. आलोक कुमार सुमन द्वारा बिहार के गोपालगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेलवे के नियंत्रण के अधीन विभिन्न रेलवे स्टेशनों को जाने वाले पहुंच मार्गों की मरम्मत की आवश्यकता के बारे में ।

(17) श्री राम शिरोमणि वर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के किसानों को गन्ने का भुगतान सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(18) श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी द्वारा मेडक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बुनकरों के कौशल उन्नयन के बारे में ।

(19) श्रीमती नवनित रवि राणा द्वारा महाराष्ट्र में भारी वर्षा और बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत पैकेज दिए जाने तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के अधीन लोगों को अपने घरों का पुनर्निर्माण करने में सहायता दिए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 2.03 बजे स्थगित हुई और

अपराह्न 4.00 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 4.00 बजे

18. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:-

(एक) कि 4 अगस्त, 2021 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा, लोक सभा द्वारा यथापारित भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2021 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(दो) कि 5 अगस्त, 2021 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा ने संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया।

19. राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक – सभापटल पर रखा गया

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2021

(निरंतर व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 4.03 बजे स्थगित हुई और

अपराह्न 5.00 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 5.03 बजे

(निरंतर व्यवधान के कारण, लोक सभा शुक्रवार, 06 अगस्त, 2021 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 6 अगस्त, 2021/15 श्रावण, 1943 (शक)

संख्या 128

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. *अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर क्रमश: 6 और 9 अगस्त, 1945 को परमाणु बम गिराए जाने की 76वीं वर्षगांठ के बारे में उल्लेख किया।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

2. *अध्यक्ष द्वारा बधाई

अध्यक्ष ने चल रहे टोक्यो ओलम्पिक्स में कुश्ती में रजत पदक जीतने के लिए श्री रवि कुमार दहिया को सभा की ओर से बधाई दी।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

3. तारांकित प्रश्न

प्रश्न संख्या 261, 262, (262 के साथ 279 युग्मित) और 266 के मौखिक उत्तर दिये गए।

प्रश्न संख्या 263 से 265 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.21 बजे स्थगित हुई और

मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई)

प्रश्न संख्या 267 से 278 और 280 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

4. अतारांकित प्रश्न

. अतारांकित प्रश्न संख्या 2991 से 3220 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

5. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी#

अध्यक्ष ने सदस्यगणों से सभा में मर्यादा और गरिमा बनाए रखने की अपील की।

---

* मूल हिन्दी में। विवरण के लिए, कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

पूर्वाह्न 11.26 बजे की गई। मूल हिन्दी में। विवरण के लिए, कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

मध्याह्न 12.00 बजे

6. सभा पटल पर रखे गए पत्र

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री तथा आयुष मंत्री (श्री सर्वानन्द सोनोवाल) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) भारतीय केंद्रीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय केंद्रीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) केंद्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केंद्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग अधिनियम, 2020 की धारा 56 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग (मेडिकल प्रेक्टिसनर्स की सूची जमा करना) नियम, 2021 जो 1 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 357(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग (लेखाओं का वार्षिक विवरण, वार्षिक प्रतिवेदन तथा अन्य प्रतिवेदनों और विवरणों को जमा करना) नियम, 2021 जो 2 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 145(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(8) राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 की धारा 56 के अंतर्गत राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (लेखाओं का वार्षिक विवरण, वार्षिक प्रतिवेदन तथा अन्य प्रतिवेदनों और विवरणों को जमा करना)

नियम, 2021 जो 2 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 146(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 की धारा 33 की उप-धारा (2) के अंतर्गत होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (होम्योपैथी महाविद्यालयों और संलग्न चिकित्सालयों की न्यूनतम मानक आवश्यकता) संशोधन विनियम, 2021 जो 14 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 12-15/2012-सीसीएच(भाग-एक) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री राव इंद्रजीत सिंह) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ कारपोरेट अफेयर्स, गुड़गांव के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) उपर्युक्त में (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) की ओर से श्री चित्र तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम अधिनियम, 1980 की धारा 33 के अंतर्गत श्री चित्र तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम (संशोधन) नियम, 2021 जो 3 जुलाई, 2021 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 67 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद, देहरादून के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद, देहरादून के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, बैंगलुरु के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, बैंगलुरु के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) जोखिमपूर्ण और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारिक संचलन) संशोधन नियम, 2021, जो 27 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 47(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) जोखिमपूर्ण और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारिक संचलन) संशोधन नियम, 2020, जो 16 अक्तूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 641(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(10) राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 35 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती, वेतन तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) (संशोधन) नियम, 2017, जो 2 नवम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1362(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (वरिष्ठ लेखाकार की भर्ती, वेतन तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2018, जो 27 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 589(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती, वेतन तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) (संशोधन) नियम, 2019, जो 26 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1027(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (पद्धतियां और प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2017, जो 1 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1473(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर और इसकी अनुषंगियों के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर और इसकी अनुषंगियों का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत किशनराव कराड़) की ओर से लोक उद्यम सर्वेक्षण, 2019-2020 (खंड एक और दो) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रवीण पवार) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (उत्कल विश्वविद्यालय), भुवनेश्वर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (उत्कल विश्वविद्यालय), भुवनेश्वर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय), उदयपुर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय), उदयपुर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नागपुर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नागपुर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) भेषज अधिनियम, 1948 की धारा 18 की उपधारा (4) के अंतर्गत भेषजी प्रेक्टिस (संशोधन) विनियम, 2021 जो दिनांक 5 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 14-148/2020-पीसीआई में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(16) भारतीय परिचर्या वृत्ति परिषद अधिनियम, 1947 की धारा 16 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय परिचर्या वृत्ति परिषद (मिडवाईफरी (एनपीएम) कार्यक्रम में परिचर्या वृत्तिक, शुद्धिपत्र) विनियम, 2020, जो 22 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 11-1/2019-आईएनसी में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय परिचर्या वृत्ति परिषद (नवजात शिशु विशेषज्ञता परिचर्या वृत्ति-आवासीय कार्यक्रम में पोस्ट बेसिक डिप्लोमा) विनियम, 2020, जो 22 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 11-1/2019-आईएनसी में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) हेमाटोलॉजी परिचर्या वृत्ति में पोस्ट बेसिक डिप्लोमा (कायिक कोशिका ट्रांसप्लांट सहित)-आवासीय कार्यक्रम, 2019, जो 5 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 11-1/2019-आईएनसी में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय परिचर्या वृत्ति परिषद (परिचर्या वृत्ति कार्यक्रमों को उपयुक्तता प्रदान करने के लिए न्यूनतम पूर्वापेक्षाएं) विनियम, 2020, जो 12 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 11-1/2019-आईएनसी में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) बर्न्स और रिकंस्ट्रक्टिव शल्य चिकित्सा विशेषज्ञता परिचर्या वृत्ति में पोस्ट बेसिक डिप्लोमा आवासीय कार्यक्रम, 2019, जो 25 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 11-1/2019-आईएनसी में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय परिचर्या वृत्ति परिषद (मिडवाईफरी (एनपीएम) कार्यक्रम में परिचर्या वृतिक) विनियम, 2020, जो 6 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 11-1/2019-आईएनसी में प्रकाशित हुए थे।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले छह विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत औषध (तीसरा संशोधन) नियम, 2021 जो दिनांक 12 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.258(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा आयुष मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. मुंजपरा महेन्द्रभाई) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) सेंट्रल अडोप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल अडोप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 की धारा 56 के अंतर्गत राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी प्रेक्टिसनर्स की सूची जमा करना) नियम, 2021 जो 1 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 358(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एल. मुरूगन) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

7. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी :-

(एक) कि राज्य सभा 5 अगस्त, 2021 को हुई अपनी बैठक में प्रो. राम गोपाल यादव की राज्य सभा से सेवानिवृत्ति तथा श्री भूपेन्द्र यादव, श्री राजीव चन्द्रशेखर और श्री अश्वनी वैष्णव के त्यागपत्र के कारण वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति में उत्पन्न हुई रिक्तियों के स्थान पर चार सदस्यों को नियुक्त करने के लिए लोक सभा की सिफारिश से सहमत हुई तथा राज्य सभा के सदस्यों प्रो. राम गोपाल यादव, श्री राकेश सिन्हा, डॉ. विनय पी. सहस्रबुद्धे और डॉ. सुधांशु त्रिवेदी, जिन्हें उक्त समिति के लिए विधिवत नियुक्त किया गया है, के नामों की भी सूचना दी।

(दो) कि राज्य सभा 5 अगस्त, 2021 को हुई अपनी बैठक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग विधेयक, 2021, लोक सभा द्वारा यथापारित, पर बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(3) कि राज्य सभा 5 अगस्त, 2021 को हुई अपनी बैठक में अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक, 2021, लोक सभा द्वारा यथापारित, पर बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

8. सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति की अनुमति

निम्नलिखित सदस्यों को उनके सामने उल्लिखित अवधि के लिए सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गई:-

(1)	श्रीमती सोनिया गांधी	14.09.2020 से 23.09.2020; 29.01.2021 से 13.02.2021; 08.03.2021 से 25.03.2021; और 19.07.2021 से 30.07.2021
(2)	श्री के. सुब्बारायण	19.07.2021 से 13.08.2021
(3)	डॉ. फारूक अब्दुल्ला	19.07.2021 से 13.08.2021
(4)	श्री अतुल कुमार सिंह उर्फ अतुल राय	19.07.2021 से 13.08.2021
(5)	श्री संजय शामराव धोत्रे	19.07.2021 से 13.08.2021
(6)	डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक	19.07.2021 से 13.08.2021
(7)	श्री शिशिर कुमार अधिकारी	19.07.2021 से 13.08.2021
(8)	श्री राजबहादुर सिंह	19.07.2021 से 13.08.2021
(9)	श्रीमती किरण खेर	20.03.2020 से 23.03.2020; 14.09.2020 से 23.09.2020; 29.01.2021 से 13.02.2021; 08.03.2021 से 25.03.2021; और 19.07.2021 से 30.07.2021
(10)	श्री चौधरी मोहन जटुआ	14.09.2020 से 23.09.2020; 29.01.2021 से 13.02.2021; 08.03.2021 से 25.03.2021; और 19.07.2021 से 02.08.2021

9. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री रमेश बिधूड़ी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) 'पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदानों की मांगें (2021-22)' के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के पांचवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 7वां प्रतिवेदन।

(2) 'रिटेल आउटलेट तथा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप का आवंटन' विषय संबंधी 8वां प्रतिवेदन।

10. शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री शंकर लालवानी ने शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति का 'पथ विक्रेता अधिनियम (जीविका का संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन अधिनियम, 2014) का कार्यान्वयन' संबंधी 8वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा 'आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगें (2021-22)' संबंधी 9वां की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

11. कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री राकेश सिंह ने कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) इस्पात मंत्रालय से संबंधित 'इस्पात पीएसयू में सुरक्षा प्रबंध और प्रक्रियाएं' विषय के बारे में 21वां प्रतिवेदन।

(2) कोयला मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-22) के बारे में 16वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 22वां प्रतिवेदन।

(3) खान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-22) के बारे में 17वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 23वां प्रतिवेदन।

(4) इस्पात मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-22) के बारे में 18वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 24वां प्रतिवेदन।

(5) कोयला मंत्रालय से संबंधित 'कोयला संरक्षण तथा पूरे देश में कोयले के परिवहन के लिए अवसंरचना का विकास' के बारे में 19वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 25वां प्रतिवेदन।

(6) इस्पात मंत्रालय से संबंधित 'पट्टे पर दी गई लौह अयस्क खानों का विकास तथा क्षमता का इष्टतम उपयोग' के बारे में 20वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 26वां प्रतिवेदन।

12. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्रीमती रमा देवी ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग) के 'नि:शक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 (एसआईपीडीए) के कार्यान्वयन के लिए योजना का मूल्यांकन' विषय के बारे में 23वां प्रतिवेदन।

(2) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) के 'अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीए से एससीएसपी) को विशेष केन्द्रीय सहायता योजना के कार्यकरण का मूल्यांकन' के संबंध में समिति के 64वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 24वां प्रतिवेदन।

(3) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2021-22)' के बारे में समिति के 22वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 25वां प्रतिवेदन।

13. शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री अनुभव मोहंती ने शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) खेल विभाग, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के 'ओलंपिक खेल, 2021 की तैयारी' विषय संबंधी समिति के तीन सौ सत्रहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के बारे में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 327वां प्रतिवेदन।

(2) 'स्कूल लॉकडाउन के कारण अधिगम अंतर को पाटने की योजनाएं और ऑनलाइन और ऑफलाइन अनुदेशों और परीक्षाओं की समीक्षा तथा स्कूलों को फिर से खोलने की योजनाएं' विषय संबंधी 328वां प्रतिवेदन।

(3) उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2021-22 के बारे में समिति के तीन सौ चौबीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 329वां प्रतिवेदन।

(4) स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2021-22 के बारे में समिति के तीन सौ तेईसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 330वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.07 बजे

14. मंत्रियों द्वारा विवरण

(1) संसदीय कार्यमंत्री; कोयला मंत्री; तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी) ने खनन कार्य में कार्बन उत्सर्जन के बारे में श्री विनोद कुमार सोनकर, संसद सदस्य और अन्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1398 के 28.07.2021 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री तथा आयुष मंत्री (श्री सर्वानन्द सोनोवाल) ने आयुष मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-2021) (मांग सं. 4) के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 120वें और 122वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(3) रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट) ने निम्नलिखित के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(एक) रक्षा मंत्रालय से संबंधित 'सामान्य रक्षा बजट, बीआरओ, आईसीजी, एमईएस, डीजीडीई, डीपीएसयू, सीएसडी, भूतपूर्व सैनिक कल्याण, ईसीएचएस, रक्षा पेंशन और सैनिक स्कूल (मांग सं. 18 और 21)' के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2019-20 की अनुदानों की मांगों के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) रक्षा मंत्रालय से संबंधित 'रक्षा सेवाओं संबंधी पूंजीगत परिव्यय, अधिप्राप्ति नीति, रक्षा आयोजना और विवाहित आवास परियोजना (मांग सं. 20)' के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2019-20 की अनुदानों की मांगों के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(तीन) रक्षा मंत्रालय से संबंधित 'रक्षा सेवाओं संबंधी पूंजीगत परिव्यय, अधिप्राप्ति नीति, रक्षा आयोजना और विवाहित आवास परियोजना (मांग सं. 20)' के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2020-21 की अनुदानों की मांगों के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के सातवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(4) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एल. मुरूगन) ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-2022) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.09 बजे

15. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने सोमवार, 9 अगस्त, 2021 से आरंभ होने वाले सप्ताह के दौरान सरकारी कार्य के बारे में वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.11 बजे

16. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों,जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

(1) **श्री गोपाल चिनय्या शेट्टी** द्वारा विकास परियोजनाओं के अनुमोदन के पश्चात् प्राप्त विभिन्न आपत्तियों से निपटने के लिए उपबंध किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) **श्री राजेश वर्मा** द्वारा उत्तर प्रदेश के सीतापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक और केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) **श्री सुनील कुमार सिंह** द्वारा 'भोगता' समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) **श्रीमती दिया कुमारी** द्वारा निगमित सामाजिक दायित्व नीति के क्षेत्र को विस्तार दिए जाने के बारे में।

(5) **डॉ. सुकान्त मजूमदार** द्वारा बलूरघाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सम्पर्क के बारे में।

(6) **श्री राजेन्द्र अग्रवाल** द्वारा शास्त्री नगर, मेरठ में जर्जर अवस्था में पड़े आयकर विभाग के खाली भवनों का उपयोग किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) **डॉ. सुजय राधकृष्ण विखे पाटील** द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन कार्यरत नैमित्तिक और दैनिक कामगारों की सेवा शर्तों के बारे में।

(8) **श्री चुन्नीलाल साहू** द्वारा छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में हैचरी उत्पादन केन्द्रों से उत्पन्न अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों के बारे में।

(9) **श्री जगदम्बिका पाल** द्वारा उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले में भीमापार समपार को पुन: खोले जाने तथा उसके समीप एक अंडर ब्रिज भी बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) **श्री सुब्रत पाठक** द्वारा उत्तर प्रदेश के कन्नौज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाने के बारे में।

(11) **श्री संजय भाटिया** द्वारा पानीपत-मेरठ रेल लाइन के निर्माण की आवश्यकता के बारे में।

(12) **श्रीमती जसकौर मीना** द्वारा राजस्थान के दौसा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अपने प्राकृतिक निवास से निकाले गए आदिवासी लोगों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) **श्रीमती क्वीन ओझा** द्वारा दिल्ली में पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) **श्री निहाल चन्द चौहान** द्वारा राजस्थान के हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन पर वाशिंग लाइन तथा सौर ऊर्जा पैनल स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) **श्री बसंत कुमार पंडा** द्वारा ओडिशा के कालाहांडी जिले के भवानीपटना में चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण आरम्भ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) **श्री (एडवोकेट) डीन कुरियाकोस** द्वारा इडुक्की संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मानव-जानवर संघर्ष के मुद्दे के बारे में।

अपराह्न 12.11 बजे

17. सरकारी विधेयक - पारित

(एक) ***कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2021***

लिया गया समय : 6 मिनट

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव पेश किया।

विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।

अपराह्न 12.17 बजे

(दो) ***केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021***

लिया गया समय : 7 मिनट

श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव पेश किया।

विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 से 4 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।

अपराहन 12.24 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा सोमवार, 09 अगस्त, 2021 के पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह

महासचिव

लोक सभा

समाचार – भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 9 अगस्त, 2021/18 श्रावण, 1943 (शक)

संख्या 129

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. *अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में 9 अगस्त, 1942 को शुरू हुए 'भारत छोड़ो आन्दोलन' की 79वीं वर्षगांठ का उल्लेख किया।

उन्होंने 'आजादी का अमृत महोत्सव' का भी उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्य उन शहीदों, जिन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष में अपने प्राण न्यौछावर किए, के सम्मान में थोड़ी देर के लिए मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

2. *अध्यक्ष द्वारा बधाई

अध्यक्ष ने चल रहे टोक्यो ओलम्पिक्स में पुरूषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने के लिए श्री नीरज चोपड़ा और 65 किलोग्राम वर्ग में फ्रीस्टाईल कुश्ती में कांस्य पदक जीतने के लिए श्री बजरंग पुनिया को सभा की ओर से बधाई दी।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

3. तारांकित प्रश्न

प्रश्न संख्या 281 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.07 बजे स्थगित हुई और

पूर्वाह्न 11.30 बजे पुनः समवेत हुई)

पूर्वाह्न 11.30 बजे

---

* मूल हिन्दी में। विवरण के लिए, कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

प्रश्न संख्या 283 का मौखिक उत्तर दिया गया। प्रश्न संख्या 282 और 284 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.34 बजे स्थगित हुई और

मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई)

प्रश्न संख्या 285 से 300 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

4. अतारांकित प्रश्न

. अतारांकित प्रश्न संख्या 3221 से 3450 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

5. सभा पटल पर रखे गए पत्र

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने शिक्षा मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान) की ओर से शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उप-धारा (3) के अंतर्गत शिक्षु (संशोधन) नियम, 2021 जो 24 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 436(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राव इंद्रजीत सिंह) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

- (एक) कंपनी (निगमन) तीसरा संशोधन नियम, 2021 जो 8 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 158 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियम, 2021 जो 8 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 159 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) कंपनी (लेखे) संशोधन नियम, 2021 जो 24 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 205(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) संशोधन नियम, 2021 जो 24 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 206 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) कंपनी (लेखे) दूसरा संशोधन नियम, 2021 जो 1 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 247(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) संशोधन नियम, 2021 जो 1 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 248 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) कंपनी (निगमन) चौथा संशोधन नियम, 2021 जो 7 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 392 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) संशोधन नियम, 2021 जो 15 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 409 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) कंपनी (स्वतंत्र निदेशकों के डाटा बैंक का निर्माण और रखरखाव) संशोधन नियम, 2021 जो 18 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 418 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2021 जो 18 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 419 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) कंपनी (लेखांकन मानक) नियम, 2021 जो 23 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 432 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) कंपनी (निगमन) पांचवा संशोधन नियम, 2021 जो 22 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 503 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) कंपनी (एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज में दस्तावेजों और प्ररूपों को दायर करना) नियम, 2015 जो 10 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 692 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (एक) से (छह) और (तेरह) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले सात विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 467 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 1256(अ) जो 18 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 5 में संशोधन किए गए हैं।

(दो) सा.का.नि. 207(अ) जो 24 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 3 में संशोधन किए गए हैं।

(4) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 241 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021 जो 14 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2020-21/जीएन/आरईजी075 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला संबंधी वृत्तिक अभिकरणों की मॉडल उप-विधियां और शासी बोर्ड) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021 जो 22 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2020-21/जीएन/आरईजी076 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला संबंधी वृत्तिक) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021 जो 22 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2020-21/जीएन/आरईजी077 में प्रकाशित हुए थे।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) वर्ष 2020-2021 के दौरान केन्द्रीय सरकार की बाजार उधारियों के विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 31 की उप-धारा (2) के अंतर्गत प्रारूप अधिसूचना संख्या फाइल संख्या 10/6/2010-ईसीबी-भाग(एक), जिसके द्वारा निदेशित किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के कतिपय उपबंध, जैसा कि अधिसूचना के स्तंभ दो में विनिर्दिष्ट किए गए हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं या वित्तीय संस्थानों पर ऐसे अपवादों, रूपांतरणों और अभिस्वीकरणों, जैसा कि अधिसूचना के स्तंभ संख्या 3 में विनिर्दिष्ट किया गया है, के साथ लागू होंगे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव चन्द्रशेखर) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर इंटरप्रेन्योरशिप एण्ड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, नोएडा के वर्ष 2018-2019 और वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर इंटरप्रेन्योरशिप एण्ड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, नोएडा के वर्ष 2018-2019 और वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मीनाक्षी लेखी) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर, पटियाला के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर, पटियाला के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) साउथ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर, नागपुर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साउथ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर, नागपुर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अन्नपुर्णा देवी) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) स्टेट एजुकेशन मिशन अथॉरिटी ऑफ मेघालय (समग्र शिक्षा अभियान), शिलांग के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) स्टेट एजुकेशन मिशन अथॉरिटी ऑफ मेघालय (समग्र शिक्षा अभियान), शिलांग के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) समग्र शिक्षा त्रिपुरा, अगरतला के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा त्रिपुरा, अगरतला के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) समग्र शिक्षा असम, गुवाहाटी के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा असम, गुवाहाटी के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) समग्र शिक्षा नागालैंड, कोहिमा के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा नागालैंड, कोहिमा के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) समग्र शिक्षा यूटी ऑफ जम्मू एण्ड कश्मीर, श्रीनगर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा यूटी ऑफ जम्मू एण्ड कश्मीर, श्रीनगर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) समग्र शिक्षा आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) समग्र शिक्षा यूटी ऑफ चंडीगढ़, चंडीगढ़ के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा यूटी ऑफ चंडीगढ़, चंडीगढ़ के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) ओडिशा स्कूल शिक्षा कार्यक्रम अथॉरिटी (समग्र शिक्षा), भुवनेश्वर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ओडिशा स्कूल शिक्षा कार्यक्रम अथॉरिटी (समग्र शिक्षा), भुवनेश्वर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) समग्र शिक्षा तेलंगाना, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा तेलंगाना, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक

प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) समग्र शिक्षा गोवा, एल्टो-बेतीन के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा गोवा, एल्टो-बेतीन के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (समग्र शिक्षा), पटना के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (समग्र शिक्षा), पटना के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) (एक) समग्र शिक्षा, सिक्किम, गंगटोक के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) समग्र शिक्षा, सिक्किम, गंगटोक के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष सरकार) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) मिजोरम विश्वविद्यालय, आइजोल के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मिजोरम विश्वविद्यालय, आइजोल के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) मिजोरम विश्वविद्यालय, आइजोल के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) दिल्ली विश्वविद्यालय (भाग-एक और दो), दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) दिल्ली विश्वविद्यालय (भाग-एक और दो), दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) डॉ. हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर के वर्ष 2017-2018 और वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) त्रिपुरा विश्वविद्यालय, सूर्यमणिनगर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) त्रिपुरा विश्वविद्यालय, सूर्यमणिनगर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) असम विश्वविद्यालय, सिलचर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) असम विश्वविद्यालय, सिलचर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) असम विश्वविद्यालय, सिलचर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड़ के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड़ के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2017-2018 और वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2017-2018 और वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, शिमला के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) (एक) जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) (एक) महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) (एक) कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) (एक) केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कासरगौड़ के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कासरगौड़ के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कासरगौड़ के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) (एक) शास्त्री इंडो-कनाडियन इंस्टिट्यूट, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) शास्त्री इंडो-कनाडियन इंस्टिट्यूट, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) (एक) गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गांधीनगर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गांधीनगर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गांधीनगर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) (एक) हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़ के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़ के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) उपर्युक्त (45) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) (एक) कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कलबुर्गी के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कलबुर्गी के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कलबुर्गी के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) उपर्युक्त (47) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(49) (एक) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, थिरूवरूर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, थिरूवरूर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(50) उपर्युक्त (49) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(51) (एक) इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, अमरकंटक के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, अमरकंटक के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की

एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, अमरकंटक के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(52) उपर्युक्त (51) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(53) (एक) सिक्किम यूनिवर्सिटी, गंगटोक के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सिक्किम यूनिवर्सिटी, गंगटोक के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सिक्किम यूनिवर्सिटी, गंगटोक के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(54) उपर्युक्त (53) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(55) (एक) बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, लखनऊ के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, लखनऊ के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिट, लखनऊ के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(56) उपर्युक्त (55) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(57) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा, कोरापुट के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(58) उपर्युक्त (57) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(59) (एक) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, भटिंडा के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, भटिंडा के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, भटिंडा के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(60) उपर्युक्त (59) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(61) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी, सोनीपत के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी, सोनीपत के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(62) उपर्युक्त (61) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(63) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी, भोपाल के वर्ष 2017-2018 और 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी, भोपाल के वर्ष 2017-2018 और 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी, भोपाल के वर्ष 2017-2018 और 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(64) उपर्युक्त (63) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(65) (एक) पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजाइन एण्ड मैन्युफैक्चरिंग, जबलपुर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजाइन एण्ड मैन्युफैक्चरिंग, जबलपुर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजाइन एण्ड मैन्युफैक्चरिंग, जबलपुर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(66) उपर्युक्त (65) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(67) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलाहबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलाहबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलाहबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(68) उपर्युक्त (67) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(69) (एक) तेजपुर यूनिवर्सिटी, तेजपुर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) तेजपुर यूनिवर्सिटी, तेजपुर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) तेजपुर यूनिवर्सिटी, तेजपुर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(70) उपर्युक्त (69) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(71) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रूड़की, रूड़की के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रूड़की, रूड़की के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रूड़की, रूड़की के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(72) उपर्युक्त (71) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(73) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, गुवाहाटी के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, गुवाहाटी के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, गुवाहाटी के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(74) उपर्युक्त (73) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(75) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, गुवाहाटी के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, गुवाहाटी के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, गुवाहाटी के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(76) उपर्युक्त (75) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(77) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी, कोटा के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी, कोटा के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(78) उपर्युक्त (77) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(79) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी, कोट्टायम के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी, कोट्टायम के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(80) उपर्युक्त (79) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(81) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(82) उपर्युक्त (81) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(83) विश्व-भारती, शांतिनिकेतन के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(84) उपर्युक्त (83) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(85) (एक) झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, रांची के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, रांची के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(86) उपर्युक्त (85) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(87) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(88) उपर्युक्त (87) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(89) (एक) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, मोहाली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, मोहाली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, मोहाली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(90) उपर्युक्त (89) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(91) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(92) उपर्युक्त (91) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(93) (एक) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(94) उपर्युक्त (93) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(95) (एक) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, बरहमपुर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, बरहमपुर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण

की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(96) उपर्युक्त (95) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(97) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियिल इंजीनियरिंग, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियिल इंजीनियरिंग, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियिल इंजीनियरिंग, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(98) उपर्युक्त (97) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(99) (एक) शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (उत्तरी क्षेत्र), कानपुर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (उत्तरी क्षेत्र), कानपुर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(100) उपर्युक्त (99) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(101) (एक) शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (पश्चिमी क्षेत्र), मुंबई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (पश्चिमी क्षेत्र), मुंबई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(102) उपर्युक्त (101) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(103) (एक) शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (दक्षिणी क्षेत्र), चेन्नई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (दक्षिणी क्षेत्र), चेन्नई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(104) उपर्युक्त (103) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(105) (एक) संत लोंगोवाल इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, लोंगोवाल के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संत लोंगोवाल इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, लोंगोवाल के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(106) उपर्युक्त (105) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(107) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फाउंड्री एण्ड फोर्ज टेक्नोलॉजी, रांची के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फाउंड्री एण्ड फोर्ज टेक्नोलॉजी, रांची के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(108) उपर्युक्त (107) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(109) (एक) केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(110) उपर्युक्त (109) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(111) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान रांची, रांची के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान रांची, रांची के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(112) उपर्युक्त (111) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(113) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 28 के अंतर्गत यूजीसी (इंस्टिट्यूशन्स ऑफ ऐमिनेंस डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज (संशोधन)) विनियम, 2021 जो 1 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसचूना सं. एफ.सं. 1-4/2016 (आईओई) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(114) उपर्युक्त (113) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(115) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 की धारा 24 के अंतर्गत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (संकाय/स्टाफ सदस्य की शिकायतों का निवारण) विनियम, 2021 जो 25 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसचूना सं. एफ.सं. 1-103/एआईसीटीई/पीजीआरसी/विनियमन/2021 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(116) उपर्युक्त (115) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. भागवत किशनराव कराड़) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ़ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ़ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा

समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2021 जो दिनांक 24 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/11 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2021 जो दिनांक 25 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/9 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) (छठा संशोधन) विनियम, 2021 जो दिनांक 15 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/9 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) (चौथा संशोधन) विनियम, 2021 जो दिनांक 1 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/9 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (उपस्थिति अस्तित्व) (संशोधन) विनियम, 2021 जो दिनांक 14 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/3 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निर्गम और वापसी) (संशोधन) विनियम, 2021 जो दिनांक 14 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/8 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (केन्द्रीय रिकार्डकीपिंग एजेंसी) (संशोधन) विनियम, 2021 जो दिनांक 14 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/7 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास) (संशोधन) विनियम, 2021 जो दिनांक 14 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/5 में प्रकाशित हुए थे।

(3) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) आयकर (21वां संशोधन) नियम, 2021 जो दिनांक 29 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.514(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) आयकर (8वां संशोधन) नियम, 2021 जो दिनांक 1 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.246(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(4) बीमांकक अधिनियम, 2006 की धारा 58 के अंतर्गत बीमांकक (परिषद के लिए निर्वाचन) नियम, 2021 जो 3 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.384(अ) में प्रकाशित हुए थे, की

एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनयम, 1989 की धारा 52 की उप-धारा (3) के अंतर्गत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (कर्मचारी) (संशोधन) विनियम, 2019 जो 9 दिसम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एचआरवी सं.एल001181723/स्टाफ.जन.(2) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 36 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) ऋण वसूली अपील अधिकरण और ऋण वसूली अपील अधिकरण इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग (संशोधन) नियम, 2021 जो 22 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 501(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 2020 जो 27 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 537(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(8) उपर्युक्त (7) की मद संख्या (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 49 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) जीवन बीमा निगम (संशोधन) विनियम, 2021 जो 30 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 460(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (कतिपय निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) (संशोधन) विनियम, 2021 जो 19 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 497(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) जीवन बीमा निगम सामान्य विनियम, 2021 जो 22 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. I-13011/03/2021-इंस.I में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय जीवन बीमा निगम (प्रशिक्षु विकास अधिकारियों की भर्ती) (संशोधन) विनियम, 2021 जो 22 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. I-13011/03/2021-इंस.I में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय जीवन बीमा निगम (अभिकर्ता) (संशोधन) विनियम, 2021 जो 22 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. I-13011/03/2021-इंस.I में प्रकाशित हुए थे।

6. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के प्रतिवेदन

डॉ. किरिट पी. सोलंकी ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति (2021-22) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) 'कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी अनुषंगी कंपनियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों

के लिए आरक्षण नीति का कार्यान्वयन' विषय के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के दूसरे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी छठा प्रतिवेदन।

(2) 'जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अब अनुसूचित जनजातियां घटक (एसटीसी) कही जाने वाली अनुसूचित जनजाति उप-योजना (एसटीएसपी) की निगरानी और अनुसूचित जनजातियों के विकास तथा कल्याण के लिए इसके कार्यान्वयन' विषय के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के 26वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी सातवां प्रतिवेदन।

7. खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) का 'भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण और वितरण' विषय के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (17वीं लोक सभा) का 13वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने कार्य मंत्रणा समिति का 24वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

9. मंत्रियों द्वारा विवरण

(1) संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने निम्नलिखित के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(एक) संस्कृति मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-2021) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 277वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) संस्कृति मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-2021) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 277वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के 282वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) शिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती अन्नपुर्णा देवी) ने स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-2022) के बारे में शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के 323वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(3) रक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट) ने पर्यटन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-2022) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के

288वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.05 बजे

10. सरकारी विधेयक - पुर:स्थापित

(एक) राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021

श्री अधीर रंजन चौधरी, श्री मनीष तिवारी और प्रो. सौगत राय ने विधेयक के पुर:स्थापन का विरोध किया और मंत्री से स्पष्टीकरण मांगा।

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री; तथा आयुष मंत्री (श्री सर्वानन्द सोनोवाल) ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर दिए।

तत्पश्चात्, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पुर:स्थापित किया गया।

अपराह्न 12.07 बजे

(दो) राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021

श्री अधीर रंजन चौधरी ने विधेयक के पुर:स्थापन का विरोध किया और मंत्री से स्पष्टीकरण मांगा।

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री; तथा आयुष मंत्री (श्री सर्वानन्द सोनोवाल) ने सदस्य द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्न का उत्तर दिया।

तत्पश्चात्, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पुर:स्थापित किया गया।

अपराह्न 12.09 बजे

(तीन) संविधान (एक सौ सत्ताईसवां संशोधन) विधेयक, 2021

श्री अधीर रंजन चौधरी ने विधेयक के पुर:स्थापन का विरोध किया और मंत्री से स्पष्टीकरण मांगा।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार) ने सदस्य द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्न का उत्तर दिया।

तत्पश्चात्, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पुर:स्थापित किया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.13 बजे स्थगित हुई और

अपराह्न 12.30 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 12.30 बजे

11. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों,जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

(1) डॉ निशिकांत दुबे द्वारा गोड्डा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक सैनिक स्कूल की स्थापना किए जाने के बारे में।

(2) डॉ. सुजय राधाकृष्ण विखे पाटील द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षित स्मारकों के नजदीक स्थित भवन के अनुरक्षण/निर्माण के बारे में ।

(3) श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित हरकोर्ट बटलर प्राविधिक संस्थान को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(4) श्री गोपाल जी ठाकुर द्वारा बिहार के दरभंगा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का निर्माण आरंभ किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(5) श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह द्वारा उत्तरकाशी-कामद-अयरखल-बूढ़ा केदार-घनशाली-मयाली-तिलबाड़ा सड़क को बारहमासी राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(6) श्री धर्मवीर सिंह द्वारा सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए हरियाणा के नारनौल, चरखी दादरी और भिवानी में एक-एक औषधालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(7) श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे द्वारा केला के फसल के बीमा के लिए निर्धारित नए मानदंडों की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(8) श्री अशोक कुमार रावत द्वारा उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में संडीला रेलवे स्टेशन के नजदीक समपार संख्या 249ग पर रेल उपरि पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(9) श्री अनुराग शर्मा द्वारा मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न पुरस्कार दिए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(10) श्री निहाल चन्द चौहान द्वारा राजस्थान के हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले के किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(11) श्री रामचरण बोहरा द्वारा राजस्थान के जयपुर में पाइप के माध्यम से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए योजना स्वीकृत एवं कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(12) डॉ. ढालसिंह बिसेन द्वारा सरकारी परियोजनाएं प्रदान किए जाने हेतु निविदा प्रक्रिया की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(13) श्रीमती जसकौर मीना द्वारा राजस्थान में विशेषकर इसके दौसा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जूली फ्लोरा (विलायती बबूल) के तीव्र विकास के बारे में ।

(14) श्री कनकमल कटारा द्वारा उदयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(15) श्री दीपक बैज द्वारा छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एनएमडीसी के नगरनार इस्पात संयंत्र का निजीकरण किए जाने के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(16) श्री सु. थिरुनवुक्करासर द्वारा गंदर्वाकोट्टई के रास्ते पुडुकोट्टई-तंजावुर नई रेल लाइन को शीघ्रातिशीघ्र चालू किए जाने के बारे में ।

(17) श्रीमती अपरूपा पोद्दार द्वारा देश में कोविड-19 टीकाकरण अभियान के बारे में ।

(18) डॉ. बी. वी. सत्यवती द्वारा अनकापल्ली-अन्नावरम्-दिवानचेरूवु खंड को छह लेनों वाला बनाए जाने के बारे में ।

(19) श्री राजन बाबूराव विचारे द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय के कर्मचारियो को पेंशन का लाभ दिए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(20) श्री दिलेश्वर कामैत द्वारा बिहार में अररिया-गलगलिया रेल लाइन परियोजना के लिए धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(21) श्री भर्तृहरि महताब द्वारा कटक के तूफानी बारिश के पानी निकासी प्रणाली में सुधार और इसका आधुनिकीकरण किए जाने के बारे में ।

(22) श्री रामशिरोमणि वर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में किसानों को उर्वरक और बीज उपलब्ध कराने एवं गेहूं तथा धान के लिए खरीद केंद्रों की भी स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(23) श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी द्वारा पतनचीरू (नेगूलापल्ली)-संगारेड्डी-जोगीपेट-मेडक स्टेशनों के बीच नई बीजी लाइन के बारे में ।

(24) श्रीमती सुप्रिया सुले द्वारा सामाजिक-आर्थिक और जाति आधारित जनगणना-2011 को जारी किए जाने के बारे में ।

(25) श्री श्रीनिवास केसिनेनी द्वारा गैर-जीएसटी वस्तुओं के अंतर्गत सुबाबुल और यूकेलिप्टस को सम्मिलित किए जाने के बारे में ।

अपराह्न 12.31 बजे

12. सरकारी विधेयक - पारित

(एक) ***सीमित दायित्व भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2021, राज्य सभा द्वारा यथापारित***

लिया गया समय : 5 मिनट

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव पेश किया।

विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 से 29 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, को पारित करने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।

अपराह्न 12.36 बजे

(दो) ***निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (संशोधन) विधेयक, 2021, राज्य सभा द्वारा यथापारित***

लिया गया समय : 5 मिनट

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव पेश किया।

विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 से 7 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, को पारित करने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।

अपराह्न 12.41 बजे

(तीन) ***संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2021, राज्य सभा द्वारा यथापारित***

लिया गया समय : 10 मिनट

श्री अर्जुन मुंडा ने विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव पेश किया।

विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री अधीर रंजन चौधरी
2. श्री सुदीप बन्दोपाध्याय
3. श्री विनायक भाऊराव राऊत
4. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन

5. श्री टी.आर.बालू
6. श्री रितेश पाण्डेय
7. श्रीमती सुप्रिया सुले
8. @श्री किरेन रिजीजू (हस्तक्षेप किया)
9. $श्री प्रहलाद जोशी (हस्तक्षेप किया)

श्री अर्जुन मुंडा ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

श्री अर्जुन मुंडा ने विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, को पारित करने का प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.51 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराह्न 2.02 बजे

(निरंतर व्यवधान के कारण, लोक सभा मंगलवार, 10 अगस्त, 2021 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

@ विधि और न्याय मंत्री

$ संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री; तथा खान मंत्री।

लोक सभा

समाचार – भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 10 अगस्त, 2021/19 श्रावण, 1943 (शक)

संख्या 130

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

प्रश्न संख्या 301 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.16 बजे स्थगित हुई और

मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई)

प्रश्न संख्या 302 से 320 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

. अतारांकित प्रश्न संख्या 3451 से 3680 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. *अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने आदिवासी दिवस, जो 9 अगस्त, 2021 को मनाया गया था, का उल्लेख किया।

4. #अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने सदस्यों से सभा की मर्यादा और गरिमा बनाये रखने की अपील की।

मध्याह्न 12.00 बजे

5. सभा पटल पर रखे गए पत्र

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने विद्युत मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण पाल) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) नेपा लिमिटेड, नेपानगर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

---

* पूर्वाह्न 11.15 बजे किया गया। मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

(दो) नेपा लिमिटेड, नेपानगर का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 39 की उप-धारा (3) के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा (राज्य सरकारों को सहायता) (संशोधन) नियम, 2021 जो 18 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में सा.का.नि.420(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 55 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) का.आ. 1270(अ) जो 23 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 8 फरवरी, 2017 की अधिसूचना सं. का.आ. 371 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का.आ. 2586(अ) जो 28 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 8 फरवरी, 2017 की अधिसूचना सं. का.आ. 371 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री नित्यानंद राय) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, उप कमांडेंट (लेखा अधिकारी) भर्ती नियम, 2020 जो 4 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 348(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, अतिरिक्त महानिदेशक (सामान्य ड्यूटी) भर्ती नियम, 2020

जो 11 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 552(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा उनका शुद्धिपत्र जो 19 अप्रैल, 2021 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 280(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, सहायक कमांडेंट (पायोनियर) समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2021 जो 16 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 414(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उप-धारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, (कम्बैटाइज्ड समूह 'ग' अनुसचिवीय पद) भर्ती नियम, 2021 जो 10 जुलाई, 2021 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 68 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) नियम, 1950 के नियम 3 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 927(अ) जो 2 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा त्रिपुरा राज्य की अगरतला भूमि जांच चौकी को यात्रियों की सभी श्रेणियों के लिए वैध यात्रा दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश/भारत से निकास के लिए प्राधिकृत आप्रवास जांच चौकी के रूप में अभिहित किया गया है।

(दो) का.आ. 929(अ) जो 2 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य के उत्तरी 24 परगना जिले की गोजाडंगा भूमि जांच चौकी को यात्रियों की सभी श्रेणियों के लिए वैध यात्रा दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश/भारत से निकास के लिए प्राधिकृत भूमि जांच चौकी के रूप में अभिहित किया गया है।

(6) विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 के खंड 2 के उप-खंड (2) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 928(अ) जो दिनांक 2 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा वरिष्ठ आप्रवास अधिकारी (आप्रवास ब्यूरो) को उक्त आदेश के प्रयोजनार्थ त्रिपुरा राज्य के पश्चिम त्रिपुरा जिले में स्थित अगरतला भूमि आप्रवास जांच चौकी के लिए 02.03.2020 से "सिविल प्राधिकारी" के रूप में नियुक्त किया गया है।

(दो) का.आ. 930(अ) जो दिनांक 2 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा वरिष्ठ आप्रवास अधिकारी (आप्रवास ब्यूरो) को उक्त आदेश के प्रयोजनार्थ पश्चिम बंगाल राज्य के उत्तरी 24 परगना जिले में स्थित गोजाडंगा भूमि आप्रवास जांच चौकी के लिए 02.03.2020 से "सिविल प्राधिकारी" के रूप में नियुक्त किया गया है।

(7) नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 की धारा 20 के अंतर्गत नागरिक सुरक्षा (संशोधन) विनियम, 2021 जो 30 जून, 2020 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 69 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (सुश्री शोभा कारान्दलाजे) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, जयपुर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, जयपुर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने रक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अजय भट्ट) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखेः-

(1) (एक) नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) राष्ट्रीय पर्वतारोहण और अनुषंगी खेल संस्थान, दिरांग के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय पर्वतारोहण और अनुषंगी खेल संस्थान, दिरांग के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) जवाहर पर्वतारोहण और शरद खेल संस्थान, पहलगाम के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहर पर्वतारोहण और शरद खेल संस्थान, पहलगाम के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) हिमालयी पर्वतारोहण संस्थान, दार्जिलिंग के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हिमालयी पर्वतारोहण संस्थान, दार्जिलिंग के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (सुश्री प्रतिमा भौमिक) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एण्ड डवलपमेंट कारपोरेशन, फदीराबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एण्ड डवलपमेंट कारपोरेशन, फदीराबाद का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर पर्सन्स विद फिजिकल डिस्एबेलिटीज (दिव्यांगजन), नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर पर्सन्स विद फिजिकल डिस्एबेलिटीज (दिव्यांगजन), नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर दि इम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद इंटेलैक्चुअल डिस्एबेलिटीज (दिव्यांगजन), सिकंदराबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर दि इम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद इंटेलैक्चुअल डिस्एबेलिटीज (दिव्यांगजन), सिकंदराबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कटक के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कटक के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर इम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिस्एबेलिटीज (दिव्यांगजन), चेन्नई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर इम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिस्एबेलिटीज (दिव्यांगजन), चेन्नई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर दि इम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिस्एबेलिटीज (दिव्यांगजन), देहरादून के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर दि इम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिस्एबेलिटीज (दिव्यांगजन), देहरादून के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर लोकोमोटर डिस्एबेलिटीज (दिव्यांगजन), कोलकाता के वर्ष 2019-

2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर लोकोमोटर डिस्एबेलिटीज (दिव्यांगजन), कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) अली यावर जंग नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिस्एबेलिटीज, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अली यावर जंग नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिस्एबेलिटीज, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) नेशनल ट्रस्ट फॉर दि वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विद ऑटिज्म, सेरेबरल पल्सी, मेंटल रिटारडेशन एंड मल्टीपल डिस्एबेलिटीज, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल ट्रस्ट फॉर दि वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विद ऑटिज्म, सेरेबरल पल्सी, मेंटल रिटारडेशन एंड मल्टीपल डिस्एबेलिटीज, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्यमंत्री (डॉ. एल. मुरूगन) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत लक्षद्वीप विकास निगम लिमिटेड, कवारत्ती के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

6. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:-

(एक) कि राज्य सभा 09 अगस्त, 2021 को हुई अपनी बैठक में अधिकरण सुधार विधेयक, 2021, लोक सभा द्वारा यथापारित, से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(दो) कि राज्य सभा 06 अगस्त, 2021 को हुई अपनी बैठक में कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2021, लोक सभा द्वारा यथापारित, से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(तीन) कि राज्य सभा 09 अगस्त, 2021 को हुई अपनी बैठक में केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021, लोक सभा द्वारा यथापारित, से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(चार) कि राज्य सभा 02 अगस्त, 2021 को हुई अपनी बैठक में श्री भूपेन्द्र यादव और श्री राजीव चन्द्रशेखर के 07 जुलाई, 2021 से मंत्रियों के रूप में नियुक्त होने पर, उनके स्थान पर लोक लेखा समिति के शेष कार्यकाल के लिए उक्त समिति में सहयोजित किए जाने के लिए राज्य सभा के दो सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करने हेतु लोक सभा की सिफारिश से सहमत हुई और राज्य सभा के सदस्यों श्री वी. विजयसाई रेड्डी और डॉ. सुधांशु त्रिवेदी, जिन्हें उक्त समिति के लिए निर्वाचित किया गया है, के नामों की सूचना भी दी।

7. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

चौधरी महबूब अली कैसर ने सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2020-2021) का 38वां और 39वां प्रतिवेदन (मूल) तथा 40वें से 45वां प्रतिवेदन (की-गई-कार्रवाई) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. कृषि संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री पी.सी. गद्दीगौदर ने कृषि संबंधी स्थायी समिति (2020-21) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) (17वीं लोक सभा) प्रस्तुत किये:-

(1) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि और किसान कल्याण विभाग) का 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना-एक मूल्यांकन' संबंधी 29वां प्रतिवेदन।

(2) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (पशुपालन और डेयरी विभाग) का 'देश में पशु चिकित्सा सेवाओं की स्थिति और पशु टीकों की उपलब्धता' संबंधी 30वां प्रतिवेदन।

9. कृषि संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री पी.सी. गद्दीगौदर ने निम्नलिखित प्रतिवेदनों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2019-20)' के बारे में तीसरे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 14वां प्रतिवेदन।

(2) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (पशुपालन और डेयरी विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2019-20)' के बारे में चौथे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 15वां प्रतिवेदन।

(3) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2020-21)' के बारे में दसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 20वां प्रतिवेदन।

(4) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (पशुपालन और डेयरी विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2020-21)' के बारे में ग्यारहवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 21वां प्रतिवेदन।

10. गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री विष्णु दयाल राम ने गृह कार्य संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) 'महिलाओं और बच्चों के प्रति अत्याचार और अपराध' के बारे में 230वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 233वां प्रतिवेदन।

(2) 'उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2021-22)' के बारे में 232वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 234वां प्रतिवेदन।

11. मंत्री द्वारा विवरण

इस्पात मंत्रालय में राज्यमंत्री; तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री फग्गनसिंह कुलस्ते) ने भू संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-2022) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 14वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण सभा पटल पर रखा।

12. प्रस्ताव

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने श्री प्रहलाद जोशी की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि यह सभा 9 अगस्त, 2021 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 24वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.06 बजे

13. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

(1) श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा झारखंड के लातेहार जिले में एक केंद्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री रविन्दर कुशवाहा द्वारा गोरखपुर-भटनी-वाराणसी-प्रयागराज रेल मार्ग पर एक शताब्दी एक्सप्रेस या एक सुपरफास्ट ट्रेन चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री मनसुखभाई डी. वसावा द्वारा गुजरात के भरुच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के औद्योगिक इकाईयों में स्थानीय युवाओं को रोजगार प्रदान करने के साथ-साथ इस क्षेत्र में औद्येगिक इकाईयों द्वारा उत्पन्न किए जा रहे प्रदूषण को रोके जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री रोड़मल नागर द्वारा मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिला स्थित केंद्रीय विद्यालय, नरसिंहगढ़ में कक्षाएं आरंभ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री भोला सिंह द्वारा दिल्ली-एनसीआर वायु प्रदूषण नियंत्रण आयोग की स्थापना किए जाने के बारे में।

(6) श्री जयंत सिन्हा द्वारा झारखंड के रामगढ़ छावनी के लिए विलय प्रक्रिया पूरी किए जाने के बारे में।

(7) श्री रामदास सी. तडस द्वारा महाराष्ट्र के महान साहित्यकार लोकशाहीर अणाभाऊ साठे को भारतरत्न पुरस्कार प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री बृजेन्द्र सिंह द्वारा हरियाणा के हिसार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक मेनलाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट अनुरक्षण शेड या इलेक्ट्रिक लोको शेड की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल द्वारा देश के प्रत्येक जिले में 'अर्द्धसैनिक बलों के परिवारों के कल्याण के लिए एक समन्वय/सामान्य केंद्र' की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) डॉ. रमापति राम त्रिपाठी द्वारा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में सूर्य मंदिर को एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री गुहाराम अजगल्ले द्वारा छत्तीसगढ़ के जंजगीर-चम्पा जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के बारे में।

(12) श्री विजय बघेल द्वारा शैक्षिक संस्थाओं के 'शासक मंडल' में संसद सदस्य के प्रतिनिधित्व के बारे में।

(13) डॉ. मोहम्मद जावेद द्वारा बिहार के किशनगंज में बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा एवं वैकल्पिक जमीन प्रदान किए जाने के बारे में।

(14) श्री एम. के. राघवन द्वारा भारतमाला परियोजना के अंतर्गत कोझिकोड के बेपोर पत्तन को केरल के मलापरम्बा जंक्शन से जोड़े जाने के प्रस्ताव के बारे में।

(15) श्री के. मुरलीधरन द्वारा त्रिवेन्द्रम से कासरगोड़ तक सेमी हाईस्पीड रेल परियोजना के बारे में।

(16) डॉ. डी. रविकुमार द्वारा तमिल शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान किए जाने के बारे में।

(17) श्री सी. एन. अन्नादुरई द्वारा अनुसूचित जनजाति सूची में कुरुमंस के पर्यायरूप नाम वाली जनजाति को सम्मिलित किए जाने के बारे में।

(18) श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ द्वारा आन्ध्र प्रदेश के लिए मनरेगा से संबंधित धनराशि जारी किए जाने के बारे में।

(19) प्रो. सौगत राय द्वारा दिल्ली में एक नौ वर्षीय बालिका के कथित बलात्कार एवं हत्या के बारे में।

(20) श्री राहुल रमेश शेवाले द्वारा एसडीआरएफ/एनडीआरएफ के अंतर्गत राहत मानदंडों में संशोधनों के बारे में।

(21) श्री महाबली सिंह द्वारा 2021 की जनगणना में सभी जातियों की गणना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(22) श्री हनुमान बेनीवाल द्वारा भारतमाला परियोजना के लिए अधिगृहीत की जा रही भूमि के लिए राजस्थान के किसानों को पर्याप्त मुआवजा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(23) श्री विनोद कुमार सोनकर द्वारा पुराना किला से संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों का परीक्षण किए जाने के बारे में।

(24) श्री प्रवेश साहिब सिंह द्वारा 1984 के सिख विरोधी दंगों से प्रभावित परिवारों को मुआवजा, नौकरी एवं घर प्रदान किए जाने के बारे में।

(25) श्री रमेश बिधूड़ी द्वारा दिल्ली में पेय जल, मल-जल निकासी और तूफानी बारिश के पानी की निकासी संबंधी प्रबंधन प्रणाली के बारे में।

(26) श्री एस. वेंकटेशन द्वारा तमिलनाडु के मदुरै में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (एनआईपीइआर) की स्थापना के बारे में।

अपराह्न 12.06 बजे

14. *अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने सदस्यों से सभा की गरिमा बनाये रखने की अपील की।

* मूल हिन्दी में। विवरण के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

अपराह्न 12.07 बजे

15. ***संविधान (एक सौ सत्ताईसवां संशोधन) विधेयक, 2021***

लिया गया समय : 7 घं. 54 मिनट

डॉ. वीरेन्द्र कुमार ने विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री अधीर रंजन चौधरी
2. डॉ. संघमित्रा मौर्य
3. श्री टी.आर.बालू
4. श्री सुदीप बन्दोपाध्याय
5. श्री चन्द्रशेखर बेल्लाना
6. श्री विनायक भाऊराव राऊत
7. श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह

8* श्री भूपेन्द्र यादव

9. श्री रमेश चन्द्र माझी
10. श्री बी.बी.पाटील
11. श्री प्रिंस राज
12. श्रीमती सुप्रिया सुले
13. श्री रितेश पाण्डेय
14. श्री अखिलेश यादव
15. श्री बालूभाऊ नारायणराव उर्फ सुरेश धनोरकर
16. डॉ. संजय जायसवाल
17. श्री कल्याण बनर्जी
18. एडवोकेट ए.एम.आरिफ
19. श्री ई.टी.मोहम्मद बशीर
20. श्री हसनैन मसूदी
21. श्री गणेश सिंह
22. सुश्री एस. जोतिमणि
23. श्री भरत राम मारगनी
24. श्री नामा नागेश्वर राव
25. श्री एम.सेल्वराज
26. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल

---

* पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री भूपेन्द्र यादव)

27. श्री प्रतापराव जाधव
28. श्री राजेश वर्मा
29. श्री किंजरापु राम मोहन नायडू
30. श्री असादुद्दीन ओवैसी
31. डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे
32. श्री चन्देश्वर प्रसाद
33. %श्रीमती अनुप्रिया पटेल
34. श्री मलूक नागर
35. श्री हनुमान बेनीवाल
36. श्री थिरू दयानिधि मारन
37. श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन
38. श्रीमती नवनित रवि राणा
39. श्री अच्युतानंद सामंत
40. श्री विजय कुमार हांसदाक
41. श्री थोमस चाज़िकाडन
42. श्री थोलकाप्पियन तिरुमावलवन
43. श्री भगवंत मान

डॉ. वीरेन्द्र कुमार ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

संविधान (एक सौ सत्ताईसवां संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर सभा में मत विभाजन हुआ और मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार रहा: #पक्ष में 386, #विपक्ष में शून्य। प्रस्ताव सभा की कुल सदस्यता के बहुमत द्वारा और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत द्वारा स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 के लिए श्री विनायक भाऊराव राऊत द्वारा पेश किए गए संशोधन संख्या 1 पर सभा में मत विभाजन हुआ और मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार रहा: #पक्ष में 71, #विपक्ष में 305 । तदानुसार संशोधन 1 अस्वीकृत हुआ।

खंड 2 स्वीकृत किए जाने के प्रस्ताव पर सभा में मत विभाजन हुआ और मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार रहा: #पक्ष में 372, #विपक्ष में शून्य।

% वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री।

शुद्धि के अध्यधीन।

खंड 2 सभा की कुल सदस्यता के बहुमत द्वारा और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत द्वारा स्वीकृत हुआ।

खंड 3 और 4 को स्वीकृत किए जाने के प्रस्ताव पर सभा में मत विभाजन हुआ और मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार रहा: #पक्ष में 386, #विपक्ष में शून्य।

खंड 3 और 4 सभा की कुल सदस्यता के बहुमत द्वारा और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत द्वारा स्वीकृत हुए।

खंड 1 के लिए संशोधन संख्या 6 को मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

खंड 1, यथासंशोधित, को स्वीकृत किए जाने के प्रस्ताव पर सभा में मत विभाजन हुआ और मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार रहा: #पक्ष में 380, #विपक्ष में शून्य।

खंड 1, यथासंशोधित, सभा की कुल सदस्यता के बहुमत द्वारा और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत द्वारा स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

डॉ. वीरेन्द्र कुमार ने विधेयक, यथासंशोधित, को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव पर सभा में मत विभाजन हुआ और मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार रहा: #पक्ष में 385, #विपक्ष में शून्य।

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्यता के बहुमत द्वारा और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत द्वारा स्वीकृत हुआ।

विधेयक, यथासंशोधित, संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित बहुमत द्वारा पारित हुआ।

शुद्धि के अध्यधीन।

रात्रि 8.01 बजे

16. सरकारी विधेयक - पारित

(एक) ***राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021***

लिया गया समय : 6 मिनट

श्री सर्वानन्द सोनोवाल ने विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव पेश किया।

विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री सर्वानन्द सोनोवाल ने विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।

रात्रि 8.07 बजे

(दो) ***राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021***

लिया गया समय : 5 मिनट

श्री सर्वानन्द सोनोवाल ने विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव पेश किया।

विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री सर्वानन्द सोनोवाल ने विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।

रात्रि 8.12 बजे

(लोक सभा बुधवार, 11 अगस्त, 2021 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह

महासचिव

लोक सभा

समाचार – भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 11 अगस्त, 2021/20 श्रावण, 1943 (शक)

संख्या 131

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. *निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने श्री वीरभद्र सिंह, सदस्य, तीसरी, चौथी, पांचवीं, सातवीं और पंद्रहवीं लोक सभा; श्री नित्यानंद मिश्र, सदस्य, सातवीं और आठवीं लोक सभा; प्रो. गोपालराव मायेकर, सदस्य, नौंवीं लोक सभा; और श्री सुदर्शन राय चौधरी, सदस्य, नौंवीं और दसवीं लोक सभा के निधन के संबंध में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्य दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

2. विदाई संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने सत्रहवीं लोक सभा के छठे सत्र के समापन पर विदाई संबंधी उल्लेख किया।

पूर्वाह्न 11.06 बजे

3. राष्ट्रीय गीत

. राष्ट्रीय गीत की धुन बजाई गई।

पूर्वाह्न 11.07 बजे

(लोक सभा पूर्वाह्न 11.07 बजे अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

---

* मूल हिन्दी में। विवरण के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।